

प्रकाशक—

श्री साधुमार्गी जैन

पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय का
हितेच्छु आवकभंडल, रतलाम

प्रथमाष्टकि	२०००
द्वितीयाष्टकि	१०००
तृतीयाष्टकि	१०००

सुप्रक—

नथमल लूणिया
आदर्श प्रेस, केसरयंज अजमे
सशालक—बीतमल लूणि

सैद्धापेठ मद्रास निवासी
खगर्णीय सेठ कन्हैयालालजी वैदमूथा
की
विधवा धर्मपती
श्रीमती सूरजकुंवर बाई
की
ओर से
अपने खगर्णीय पति की पुण्यस्मृति में
अर्द्ध मूल्य में
भेंट ।

८५३

प्राक्थन ।

इस पुस्तक की पहली भाष्यका सम्बन्ध १९८७ में छपी थी । प्रथमा-
नुस्खा की समरत प्रतियों को भीनासर निवासी श्रीमान् सेठ वहादुरमलजी
बांटिया के सुपुत्र कुंवर तोलारामजी बांटिया ने अपनी स्वर्गीया मातेचरी
की पुण्य-स्मृति में बिना मूल्य वितरण कराई थी । पहला संस्करण योद्दे
थी दिनों में समाप्त हो गया, इससे दूसरा संस्करण निकलवाना पढ़ा ।
दूसरे संस्करण की समस्त प्रतियों को बैंगलौर निवासी श्री० सेठ
ईराष्ट्रंजी धनंराजजी कटारिया की अनुजंबधू श्रीमती भूरीचाहू ने अपने
स्वर्गीय पति की पुण्य-स्मृति में अर्द्ध मूल्य में वितरण कराई । अर्थात्
उपाई और कागज की आधी लागत देकर, पुस्तक का मूल्य चार आने के
बड़ले दो आने करवा दिया । कुंवर तोलारामजी और श्रीमती भूरीचाहू
की अनुकरणीय टदारता के परिणामस्वरूप जनता ने इस पुस्तक से
अत्यधिक लाभ उठाया और कुछ ही समय में दूसरा संस्करण भी समाप्त
हो गया, इसलिए यह तीसरा संस्करण निकलवाना पढ़ा ।

उपाई और कागज की लागत मात्र से यह पुस्तक ।) को पढ़ी है ।
शिक्किन बगड़ी (मारवाड़) निवासी श्री० सेठ नथमलजी धाढ़ीबाल की
सुपुत्री श्रीमती सूरजकुंवरवाहू ने अपने पति की पुण्य-स्मृति में इस
पुस्तक की आधी लागत अपने पास से प्रदान करके इस पुस्तक का मूल्य
आधा—दो आने—करवा दिया है । आशा है कि श्री सूरजकुंवरवाहू की
इस टदारता का जनता पूर्व की ही भाँति लाभ केरी ।

(२)


प्रथम और द्वितीय आवृत्ति की तरह हम इस आवृत्ति के लिए भी। यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि श्री मदजैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री ज्ञानाहिरलालजी महाराज (जिनके व्याख्यानों में से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है) के व्याख्यान साधु-भाषा में और शान्त-सम्मत ही होते हैं, लेकिन संग्राहक, सम्पादक और संशोधक से त्रुटि होना सम्भव है। अतः इस पुस्तक में यदि कोई त्रुटि दिखाई दे, तो पाठक महाशय सूचित करने की कृपा करें। इत्यङ्गम् ।

रत्नाम आपादी पूर्णिमा सं० १९९२ वि०	भवदीय चालचन्द श्री श्रीमाल वरदभान पीतालिया सेकेटरी श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचंदजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु शावक-मंडल रत्नाम (सालवां)
--	---

विषय सूची ।

विषय			पृष्ठ संख्या
१—धर्म व्याख्या	१
२—प्राम धर्म	३
३—नगर धर्म	६
४—राष्ट्र धर्म	१२
५—पालगढ़ धर्म	२६
६—कुल धर्म	३३
७—जाग धर्म	३७
८—संघ धर्म	४५
९—१०—सूत्र चारित्र धर्म	६६
११—अस्तिकाय धर्म	८०
१२—इस स्थविर	८९
१३—प्राम स्थविर	९२
१४—नगर स्थविर	९८
१५—राष्ट्र स्थविर	१०८
१६—प्रशास्ता स्थविर	१२८
१७—कुल स्थविर	१३५
१८—संघ स्थविर	१५०
१९—जाति स्थविर	१५३
२०—सूत्र स्थविर	१५६
२१—पर्याय स्थविर	१५८

धर्म-व्याख्या ।



कि सी मकान के बनाने से पहले; वह आवश्यक समझा जाता है कि उसकी नींव मजबूत हो । बड़ी—बड़ी कोठियाँ बनाने के लिये लोग; गहरी से गहरी और मजबूत नींव बनाते हैं । ऐसा न करें, तो उसके अधिक दिन ठहरने की आशा नहीं रहती ।

ऐक यही बात धर्म के विषय में समझनी चाहिये । जब तक मनुष्य, लौकिक धर्मों के पालन में दद्द नहीं होता, तब तक वह लोकोच्चर धर्मों का पालन ठीक-ठीक नहीं कर सकता । क्योंकि, लौकिक-धर्म, जनता के आचरण को सुधारने वाले हैं । यदि, किसी व्यक्ति का व्यवहार ही उत्तम न हो, तो वह सूत्र-चरित्र-धर्म का पालन कैसे कर सकता है ।

इसी बात को इष्टि में रखकर शास्त्रकारों ने दस प्रकार के धर्म बतलाये हैं । यही नहीं, वल्कि उन धर्मों को समुचित रूपेण पालन करनाने के लिये, दस-स्थविरों की भी व्यवस्था दी है ।

ठाणाङ्गसूत्र के दसवें ठाणे में निम्नलिखित दस प्रकार के धर्म वर्तलाये हैं:—

ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म, व्रत-धर्म, कुल-धर्म, गण-धर्म संघ-धर्म, सूत्र-धर्म, चारित्र-धर्म, अस्तिकाय-धर्म।

इन दसों प्रकार के धर्मों एवम् अन्यान्य नैतिक व धार्मिक-व्यवस्था करने वाले जिन दस प्रकार के स्थविरों की व्यवस्था शाब्द में वर्तलाई है, वे निन्नानुसार हैं:—

ग्रामस्थविर, नगरस्थविर, राष्ट्रस्थविर, प्रशास्तास्थविर, कुलस्थविर, गणस्थविर, संघस्थविर, जातिस्थविर, सूत्रस्थविर, पर्यायस्थविर।

उपरोक्त दस प्रकार के धर्मों और दस ही प्रकार के स्थविरों की जो व्यवस्था शाब्दकारों ने वर्तलाई है, उसकी विशेष-व्याख्या आगे क्रमबार की जाती है।

ग्राम-धर्म ।

ग्राम-धर्म का आशय उस धर्म से है; जिसके पालन से ग्राम का नाश न हो, अपितु उसकी रक्षा हो ।

ग्राम उसे कहते हैं, जिसमें जनसमूह एकत्रित होकर रहता हो; किन्तु जिसकी आवादी एक निश्चित सीमा तक ही हो। इस सीमा के उल्लंघन करने पर वह ग्राम नहीं, बल्कि नगर कहा जाता है। ग्राम-धर्म, केवल ग्रामों के लिये ही है, नगरों के लिये तो नगर-धर्म है।

गांव में-चोरी की रोक होती हो, पारदारिकादिक (लम्पटी) न रहने पाते हों, विद्वान्-मनुष्यों का अपमान न होता हो, पशु-वध की रोक होती हो, सुकदमेवाजी में गांव के लोग सम्पत्ति नष्ट न करने पाते हों, और एक स्थविर या पञ्चायत के अधीन सारा गांव ढङ्ग से शासित हो, इसी का नाम ग्राम-धर्म है।

यद्यपि यह धर्म मोक्ष के लिये पर्याप्त नहीं है, किन्तु जिस

धर्म से मोक्ष मिलता है, उस धर्म का पाया अवश्य है। यदि ग्राम-धर्म व्यवस्थित न हो और सारे गांव में चोर ही चोर वसते हों तो वहां जाकर साधु क्या करेगा? यदि भूलकर गया भी, तो चोरों का अन्न पेट में जाने के कारण, उसकी दुष्टि पर भी तुरा असर पड़े विना न रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिस गांव में सब बुरे आदमी रहते हों, वहां कोई भला आदमी स्थायी कैसे रह सकता है? और जब तक प्रत्येक ग्राम में कमसे कम एक भी सन्मार्ग-प्रदर्शक न हो, तब तक ग्रामवासियों की, धर्म की ओर रुचि कैसे हो सकती है? जहां ग्राम धर्म नहीं है, वहां सभ्यता भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान् ने साधु को अनार्य-देश में जाने को मना किया है। क्योंकि वहां ग्राम-धर्म नहीं है, अतः सभ्यता भी नहीं है।

प्रत्येक-ग्राम में एक स्थविर (मुखिया) या सन्मार्ग-प्रदर्शक न रहता हो, तब तक लोगों को धर्माधर्म का ज्ञान कौन करावे, यह बात ऊपर कही जा चुकी है। जब तक ऐसा एक भी मनुष्य गांव में न हो, तब तक वडे से वड़ा साधु भी वहां जाकर लोगों को धर्मोपदेश नहीं देसकता।

केशी श्रमण यद्यपि चार ज्ञान के स्वामी थे, किन्तु 'चित-प्रधान' के समान सन्मार्ग-प्रदर्शक हुए थिना, राजा-परदेशी को सुधारने का काम नहीं हो सकता था। आज कल तो यह दृशा है, कि

लोग मुनियों के पास जाकर उनकी तारीफ खूब कर आते हैं, कविता गाकर या व्याख्यान देकर उनकी सुनि भी कर डालते हैं, किन्तु जब 'चित्र प्रधान' के समान काम करने की आवश्यकता होती है, तब दूर भागते हैं। ऐसी अवस्था में सुधार हो तो कैसे ?

जहाँ ग्राम-धर्म जागृत होता है, वहाँ धर्म को नींव सिद्ध हो जाती है। या यों कहो कि जैसे किसान को अनाज बोने के लिये भूमि तयार हो जाती है।

किसान, भूमि के तयार होने पर भिट्ठी को तो खाता ही नहाँ है, उसमें अनाज बोकर अन्यान्य-मिहनत करता है, तब उसे फल मिलता है। यदि कोई कहे, कि गेहूँ बोने के लिये भूमि तयार करने की क्या आवश्यकता है ? गेहूँ बो दिये और काट लिये, तो क्या कोई बुद्धिमान-किसान इस बात को मान सकता है ? वह कहेगा, कि कृषि की नींव खेत की जुताई है। जबतक खेत तयार न हो जाय, गेहूँ कभी अच्छा हो ही नहाँ सकता। इसी प्रकार धर्म की नींव ग्राम-धर्म है। जबतक ग्राम-धर्म का समुचित-रूपेण पालन न हो, तबतक मोक्षदाता सूत्र-चारित्र धर्म का पालन होने कथा इनके टिके रहने में बड़ी कठिनता आने की सम्भावना है।

नगर-धर्म

यद्यपि शास्त्रकारों ने ग्राम-धर्म और नगर-धर्म दोनों की पृथक्-पृथक् व्याख्या की है, किन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि ये दोनों विलक्षण अलग धर्म हैं। नगर-धर्म में पूरे ग्राम-धर्म का समावेश होता है। ग्राम-धर्म में जो-जो वातें बतलाई गई हैं, वे सब तो नगर-धर्म में होती ही हैं, किन्तु कुछ विशेष वातें नगर-धर्म में और होती हैं।

ग्राम और नगर, परस्पर आधारधेय भाव से स्थित हैं। अर्थात् विना ग्राम के नगर का जीवन और विना नगर के ग्राम की रक्ता नहीं है। गांववालों में तो आज फिर भी कुछ धर्म-जीवन शेष हैं, किन्तु नगरवालों ने तो अपना धर्म-जीवन नष्ट-सा कर लिया है। ग्राम-धर्म को अपना आधार न मानकर आज के नागरिक, नाटक सिनेमा, नाचरंग और फैरान में अपने सभ्य शक्ति और द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं; परन्तु यह नहीं देखते कि हमारा धर्म क्या है।

प्राम-धर्म और नगर-धर्म का उसी तरह सम्बन्ध है, जैसे शरीर और दिमाग का। अर्थात् यदि प्रामोण शरीर के समान हैं, तो नागरिक मस्तक के समान। मस्तक यद्यपि शरीर से डॅंचा है, किन्तु शरीर का सारा काम उसी से होता है। यदि योगायोग से मस्तक पागल हो उठता है, तो वह अपने साथ-साथ नारे शरीर को भी ले छूता है।

आज नागरिकों की यही दशा, हो रही है। उन्हें अपनी स्वतः वीरक्षा या ध्यान नहीं है, तो वे प्रामोणों की रक्षा क्या करेंगे ? जिस प्रकार मस्तक के विगड़ने से शरीर की हानि होती है, उन्हीं तरह आज नागरिकों के विगड़ने से प्राम-धर्म भी नष्ट होता जा रहा है। अपना धर्म नम्रभ कर उसे पालना और अपने आनंदित प्राम-धर्म की भी रक्षा करना, नागरिकों का कर्तव्य है।

आप लोग, मुझे आचार्य कहते हैं और मैं एक तरफ घैठ जाऊं, व्याख्यान न दूँ, तो आप क्या कहेंगे ? यही न, कि कोई दूसरे छोटे-सन्त घैठ जायें, तो काम चल सकता है, परन्तु आपके घैठने से काम नहीं चल सकता ! आपका यह कहना ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने गुम्फे अपने धर्म का अप्रणीति किया है। अतः यह आवश्यक है, कि मैं आप लोगों को उपदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन करूँ। ठीक इसी प्रकार

ग्रामों और नगरों का सम्बन्ध है। जैसे आवकों के धर्म की रक्षा करना आचार्य का कर्तव्य है, उसी प्रकार नगरों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रित ग्रामों की रक्षा करें। जिस प्रकार आचार्य के वेपरवाह हो जाने पर आवकों और साधुओं का कल्याण नहीं होता, उसी प्रकार नगरों के वेपरवाह हो जाने पर ग्रामों का कल्याण कैसे सम्भव है?

आज, राजनीति में जितने अगुआ हैं, उनमें अधिकांश नागरिक हैं। इसका मतलब यह है, कि आज राजनीति नगरों के हाथ में है। किन्तु देखा जाता है, कि जो नागरिक, ऐसेम्बली या अन्यान्य राजकोय सभाओं के मेम्बर चुने जाते हैं, उनमें से अधिकांश, पूर्ण-रूप से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते।

आज, प्रजा की ओर से जो मेम्बर ऐसेम्बली में जाते हैं, उनमें से कई एक बैठे-बैठे देखा करते हैं और प्रजा के नाश के लिये कड़े-से-कड़े कानून बन जाते हैं। राजा और अन्य बड़े लोग, अपने मतलब की बात पेश करके अपनी बाक्पटुता से इन प्रजा के मेम्बरों को कुछ समझा देते हैं और मत दिलाकर अपने पक्ष में प्रस्ताव पास करा लेते हैं। ऐसे प्रजा-नाशक कानूनों के बनाने के समय, उसका विरोध करना प्रजा की ओर से चुने गये मेम्बरों का कर्तव्य है, किन्तु वे लोग नगर-धर्म पर ध्यान न देकर, अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं।

कुछ लोग कहते हैं, कि 'ऐसे विलों का विरोध, करके, यदि कोई मनुष्य उन्हें रुकवा दे; तो उससे तो राजा का विरोध होगा और राजा के विरुद्ध काम करने की शास्त्रों में मनाई है।'

ऐसा कहने वाले शास्त्र के मर्म को नहीं जानते। शास्त्र में एक जगह आया है कि:—

'विरुद्ध रजाइ कम्मे'

अर्थात्—राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिए।

शास्त्र तो कहता है, कि राज्य के विरुद्ध कार्य न करना चाहिए और लोगों ने इसका यह अर्थ लगाया है कि राजा के विरुद्ध कोई कार्य न करना चाहिए।

राज्य, देश की सु-व्यवस्था को कहते हैं। उसका विरोध न करने के लिये जैन-शास्त्र की आज्ञा है। परन्तु राजा की अनीति के विरुद्ध कार्य करने को जैन-शास्त्र कहीं नहीं रोकता।

आज, शराब, गांजा, भङ्ग आदि के प्रचार की ठेकेदार सरकार ही रही है। यदि सरकार की आवकारी की आय कम हो और वह एक सरक्यूलर निकाल दे कि "प्रत्येक प्रजाजन को एक एक ग्लास शराब रोज पीनी चाहिए, ताकि राज्य के आवकारी विभाग की आय बढ़ जाय" तो क्या इस आज्ञा का पालन आप लोग करेंगे?

'नहीं'

और यदि यह सोचकर कि राजा का। विरोध करना शास्त्र रोकता है, कोई मनुष्य शराब पीने लगे, तो क्या उसका धर्म वाकी रहेगा ?

‘नहीं’

ऐसी अवस्था में, राजा की इस अनुचित आज्ञा का विरोध करना प्रजा का कर्त्तव्य है। इसी का नहीं; बल्कि उन सब कानूनों का विरोध करना भी; प्रजा का कर्त्तव्य हो जाता है, जिनके पास हो जाने से प्रजा की हानि होती हो।

आप लोग, यदि जैन-शास्त्र की इस आज्ञा का उपरोक्त अर्थ समझते होते, तो आज जो लोग जैनवर्म को कायर कहते हैं, वे कदापि ऐसा कहने का साहस न करते।

अहिंसावादी कायर नहीं होता है, बल्कि वार होता है। एक ही अहिंसावादी यदि खड़ा होंगाय; तो विना हिंसा के ही वड़ी-वड़ी पाशविक शक्तियां उसे देख कर दूर रहेंगी। अस्तु।

नागरिकों ने ही आज फैशन और जेवरों की वृद्धि की है। इन्हीं लोगों का अनुकरण करके वेचारे ग्रामीण भी अपनी आय का अधिकांश, फैशन में डड़ा देते हैं। फलतः विलासिता की दिनों-दिन वृद्धि होती जा रही है और जनता की आय का इस तरफ दुरुपयोग हो जाने के कारण, आज मनुष्यों को जीवन-दायक पदार्थ; जैसे-घृत, दुग्धादि का मिलना कठिन हो गया है।

संसार में बैठे हुए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, कि वह समष्टि को अपनी नज़र में रख कर उसे हानि पहुँचे ऐसा बुरा काम न करे। जो मनुष्य समष्टि को अपनी हृषि में रख कर कार्य नहीं करता; वह नीतिज्ञ नहीं कहा जा सकता।

मानव-स्वभाव सदैव अनुकरणशील है। वच्चा, जिस प्रकार अपने घर बालों का अनुकरण करता है, उसी प्रकार अल्प-शिक्षित प्रामीण, नगर के शिक्षित-समाज का अनुकरण करते हैं। किन्तु जिस प्रकार, घर में कोई मनुष्य अच्छा या बुरा काम करता है, तो वच्चे पर उसका असर हुए विना नहीं रहता; उसी प्रकार नागरिकों के प्रत्येक अच्छे बुरे कार्य का असर, प्रामीणों पर पड़े विना नहीं रहता।

यदि नगर-निवासी, ग्राम-निवासियों को हृषि में रख कर अपने धर्म, वा समुचित-रूप से पालन करें, तो राष्ट्र का बहुत-अधिक हित होना सम्भव है।

राष्ट्र-धर्म ।

जब ग्रामों में ग्राम-धर्म और नगरों में नगर-धर्म का समुचित-रूप से पालन होता है, तब राष्ट्र-धर्म की उत्पत्ति होती है । ग्राम में, यदि ग्रामाधिक-मनुष्यों का निवास होगा, तो शहरवालों को भी ग्रामाधिक बनना पड़ेगा । और यदि शहर के निवासी ग्रामाधिक हुए, तो उसका प्रभाव समस्त राष्ट्र पर पड़ेगा । यदि नगर-निवासी अपने धर्म का ठीक-ठीक पालन न करें, तो सारे देश का नाश हो जाता है ।

भारतवर्ष को छुवाने का कलंक, आज ग्रामीणों के नहीं बल्कि नागरिकों के सिर लगाया जाता है और यह है भी सत्य । जब, भारत का पतन हुआ है, तब के इतिहास के पन्ने उलटने पर विद्युत होता है, कि कुछ नागरिकों ने, अपना नागरिक-धर्म नहीं निभाया, फलतः राष्ट्र-धर्म नष्ट हो गया । जथचन्द के जमाने से लगाकर, मीरजाफर तथा उसके बाद आजतक यही दशा है । बङ्गाल में, जिस समय ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी के कार्यकर्ता अपनी कुटि

लता से देश को तथाह कर रहे थे और नमक के समान साधारण-चीज का ठेका लेकर ऐसा अत्याचार कर रहे थे, कि पांचसेर नमक भी यदि किसी के घर में निकल जाता था, तो उसकी सारी-सम्पत्ति जब्त करली जाती थी, और अपने व्यापार की वृद्धि तथा अपने स्वार्थ-साधन के लिये प्रसिद्ध-प्रसिद्ध जुलाहों में से बहुतों के अंगूठे कटवा लिये गये थे। तब इन अत्याचारों का प्रतिकार करना, एक प्रकार से असम्भव-सा हो गया था। इस का कारण यह था, कि जगन्-सेठ अमीचन्द्र तथा महाराज-नन्द-कुमार के समान प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नागरिक भी केवल अपने स्वार्थ साधन के लिये कम्पनी के कार्यकर्त्ताओं का साथ देकर देश-द्रोह कर रहे थे।

भारत के ही नहीं, किसी भी राष्ट्र के पतन का कारण यदि आप हूँड़ेंगे, तो विदित होगा कि उस राष्ट्र के नागरिकों का अपना नगर-धर्म न पालना ही देश के पतन का कारण हुआ है। आज भी बत्तीस करोड़ भारतीयों पर, थोड़े से विदेशी शासन करते हैं, इसका कारण यही है कि बहुत से नागरिक, अपने नगर-धर्म का पालन विलकुल नहीं करते; या यों कहिये कि देश-द्रोह करते हैं। जबतक सब ग्रामीण ग्राम-धर्म और सब नागरिक नगर-धर्म का पालन करने की आदत न डालेंगे, तब तक राष्ट्र-धर्म की उन्नति होना असम्भव है।.. . . :

'राष्ट्र' शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में वरलाया गया है, कि प्राकृतिक सीमा से सीमित, तथा एक ही जाति एवं सभ्यता के मनुष्य जहाँ रहते हों, उस देश का नाम राष्ट्र है। या यों कहिये, कि बहुत से ग्रामों और नगरों के समूह को राष्ट्र कहते हैं।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र सुव्यवस्थित रहे; राष्ट्र की उन्नति हो, मानव—समाज अपने अपने धर्म का पालन करना सीखे, राष्ट्र की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, शान्ति फैले, प्रजा सुखी हो, राष्ट्र की प्रसिद्धि हो और कोई अत्याचारी, राष्ट्र के किसी अङ्ग पर अत्याचार न कर सके।

जिस कार्य का फल इसके विरुद्ध निकलता हो, वह राष्ट्र-धर्म नहीं है।

राष्ट्रधर्म का पालन करने की जिम्मेदारी, राष्ट्र के निवासी प्रत्येक व्यक्ति पर है! एक ही मनुष्य के किये हुए अच्छे या बुरे काम से, राष्ट्र सुख्यात या झुख्यात हो सकता है। जैसे एक भारतीय, यूरोप की एक अद्वितीय लायब्रेरी में गये थे। उस लायब्रेरी में कई दिन तक जाकर उन्होंने अपने विषय के अन्यों का अध्ययन किया। एक दिन, एक ग्रन्थ में से उन्होंने एक बहुत-कीमती चित्र चुरा लिया। योगायोग से लायब्रेरियन को इसका पता लगा और बात प्रमाणित भी हो गई। इसका

नतीजा यह हुआ कि “उस लायब्रेरी में भविष्य में कोई हिन्दु-स्तानी नहीं जा सकता” यह नियम बना दिया गया। भारत के सैकड़ों विद्यार्थी यूरोप जाकर, उस लायब्रेरी के प्रन्थों से. फायदा उठाते थे, किन्तु एकही मनुष्य के राष्ट्र-धर्म न पालने से, राष्ट्र को यह हानि हुई, कि भविष्य में कोई भारतीय उस लायब्रेरी के अमूल्य-संग्रह से लाभ नहीं उठा सकता। यहाँ तक नहीं, वल्कि पत्रों में इस विषय की चर्चा करके उन लोगों ने यह बतलाने का भी प्रयत्न किया, कि भारतीय मनुष्य वैर्झमान होते हैं। यह हानि और उसके साथ-साथ बदनामी, भारतवर्प यानी समस्त राष्ट्र को इसलिये सहनी पड़ी, कि उसके एक आदमी ने यूरोप जाकर, वैर्झमानी की थी। इसके विरुद्ध, विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉ० जगदीशचन्द्र बसु, विवेकानन्द या गांधीजी के समान एकही मनुष्य यूरोप में जाकर, राष्ट्र-धर्म का पालन करते हुए, अपने उन्नत व्यक्तित्व का परिचय देकर भारतवर्प का सिर ऊंचा करते हैं। इसीलिये कहा गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति पर राष्ट्र का आधार है।

कुछ लोग कहते हैं, कि आत्म-कल्याण करने वाले को ग्राम-धर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म से क्या आवश्यकता है? ऐसा कहनेवालों का यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि साधुओं को भी रोटी खाने की जरूरत तो पड़ती है। यदि ग्रामवासी अधर्मी

या चोर हों, या पतित गुलाम हों, तो उनका अन्न खानेवाले, धर्मात्मा या स्वतन्त्र विचार रखनेवाले महात्मा, कैसे वन सकते हैं? क्योंकि, जैसे विचार रखनेवालों का अन्न मनुष्य खाता है, प्रायः वैसे ही विचार उसके भी हो जाते हैं। जब तक गृहस्थियों का जीवन पवित्र न होगा, तब तक साधुओं का जीवन पवित्र रहना बहुत कठिन है। यदि गृहस्थों अपने धर्म-पालन में संलग्न हों, तो साधुओं का संयम भी पवित्र रहेगा, यह ध्रुव-सत्य है। शास्त्र दर्शावैकालिक के पहले अध्याय की पहली-गाथा की टीका में, नीतिमान पुरुष का न्याय से उपार्जित अन्न ही साधु के लिये ग्राह्य बताया है।

वास्तव में धर्म उन्हीं का है, जिनका अपना राष्ट्र हो। आज देखते-देखते ईसाई और मुसलमानों की संख्या में आश्वर्यजनक वृद्धि हुई है। भारत में सात-करोड़ मुसलमान सुने जाते हैं। ये कहीं अरब से तो आये नहीं, परन्तु भारत पर उनका आधिपत्य होने से उनकी वृद्धि हो गई थी। दो करोड़ से ज्यादा भारतीय-ईसाई आज भारतवर्ष में मौजूद हैं। ये लोग, यूरोप या अमेरिका से नहीं आये हैं, भारतवर्ष में पैदा होने पर भी भारत पर ईसाईयों का आधिपत्य होने से इन्हें ईसाई वन जाना पड़ा। सुना जाता है कि इंग्लैण्ड के बादशाही तख्त पर वही राजकुमार बैठ सकता है, जो प्रोटेस्टेण्ट (ईसाई धर्म की एक सम्प्रदाय) ईसाई हो।

रोमन-कैथोलिक-धर्म का माननेवाला, कभी वहाँ का बादशाह नहीं हो सकता। इसका कारण यह है, कि राष्ट्र उन लोगों का है, जो जो चाहते हैं, वही होता है। भारतवर्ष में भी यही दशा सुनी जाती है। ४३

जबतक, राष्ट्र का प्रत्येक-मनुष्य, राष्ट्र-धर्म का ठीक-ठीक पालन नहीं करता, तब तक सूत्र—चारित्र धर्म सदैव खतरे में रहता है। क्योंकि राष्ट्र-धर्म आधार और सूत्र-चारित्र धर्म आधेय हैं। आधार के नष्ट होजाने पर आधेय भी पात्र बिन घृत की तरह नष्ट हो जाता है।

एक नाव, मनुष्यों से भरी जारही है। एक मनुष्य, उसमें से एक आदमी को उठाकर नदी में फेंकता है और दूसरा मनुष्य एक तेजा—हृथिग्रार से नाव में छेद कर रहा है। किसी बुद्धिमान पुरुष से पूछाजाय, कि इन दोनों में से तुम पहले किसे रोकोगे ? तो बहु उत्तर देगा, कि नाव में छेद करने वाले मनुष्य को।

५ भारतवर्ष की राज्य-व्यवस्था में खर्च की एक सद है, “ईसाई धर्म की व्यवस्था”। इसमें भारतवर्ष की ही पैदा का ३२४२००० रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है। किन्तु यह एक प्रेसा विद्रोप व्यय करार दे दिया गया है; कि इमारे देश की लेजिस्लेटिव-प्रसेस्यली इस खर्च पर अपना कोई प्रभाव नहीं ढाल सकती।

कोई कहे, कि लकड़ी की नाव फोड़नेवाले को पहले क्यों रोका ? जीवित-मनुष्य को नदी में फेंकनेवाले को पहले क्यों नहीं रोका ? तो यह कहनेवाले को सोचना चाहिए, कि यदि नाव में मनुष्य न बैठे होते और वह कहीं फिनारे पर पढ़ों होती, उस समय कोई उसे फोड़ता, तो यह कथन उचित भी था । किन्तु जब उसमें मनुष्य बैठे हैं और वह बीच-नदी में चल रही है, तब यदि उसमें छेद हो जायगा, तो जितने मनुष्य उसमें बैठे हैं, वे सब के सर्व जूब जायेंगे । किन्तु ठीक छेद करते समय यदि प्रत्येक मनुष्य आत्म-रक्षा का विचार करते लगे और अन्य मनुष्यों की चिन्ता न करे, तो क्या उन्हें कोई अच्छे आदमी कह सकता है ?

“कन्दापि नहीं”

यही बात, जो लोग राष्ट्र की रक्षा करना चुरा बतलाकर केवल व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं, उनकी समझनी चाहिये । संसार में बैठकर सारे काम तो करते हैं, किन्तु जहां कठिन-धर्म के पालन का प्रश्न उपस्थित होता है, वहाँ कह देते हैं कि हमें इस से क्या मतलब ? ऐसा कहकर राष्ट्र के उपकार से विमुख हो जाते हैं ।

केवल-ज्ञान हो जाने के पश्चात् भी, भगवान् महार्वीर, समटि के कल्याण की इच्छा से उपदेश देते थे । जब केवलियों की

यह दशा है, तो साधारण संसारी-मनुष्य का संसार में वैठे हुए यह कहना कि “हमें राष्ट्र से क्या मतलब ?” कितनी भारी चुंतन्त्रता है ।

हृते हुए को बचा लेना धर्म है, यह समझते हुए भी कई लोग, राष्ट्र की रक्षा के काम से कोसों दूर रहते हैं। इसका कारण यही है, कि उन्हें राष्ट्र-धर्म का महत्व ही मालूम नहीं है। एक कानून के बनने से लाखों-मनुष्य मरते और बचते हैं, किन्तु कुछ लोग धारा-सभा के मेस्वर होकर भी, उस पर ध्यान नहीं ढ़ेते, कि यह कानून हमारे देशवासियों के लिये लाभ-प्रद है, या हानि-प्रद। वे इस बात को नहीं समझते कि इस कानून के बन जाने से, जिस देश में मैं बसता हूँ, उसका अपमान हो रहा है। वे तो केवल अपने मेस्वर-पद या अपनी उपाधियों की रक्षा करने में लगे रहते हैं।

किसी खी के पुत्र और पति वैठे हों और कोई अन्य-मनुष्य उस खी का अपमान कर रहा हो, ऐसे समय में वे पति और पुत्र उस अपमान की ओर ध्यान न देकर, यदि अपनी मौज में लगे हों, तो संसार उन्हें आच्छा कहेगा ?

- “हर्गिज नहीं”
- तो यह भारत आप लोगों की मातृभूमि है, आपका देश है, आप इसमें उत्पन्न हुए हैं और इसके किसी भाग के मालिक-

वने हुए हैं, अतः यह आप सब की मातृभूमि है। किन्तु यदि तुम्हारे ही समुख तुम्हारी मातृभूमि की वेङ्गती हो रही हो अर्थात् ऐसे कानून वनें, जिनसे तुम्हारे धर्म, तुम्हारी स्वतन्त्रता अथवा देश की इज्जत में वाधा पहुँचती हो और तुम अपने मौज-मजे में लगे रहकर उनको न देखो, तो क्या यह तुम्हारा मनुष्यत्व है ?

“नहीं”

राष्ट्र की रक्षा में सब की रक्षा और राष्ट्र के नाश में सब का नाश है। शास्त्रों के देखने से यह बात प्रकट है कि राष्ट्र-धर्म के बिना सूत्र-चारित्र-धर्म ठिक ही नहीं सकता। इस बात का उदाहरण जैन शास्त्रों से ही दिया जाता है।

भगवान् ऋषभदेव ने जन्म लेकर ग्राभधर्म, नगरधर्म और राष्ट्रधर्म की स्थापना की। उन्होंने अपनी आयु के २० भाग कुंवर-पद में व्यक्ति किये थे। ६३ भाग राष्ट्र के सुधारने में लेगाये थे और १ भाग सूत्र-चारित्र-धर्म के प्रचार में लगाया था। इससे सिद्ध है कि यदि राष्ट्र धर्म न होता, तो सूत्र-चारित्र-धर्म न फैलता। इसके अतिरिक्त, जम्बूद्वीप-पन्नती सूत्र में कहा है, कि पहले सूत्र-चारित्र-धर्म का नाश होगा, फिर राष्ट्र-धर्म का नाश होगा। इससे भी प्रकट है, कि जबतक सूत्र-चारित्र-धर्म है, तबतक राष्ट्र-धर्म का होना आवश्यक है। क्योंकि सूत्र-

चारित्र-धर्म का प्रचार करने के पहले, भगवान् ऋषभदेवजी ने राष्ट्र-धर्म फैलाया था और उपरोक्त सूत्र के अनुसार, सूत्र-चारित्र धर्म के नाश होने के बादतक राष्ट्र-धर्म रहेगा। अर्थात् सूत्र-चारित्र-धर्म के जन्म के पहले से और नाश के अन्त तक राष्ट्र-धर्म रहेगा।

कोई मनुष्य यदि यह कहे, कि हमें राष्ट्र-धर्म से क्या मतलब है? तो उससे पूछना चाहिए, कि सूत्र-चारित्र-धर्म से तो आपको मतलब है या नहीं? यदि है, तो सूत्र-चारित्र-धर्म तो बिना राष्ट्र-धर्म के टिक नहीं सकते, अतः यदि आपको सूत्र-चारित्र-धर्म की आवश्यकता है, तो राष्ट्र-धर्म का निषेध कदापि नहीं कर सकते। ठाणाङ्ग-सूत्र के पांचवें ठाणे में कहा है:—

धर्मं चरमाणम्सं पञ्च शिस्साठाणा,

पं० तं०-छकाए, गणे, गया, गिहवतीं, सरीरं ।

अर्थात्—सूत्र-चारित्र-धर्म को जिसने स्वीकार किया है, उसको भी पांच यस्तुओं का आधार है। वे ये हैं चःकाय, गच्छ, राजा, गृह देनेवाला और शरीर।

इसका यह स्पष्ट अर्थ है, कि इन पांच का आधार पाये विना सूत्र-चारित्र-धर्म टिक नहीं सकता। यहाँ, राजा शब्द से राज्य या राष्ट्र आशय है। यदि राष्ट्रीय-व्यवस्था-यानी राज्य-प्रबन्ध-न हो, तो चोरी आदि कुकर्म फैलेंगे और इनके फैलने पर

सूत्र-चारित्र-धर्म ठहर नहीं सकते। जो लोग अपनी रक्षा के लिए शब्दादि रखते हैं, उनका भी विना राष्ट्र-धर्म यानी राष्ट्र भी समुचित व्यवस्था के, दुष्टों से संरक्षण नहीं होता है, तो जो साधु-लोग किसी को मारने के लिये एक लकड़ी भी नहीं रखते हैं, क्या दुष्ट लोगों के मारे वे संसार में शान्ति-पूर्वक धर्म पालन कर सकेंगे? इसीलिए, ठाणांग सूत्र के पांचवें ठाणे में, राजा को धर्म का रक्षक माना गया है।

शास्त्रकारों ने, इसीलिये राष्ट्रधर्म की आवश्यकता बतलाई है। राष्ट्र-धर्म, सूत्र-चारित्र-धर्म का रक्षक है। जो लोग, धर्म की एक ओर से तो रक्षा करें और दूसरी ओर से नाश होने दें, तो क्या उनका धर्म ठहर सकेगा?

‘नहीं’

केवल सूत्र-चारित्र-धर्म को मानना और राष्ट्र-धर्म को न मानना वैसा ही है, जैसे मकान की नींव खोदकर, या वृक्ष की जड़ काटकर, उसके सुरक्षित रहने की आशा करना। सूत्र-चारित्र धर्म, मकान या वृक्ष के फल के समान हैं और राष्ट्र धर्म मकान की नींव या वृक्ष की जड़ के समान। जो लोग, इन ग्राम, नगर और राष्ट्र-धर्म को एकान्त पाप बतलाकर, इनकी जड़ काटते हैं, वे सूत्र-चारित्र-धर्म की भी जड़ काटने वाले हैं।

“आज, बहुत से लोग, बात को सुनकर “तथ्य” कह देना

जानते हैं, परन्तु यह कभी नहीं सोचते, कि इनकी वात का दूसरे की वात से मिलान तो करें, या शास्त्र में क्या लिखा है, यह तो देखें। वर्तिक कुछ लोगों की ऐसी संकुचित मनोवृत्तियाँ हो रही हैं, कि दूसरे की वात सुनने में ही मिथ्यात्व लग जाने का भय रहता है कि। जैसे, कैसी-अमण ने चित्-प्रधान से कहा था, कि- परदेशी राजा जब किसी की सुनता ही नहीं है, तो हम उसे उपदेश देकर सन्मार्ग पर कैसे लावें ? ठीक यही दशा आज-के कुछ लोगों की हो रही है। किन्तु अब वह जमाना नहीं रहा, अब जागृति का समय है। किसी की वात को विना शास्त्र देखे और विना विचार किये मान लेने से, आगे पश्चात्ताप करना पड़ेगा। यही नहीं, ऐसे विचार रखने से भविष्य में अफल्याण होने की सम्भावना रहती है और ऐसे विचार रखने वाले एवं आचरण करनेवाले श्रावक, जैन-धर्म और जैन-शास्त्र की भी निन्दा करवाते हैं। इसीलिये हम कहते हैं, कि जैन-धर्म

६ तेरहपन्थी-सम्प्रदाय के साथ, अपने श्रावकों को उपदेश देते हैं कि यदि तुम वाईंत-सम्प्रदाय के पूज्यजी का व्याख्यान सुनने जाओगे, तो तुम्हें मिथ्यात्व लग जावेगा। यहीं तक नहीं, वे अपने श्रावक शाविलाओं को दृसके लिये सौंगन्द भी दिलवाते हैं। कैसी मानसिक दुर्बलता है !

—सम्पादक ।

और जैन-शास्त्र को लंबाओ मत। प्रत्येक वात को बुद्धि से विचारो, दूसरे की सुनो और शास्त्र में भी देखो। केवल अन्य-विद्यास के सहारे, किसी वात को पकड़ रखना उचित नहीं है।

आज, दूसरे लोग जैनियों की हँसी करते हैं। इसमें जैन-शास्त्र का दोष नहीं है। शास्त्र तो स्पष्ट कह रहे हैं, कि राष्ट्र-धर्म भी धर्म का एक अङ्ग है। यह दोष तो समझने और समझाने वाले का है। समझने और समझाने वालों की कमी से, आचरण में आना और भी मुश्किल हो गया है। यही कारण है, कि लोग जैन-धर्म को सङ्खाचित तथा अव्यवहारिक-धर्म कहकर उसकी खिल्ली बड़ाते हैं।

राष्ट्र-धर्म के समझाने में, ऊपर भगवान् ऋषभदेव का उद्दाहरण इसलिए दिया है, कि आप लोग उनके कामों की अव-हेलना न कर सकें। शास्त्र में कहा है:—

‘पदा हियष्टयाये’

भगवान् ऋषभदेव ने प्रजाहित के काम किये हैं। उनकी स्थापित की हुई राजनीति से ही, आज आप लोगों का काम चल रहा है। लोगों ने, इस्म फैलाकर उनकी वताई हुई नीति को उलटी अवश्य करदी है, परन्तु उन्होंने तो ये काम सबके हित की हाथि से ही किये थे। जो मनुष्य, उनके कामों को

एकान्त पाप बतलाते हैं, वे भूल करते हैं क्षि । ऐसा कहने वाले, अभी इतने ज्ञानी नहीं हो गये हैं, कि भगवान् ऋषभदेव के कामों को एकान्त-पाप कह सकें । भगवान् ऋषभदेवजी ने जो नीति स्थापित की है, उसमें से एक विवाह को ही लीजिये । यदि विवाह प्रथा न होती और वही दशा होती, जो जुगलियों में थी तो आज मानव समाज की क्या दशा होती । जुगलियों में तो शांत-भाव था, इसलिये वे 'काम' को अपने वश में रखते थे, लेकिन आज विवाह प्रथा होने पर भी कई लोग पराई खी पर हाथि ढालते हैं, तो विवाह-प्रथा न होने पर पशुओं से गये बीते होते या नहीं ? पशुओं में तो फिर भी मर्यादा है, परन्तु मनुष्य तो विवाह-प्रथा होने पर भी तीसों दिन भ्रष्ट होते हैं, विवाह प्रथा न होती, तो क्या करते ? इन बातों पर विचार करने से, भगवान्-ऋषभदेव की स्थापित-नीति का महत्व समझ में आ जाता है । यदि इन बातों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें, तो जो भगवान् के इन कामों को पाप बतलाते हैं, वे ऐसा कहने का साहस फिर न कर सकें ।

४ जैन-क्षेत्रान्ध्र—तेरहपन्थी लोग, भगवान् ऋषभदेव के इन सब कामों को पृकान्त-पाप कहते हैं । उनको दृष्टि में, केवल सूत्र-चारित्र-धर्म को छोड़कर संसार के द्वेष सब काम पृकान्त पाप हैं ।

—सम्पादक ।

पाखरण्ड-धर्म

तीन धर्मों की व्याख्या तो हो चुकी, अब चौथे-धर्म
अर्थात् 'पाखरण्ड धर्म' के विषय में कुछ कहते हैं।

'पाखरण्ड धर्म' का अर्थ यदि किसी साधारण-मनुष्य से पूछें,
तो वह चक्कर में पड़ जायगा कि जो पाखरण्ड है, वह धर्म कैसे
हो सकता है? साधारण लोग, पाखरण्ड शब्द का अर्थ केवल दृम्भ
ही मानते हैं, परन्तु दशवैकालिक-सूत्र अध्याय २ निरुक्ति १५८
की टीका में पाखरण्ड शब्द का अर्थ यों किया है:—

पाखरण्ड व्रतमित्याहुस्तद्यस्यारत्यमल्लं भूति ।

स पाखरण्डी वदन्त्यन्ये, कर्मपाशा द्विनिर्गतः ॥

अर्थात्—पाखण्ड नाम व्रत का है। जिसमा व्रत निर्मल है उस,
कर्म-वन्धन से विनिर्मुक्त पुरुष को पाखण्डी कहते हैं।

जिन्हें प्रतिक्रमण आता हो, उनसे पूछते हैं, कि प्रतिक्रमण
में 'पर-पाखरण्ड' आता है, इसका अर्थ क्या है? यदि पाखरण्ड
का अर्थ केवल दृम्भ होता है, तो इसके पहले 'पर' लगाने
की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि जैसे पराया पाखरण्ड बुरा है,

वैसे ही अपना पाखण्ड भी तो बुरा होना चाहिए, फिर 'पर' क्यों लगाया ? केवल यही कहा जाता कि 'मैंने यदि पाखण्ड की प्रशंसा की हो, तो तत्समिन्द्रामि दुष्कड़' किन्तु ऐसा न कहकर 'पर पाखण्ड' क्यों कहा है ?

पाखण्ड का एक अर्थ दर्शभ भी है। दूसरे के धर्म को खण्डन करने के लिये भी, लोग पाखण्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए शैव, वैष्णव को और वैष्णव शैव को इसी प्रकार जैनधर्मावलम्बी, इतर धर्मावलम्बियों को और इतर धर्मावलम्बी, जैन धर्मावलम्बियों को 'पाखण्डी' कहते हैं, परन्तु पाखण्ड शब्द का अर्थ सब जगह यानी सर्वत्र, दर्शभ मानना, जैन शास्त्र से सम्मत नहीं है।

पापों का नाश करनेवाले ब्रत का नाम भी, पाखण्ड है, ऐसा वर्णन जैनशास्त्रों में आया है। ठाणांग-सूत्र में, पाखण्ड-धर्म कहा है, उसमें ब्रतियों के धर्म का भी समावेश है। प्रश्नव्याकरण-सूत्र के दूसरे सम्बरद्धार में भी ऐसा पाठ आया है—

"अणेग पासंडि परिग्नाहितं , ,

टीका-अनेक पाखण्ड परिगृहीत-नाना विध ब्रतिभिरद्वीकृतं ।

अर्थात्—अनेक ब्रकार के ब्रतधारियों से स्वीकार किया हुआ ।

ब्रत का नाम पाखण्ड है और वह ब्रत जिसमें हो, उसे पाख-

रहडी कहते हैं। उन पात्रगिडयों से धारण किये हुए होने के कारण सत्य ब्रत 'अनेक पात्ररहडी परिगृहीत' कहागया है।

यदि पात्रणड शब्द का अर्थ केवल चुरा ही होता, तो दश-वैकालिक सूत्र में "समण" शब्द की व्याख्या करते हुए—

पचहड़ा, अणगार, पात्रटे, चरण तापते भिक्षु ।

परिचाइए य समण निरगंधे संजाए गुर्ज ॥

अमण को, अणगार, पात्ररहडी, प्रवर्जित, निप्रन्थ, संजती आदि क्यों कहते ? और प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी पात्रणडी को ब्रती क्यों कहा जाता ?

"पात्रणड" नाम ब्रत का है। क्योंकि ब्रत, पाप से रक्षा करता है। ब्रत से पाप का रक्षण होता है, इसलिए वह ब्रत आचार जिसमें हो, उसका नाम पात्रणडी है।

पात्रणड, धर्म और दम्भ दोनों का नाम है। ग्राम, नगर और राष्ट्र में फैलनेवाले दम्भ को, अधर्म कहते हैं। वह, दम्भ रूप पात्रणड, अधर्म कहा जायगा। उसे कोई पात्रणड-धर्म कैसे कह सकता है ? क्योंकि धर्म से रक्षा होती है और अधर्म से नाश ।

यहाँ, पात्रणड शब्द का अर्ध पाप नहीं है, वर्तिक लौकिक तथा लोकोत्तर ब्रतों का पालन है। गृहस्थाश्रम में रहकर जो

ब्रत पालन किये जाते हैं, उनका भी समावेश इसी में होता है ।
शास्त्र कहता है:—

‘गिही वासे वि सुव्यया’

अर्थात्—गृहस्थाश्रम में रहकर सुब्रत का पालन करता है उसे सुब्रती कहते हैं ।

धृति आदि सद्गुणों का पालन करना भी सुब्रत कहा जाता है । ऐसे कहा है:—

‘धृत सत् पुरुष सुवत्ता’

जो सत्पुरुष धृति आदि नियमों का पालन करता है, उसका नाम सुब्रती है ।

चाहे जितनी विषत्तियां घेरें, किन्तु उदार-प्रकृति होने से जो सदाचार को न त्यागे, उसे सुब्रती कहा है । जिस जगह ये व्यादा होंगे, वही ग्राम, देश और नगर सुरक्षित होता है । नीति में कहा है:—

प्रिया न्याय्याद्वत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् ,

असन्तो नाभ्यर्थाः सुहृदपि न याच्यस्तनु धनः ।

विपद्यच्चैः स्थेयं, पदमनुविधेयं च महतां,

सतां केनोद्दिष्टं विपंसमसिधारात्रतमिदम् ? ॥

अर्थात्—विपत्ति पड़ने पर ऊंची जगह पर रहना और बड़े लोगों के

नार्ग से चलना । न्यायानुकूल जीविका में प्रेम रखना, प्राण निकलजाने पर भी पाप-कर्म न करना । असज्जनों से किसी चीज के लिये याचना न करनी और थोड़े धनवाले मिश्र से भी नहीं मार्गिना । यह बदा ही कठिन धर्मिधारा व्रत सज्जनों को किसने सिखलाया ? अर्थात्-पिना हो किसी के सिखलाये ये सब गुण सज्जनों में स्वाभाविक ही होते हैं ।

जिस समय, प्राम-धर्म, नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म इन तीनों धर्मों का समुचित रूपेण पालन होता है, तब व्रत-स्वरूप पाखण्ड धर्म की भी उत्पत्ति होती है और इस धर्म के उदय होने पर, ऐसे धर्म-शील मनुष्य पैदा होते हैं, जो कठिन से कठिन व्रतों का भली भाँति पालन करके उच्च-आदर्श उपस्थित करते हैं । ये व्रतधारी, कष्ट में ऐसे धैर्यवान और अद्विग्न होते हैं, जैसे-मेरु । सब देश और सब जाति में, ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं, कि लाख कष्ट होने पर भी धर्म न छोड़ें । ऐसे ही व्रतधारी—मनुष्यों को सुन्नती कहा है ।

धर्म की जो सीमा महापुरुषों ने बांधी है, उसको छोड़कर संकट में भी कुपथ पर न जाँय, यह सुन्नती का व्रत है । सुन्नती को न्याय-वृत्ति-प्रिय होती है । वह चाहे भूखों मर जाय, परन्तु उसे अन्याय कदापि प्रिय नहीं हो सकता । बड़े से बड़ा कष्ट पड़े, किन्तु अन्याय से पैदा किये हुए पैसे को वह कभी स्पर्श न करेगा ।

आज, एक पैसे के लिये भी लोग मूँठ बोलने को तैयार रहते हैं। सोचते हैं कि 'सामायक में वैठे, उत्तनी देर धर्म है, चाकी दूकान पर तो सब पाप ही पाप है'। इसी नीच-विचार से पाप होते हैं।

जो मनुष्य सुन्नती हैं, वे ग्राण-भङ्ग होने पर भी मलिन आचरण करने का विचार तक नहीं करते। सुदर्शन श्रावक ने प्रसन्नता-पूर्वक शूली पर चढ़ा जाना स्वीकार कर लिया, किन्तु अभयारानी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। श्रावक ही ऐसे होते हैं, यह बात नहीं है। जोधपुर के राठोड़ दुर्गादास के चरित्र को देखो। उसे औरङ्गजेब की वेगम गुलनार ने, दिल्ली का तख्त देने को लालच दिया, और प्रार्थना की कि मुझे अपनाओ। उसने यह भी कहा, कि यदि आप मुझे स्वीकार करें, तो मैं आज ही बादशाह को मार कर आपको दिल्ली का सम्राट बना दूँ; किन्तु दुर्गादास ने उत्तर दिया कि 'तू मेरी माँ है'। जब गुलेनार ने अपने प्रलोभन को निष्फल होते देखा, तो उसने दूसरा मार्ग ग्रहण किया। दुर्गादास को डाटने लगी, कि यदि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार न करोगे, तो यह मेरा लड़का कामवर्खश खड़ा है, मैं अभी तुम्हारी गर्दन कटवा दूँगी। दुर्गादास ने कहा—'मैं इसकी परवा नहीं करता, मुझे अपने आणों की अपेक्षा सदाचार अधिक प्रिय है।' ऐसे मनुष्य को,

श्रावक न होने पर भी ऐसी न्यायवृति रखने के कारण, क्या न्यायी पुरुष न कहेंगे ?

जो मनुष्य सुन्नती है, वह अपने मित्र से भी कभी दाचना नहीं करता कि तू मुझे दे । उसका यह ब्रत होता है, कि मित्र को देना चाहिए, उससे मांगना न चाहिए । यह बात दूसरी है, कि कष्ट में देखकर मित्र स्वयं उन्हें कुछ दे और वे लेलें; किन्तु कठिन से कठिन कष्ट में पड़ कर भी सुन्नती, अपने सुंह से किसी को यह न कहेंगे कि हमें कुछ दो ।

सारांश यह कि पाखण्ड शब्द का अर्थ है ब्रत, और लौकिक तथा लोकोत्तर ब्रतों के धारण करने वाले मनुष्यों को पाखण्डी कहते हैं । जिस धर्म से ब्रतों का सुचारू-स्वप से पालन हो सके, उसे शास्त्रकारों ने पाखण्ड-धर्म कहा है ।

कुल-धर्म

कुल-धर्म अर्थात् कुलाचार रूपी धर्म। कुल धर्म उसको कहते हैं, जिसके पालन से कुल, पतित-अवस्था से निकल कर उस अवस्था में प्राप्त हो। शाथवा यों कहें कि दुर्गुणों से निकल कर सद्गुणों में स्थापित हो।

जिस समय, देश में ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म और पाखण्ड-धर्म का अन्वयी तरह पालन होता है, तब कुल-धर्म की भी वृद्धि होती है। या यों कहें कि उस समय की प्रजा कुल-धर्म पालने में हड़ होनी है।

कुल-धर्म के दो भेद हैं, एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर। जिस धर्म के पालन से, वंश की उन्नति हो और दुर्व्यवस्था भिटकर सदाचार की वृद्धि हो, कुल की रुपाति हो, उसे लौकिक कुल-धर्म कहते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि सूत्र-चारित्र-धर्म तो धर्म हैं, बाकी के सब धर्म, पाप हैं। उनसे पूछना चाहिए, कि क्या अच्छे कामों

द्वारा कुल को ऊँचा चढ़ाना भी पाप है ? और यदि ऊँचा चढ़ाना पाप है, तो क्या अधोगति में डालना धर्म है ?

लौकिक कुल-धर्म के पालने वाले, एक-एक ऐसे-ऐसे होते हैं, कि चाहे उनके प्राण चले जायें, किन्तु पूर्वजों के अच्छे व्यवहारों को नहीं छोड़ते । चाहे एक-एक अन्न के कण के लिये उन्हें तरसना पड़े, 'किन्तु न तो कभी चोरी करेंगे और न कभी मूँठ बोलेंगे । यह उच्चता उनमें केवल अपने कुज्ज का धर्म पालने के ही कारण आती है ।

एक मनुष्य कुल को ऊँचा करने तथा दूसरा-मनुष्य कुल को नीचा करने का काम करता है । इन दोनों में कुछ अन्तर है, या दोनों ही वरावर हो जायेंगे ?

'वहुत अन्तर है'

सूत्र-चारित्र-धर्म तो सम-हृषि होने पर आते हैं; किन्तु यदि किसी मनुष्य से सूत्र-चारित्र-धर्म का उदय न हुआ हो, तो क्या उसे कुल-धर्म का पालन न करना चाहिए ? नाना प्रकार के सङ्कट सहकर भी, जो मनुष्य कुल-धर्म की रक्षा के लिये कभी चोरी, व्यभिचारादि अधर्म नहीं करता, जसे इस कुल-धर्म के पालन के कारण जो पापी कहे उसकी बुद्धि के विषय में क्या कहें ?

कुल धर्म को पाप बतलाने वाले, कभी यह सोचने का कष्ट

नहीं करते कि जो मनुष्य कुलधर्म का ही पालन न करेगा, वह सूत्र-चारित्र-धर्म का पालन कब कर सकता है ? इसके अतिरिक्त जब कुलधर्म ही नष्ट हो जायेगा, तो सूत्र-चारित्र-धर्म टिकेगा किस पर ?

कई आदमी यह दलील देते हैं, कि जिस काम की आज्ञा अरिहन्त दें, वह धर्म है और जो काम अरिहन्त की आज्ञा में न हो, वह पाप में है । यह कहना भी सूत्र के नहीं जानने का परिणाम है । क्योंकि, भगवान की आज्ञा तो केवल समदृष्टि ही मानता है और कुलधर्म तो समदृष्टि, मिथ्या-दृष्टि आदि सभी पालते हैं । भगवान की आज्ञा नहीं मानता है, तो क्या मिथ्या-दृष्टि के कुलधर्म के अच्छे कार्य पापमय हो सकते हैं ।

‘कदापि नहीं’

अतएव यह कहना मिथ्या है कि भगवान की आज्ञा के सिवा जो कार्य किये जावें, वे एकान्त पाप हैं ।

मेरा कोई शिष्य मेरी वात को न माने, तो मैं उसे क्या कहूँगा ?

‘आज्ञा वाहर’

किन्तु यदि वह मेरी आज्ञा से निकलकर भी शील का पालन करता हो, तो क्या मैं उसे कुशीला कह सकता हूँ ?

‘नहीं’

इसी तरह अरिहन्त की आज्ञा तो केवल ज्ञान, दर्शन और

चारित्र इन तीन की है। किन्तु जिसमें ये नीजों न हों, उसके अन्द्रे कार्य भी पाप मानना कैसे उचित है?

भगवान् अरिहन्त ने, केवल आत्म के बाद, केवल लोकोत्तर-धर्म के पालन करने की ही आद्धा दी है। जब तीर्थीकर द्वादशपत्ने में गृहवासि ने रहते हैं, तब लौकिक धर्म पालन करने की आज्ञा देते हैं। किन्तु लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों धर्मों का स्वरूप बतलाना द्वादश और नवद्वादश सभी का आचार है।

कुल-धर्म के आचरण का अर्थ है, कुल दो ऊंचा उड़ाना और अपने पूर्वजों के अन्द्रे से अन्द्रे सिद्धान्तों का उचित-रूप से पालन करना। सूत्र-चारित्र-धर्म का आधार भी कुल-धर्म माना गया है। क्योंकि शाखों में आचारों के गुण कहे हैं, वहाँ भी 'जाइ सम्पन्न' 'कुल सम्पन्न' कहा है। अतएव कुल-धर्म भी चारित्र-धर्म के अनुकूल माना गया है।

गण-धर्म

गणधर्म उस धर्म को कहते हैं, जिसे पालने की गण के प्रत्येक सभ्य पर जिम्मेदारी रहती है।

'गण' समूह को कहते हैं, जिसे कुछ भनुष्यों ने निर्वलों की सहायता आदि के लिये बना लिया हो। जैसे नौ लच्छी और नौ मही ऐसे अठारह राजाओं का एक गण बना था जो सदैव निर्वलों की सहायता करता था।

गण-धर्म के पालन करनेवालों का यह ब्रत होता है, कि किसी भी देश या काल में, यदि सबलों के द्वारा निर्वल सत्तायें जाते हों, तो अपना तन, मन और धन खोकर भी उनकी रक्षा करना। इसे ही प्रजा सत्तात्मक राज्य भी कहते हैं।

वहिलकुमार, केवल चेडा राजा का दोहिता था, अठारह राजाओं का नहीं। परन्तु चेडा ने, गण के अठारहों राजा को एकत्रित करके, वहिलकुमार का किस्सा सुनाया कि, यह द्वार-हाथी देने को तयार है, परन्तु राज्य में जैसे और ग्यारह

भाइयों को हिस्सा मिला है, वैसे ही इसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। यदि इसे हिस्सा न मिले, तो फिर केवल एक को ही राज्य मिल जाना चाहिए था। अन्य भाइयों को तो हिस्सा दिया गया और इसे नहीं दिया गया, यह अन्याय है। यदि वे हिस्सा देते हों, तो यह हार-हाथी लौटाने को तैयार है और यदि वे हिस्सा न देते हों, तो यह भी हार-हाथी नहीं लौटा सकता। ऐसी अवस्था में यदि आप लोग कहें, तो मैं इसको वहां भेज़दूँ और नहीं तो कोणिक का सामना करें।

“ यहां मालूम होंगा कि गण-धर्म का क्या महत्व है और उसके पालनेवालों में कितनी दृढ़ता की आवश्यकता है। आज के लोग होते, तो कह देते कि किसका लेना और किसका देना। हार-हाथी या राज्य चूल्हे में पड़ो, हम इस झगड़े में क्यों पड़ें? किन्तु वे लोग ऐसे कुल में जन्मे थे, कुल-धर्म के ऐसे पालने वाले और गण-धर्म के ऐसे मर्मज्ञ थे, कि चाहे प्राण चले जायं, परन्तु धर्म न छोड़ें।

उन सब राजाओं ने उत्तर दिया, कि वहिलकुमार अथवा हार-हाथी को वहां भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें गण की ओर से पहले सूचना दी जावे, कि वे वहिलकुमार के साथ न्याय करें, अथवा युद्ध के लिये तयार हो जायें। आप तयारी कीजिये, हम भी आपका साथ देने को तयार हैं।

इसका नाम गणधर्म है। गणधर्म के ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, कि चाहे मर गये, सर्वस्व नष्ट होगया, किन्तु अपने धर्म के पालन से विमुख नहीं हुए।

यहां कोई यह शङ्खा कर सकता है, कि अच्छे काम का नाम धर्म है, परन्तु यहां तो हार-हाथी न देने से संग्राम होगा और हार-हाथी दे देने से न होगा, ऐसी अवस्था में हार-हाथी न लौटाकर संग्राम की तैयारी की, यह धर्म कैसे हुआ ?

मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कि साधु की बन्दना के लिए राजा सेना लेकर आवे और एक आदमी अकेला आवे, अब जीव किस से ज्यादा मरे !

'राजा की सेना से'

राजा परदेशी केशीश्रमण से खूब चर्चा करके बिना खमाचे जाने लगा। तब केशीश्रमण ने उससे कहा कि राजा ! इतनी देर तक चर्चा करने में तुमने मुझसे बहुत-सी आड़ी-टेढ़ी वातें की और अन्त में बिना ज़मा मांगे जाते हो, क्यां यह साधु की अवज्ञा नहीं है ? राजा परदेशी ने उत्तर दिया कि, मैं इस वात को जानता हूँ, किन्तु मेरी यह भावना नहीं है कि मैं आपको न खमाऊँ। मेरा विचार है, कि मैं परिवार सहित सेना लेकर आऊँ, तब आपको खमाऊँ।

सोचना चाहिए, कि यदि राजा अकेला ही खमा जाता, तो जीव-हिंसा कम होती और सेना लेकर खमाने आवे, तो जीव-हिंसा ज्यादा हो। फिर सपरिवार सेना सहित खमाने आने में क्या विशेषता है? और जब परिवार तथा सेना के साथ आने में ज्यादा हिंसा होने की सम्भावना थी, तो केशी-श्रमण ने यह क्यों नहीं कह दिया कि सपरिवार सेना सहित बन्दना करने आकर जीवों की विराधना करने की आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हें खमाना ही है, तो अकेले ही खमा जाओ? इसका समाधानकारक उत्तर क्या होगा?

इस प्रश्न का मर्म विचारने से यह मालूम होता है, कि राजा के अकेले नहीं खमाने का तात्पर्य यह है, कि अकेले खमाने से बहुजन-समाज पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता; और सपरिवार सेना सहित आने से, बहुजन-समाज पर धर्म का असाधारण-प्रभाव पड़ता है। इससे जैन धर्म की प्रभावना यानी जैन-धर्म का दिपाना होता है। इसी कारण केशी-श्रमण महाराज ने, सेना-सहित बन्दना करने आने का निपेध नहीं किया और आने-जाने में बहुत द्विन्द्रियादिक-प्राणियों की विराधना होने की सम्भावना अवश्य है, अतएव केशी-श्रमण महाराज ने ऐसी आज्ञा भी न दी, कि तुम अवश्य सपरिवार सेना सहित बन्दना को आना। केवल आरम्भ को देखें और

इससे होते बाले लाभ को न देखें, तो क्या यह न्याय हो सकता है ?

‘नहीं’

राजा परदेशी मूर्ख नहीं था, विक्रिय समझदार था। कभी यह मानले, कि राजा को ज्ञान नहीं था, तो केशी श्रमण को तो ज्ञान था ? यदि राजा का ऐसा करना उचित नहीं था, तो उन्होंने राजा को निषेध क्यों नहीं किया ? इस पर से समझना चाहिए कि साधु, शापना-उथापना में न रहे, परन्तु जो बात उचित है, उसे कैसे मना करदे ?

अब आप लोग प्रश्न करेंगे, कि राजा परदेशी की बात तो सूत्र-धर्म की है और यहां चर्चा है गणधर्म की । यदि लड़ाई हुई तो बहुत से मनुष्य मरेंगे, अतः हम इसे उचित कैसे मान लें ? इसका उत्तर यह है कि जैसे सूत्र धर्म में राजा यदि अकेला ही बन्दना कर लेता, तो जनता तथा सेना पर उसका प्रभाव न पड़ता, ऐसे ही गण-धर्म में यदि गणधर्मी लोग यह कह देते कि हार-हाथी दे दो, तो लोग उन्हें डरपोक कहते या बार ?

‘ठरपोक’

और यदि हार-हाथी दे देते, तो संघ-धर्म का नाश होता या उसकी रक्षा होती ?

‘नाश होता’

प्रत्येक मनुष्य इस बात को कहने लगता, कि जब तक सिर पर नहीं बीती, तब तक तो गणधर्म का स्वांग रचा और जब सिर पर आकर पड़ी, तब धर्म को छोड़ दिया। ऐसा कहने से गणधर्म तथा राजाओं को कलङ्क लगता या नहीं? और धर्म में से जब सत्य निकल जाता, तो धर्म का अपमान होता या नहीं?

जिस प्रकार राजा-परदेशी के सेना लेकर बन्दना करने आने से समक्षित-धर्म को लाभ हुआ, उसी प्रकार इन लोगों को हार-हाथी न देने से, गण-धर्म की रक्षा हुई। इस गण-धर्म की रक्षा में, जितने मनुष्यों का वध हुआ-उन सब के महान्-पाप का भागी कोणिक हुआ। क्योंकि उसी ने भूठी लड़ाई मचाई थी। इन लोगों ने, अन्याय के प्रतिकार के लिये जो लड़ाई की थी, उसमें आरम्भ तो अवश्य हुआ, किन्तु इन लोगों ने अन्याय का पक्ष नहीं लिया था, वल्कि न्याय का पक्ष लिया था।

आरम्भ को धर्म हम भी नहीं कहते, परन्तु धर्म की रक्षा करना भी तो आवश्यक है न? आरम्भ का नाम लेकर धर्म-बुद्धि का लोप कर देने से ही जैन-धर्म को लोग डरपोक समझते लगे हैं।

पहले के मनुष्य, इतने विचारशील और धर्म-पालन में ऐसे दृढ़ थे, कि युद्ध करना स्वीकार कर लिया, किन्तु शरण में आये हुए को अपनी शरण में न रखना या उसे न्याय न दिलाना स्वीकार नहीं किया। जो मनुष्य, अपनी शरण में आये हुए को न्याय देते हैं, वे कायर हैं। जो उदार और धर्मात्मा हैं, वे तो अपना सर्वस्व देकर भी शरणागत की रक्षा करते हैं।

इस युद्ध में जितने मनुष्यों का वध हुआ था, उन सब के लिये कोणिक को इसलिये जिसमेदार ठहराया जाता है, कि उसने अन्याय का पक्ष समर्थन करके युद्ध का बीजारोपण किया था। जब उसे किसी प्रकार भी अन्याय का पक्ष छोड़ते न देखा, तो विवश हो गए धर्मियों ने सत्य-पक्ष का समर्थन करके शरणागत की रक्षा एवम् गण-धर्म पालनार्थ युद्ध किया। चेह़ा तथा नौ मछि और नौ-लच्छि समहात्रि थे और कोणिक यद्यपि पहले महावीर का भक्त था किन्तु युद्ध के समय अन्याय का पक्ष पाती था।

एक मनुष्य, यदि दुष्ट भाव से प्रेरित होकर एक कीड़ी का भी वध करदे, तो वह पापी कहलायगा, किन्तु यदि कोई चक्रवर्ती-नरेश, अन्याय का विरोध करने के लिए अपनी चतुरझ सेना युद्धार्थ सजाता है, तो वह भी अपराधी नहीं कहलाता है। इसका कारण यह है, कि सम्राट् विवश होकर अन्याय-अत्य-

चार का विरोध करता है। यदि वह ऐसा न करे, तो समस्त देश में अन्याय फैल जाय और धर्म का पालन होना असम्भव हो जाय। दूसरी तरफ कीड़ी मारनेवाला, संकल्पजा हिंसा करता है, अतः वह अपराधी है।

इसी प्रकार कोणिक ने जान बूझ कर हिंसा की स्थिति उत्पन्न की और अन्याय का पक्ष लिया, अतः यह निरपराध को मारने का पाप हुआ और गणधर्मियों ने केवल अन्याय दबाने की इच्छा से विवश हो युद्ध किया, अतः उनपर अन्यायपूर्ण हिंसा की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

संघ-धर्म ।

संघ-धर्म, उस धर्म का नाम है, जिसके पालन करने से संघ के प्रत्येक मनुष्य की उन्नति हो ।

संघ-धर्म के दो भेद हैं। एक लौकिक संघ-धर्म और दूसरा लोकोत्तर-संघ-धर्म । लौकिक संघ-धर्म की व्याख्या करते हुए शान्ति कहता है:—

‘संघ धर्मो-‘गोष्ठी सामाचार’

शर्यान्—संघ या सभा के नियमोपनियम ।

जाहिर-समाचार, जाहिर-सभा तथा जाहिर-संस्था, जिसमें सब का हक्क समझा जावे, सब की सुव्यवस्था का विचार हो और जिसके द्वारा सब उन्नत हों, ये सब भेद लौकिक संघ-धर्म में समा जाते हैं ।

लोगों की ऐसी धारणा है, कि जैन-धर्म अपूर्ण तथा अव्यावहारिक है। किन्तु यदि कुछ तो उन लोगों की गलती है, जो जैन-धर्म का रद्दस्य समझे धिना केवल ऊपरी बातें देखकर

ऐसा कह डालते हैं और प्रधान दोप आजकल के उन जैन-भाइयों का है, जो कायरों की सी वृत्ति रख कर इस वीरों के धर्म को लजाते हैं। जैन-धर्म या जैन-शास्त्रों में सारे संसार के विचार भरे पड़े हैं।

जाहिर-समाचार, जाहिर-सभा तथा जाहिर-संस्था में, सारे संघ अर्थात् सारी प्रजा का हित देखा जाता है। जिस धर्म में, हिन्दू, मुसलमान या और किसी एक ही समाज का हित विचारा जाता हो, उसे कुलधर्म तो कह सकते हैं, किन्तु संघ धर्म नहीं कह सकते।

राष्ट्र का सम्पूर्ण संघ-धर्म ठीक उसी प्रकार का है, जैसे नेशनल कॉंग्रेस। ऐसे संघ-धर्म के अनुसार जो सभा या संस्था स्थापित हो, उसमें समष्टि के विरुद्ध किसी व्यक्ति-विशेष के हानि लाभ के वास्ते, समष्टि के कानून का भङ्ग करना तथा अपने स्वार्थ की बात घुसेड़कर समष्टि के अनुपकारी कामों को स्थान देना, संघ-धर्म का नाश करना है। यहां, केवल उन्हीं वातों का विचार होना उचित कहा जाता है, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो। जैसे अखिल-भारतीय संघ अर्थात्-ऑल-इण्डिया नेशनल-कॉंग्रेस ने निश्चित किया, कि विलायती-बख भारत में न आने पावे। इस ठहराव से यद्यपि थोड़े से कपड़े के व्यापारियों की हानि है, तथापि करोड़ों गरीबों

की हानि का विचार न किया जावे, तो यह संघ-धर्म की हानि है। अब, इस ठहराव की अवहेलना करके जो ध्यापारी संघ-धर्म से छल-उपट करता है, वह संघ-धर्म का नाश करता है। यदि निष्कपट भाव से संघ-धर्म का समुचित-स्पेण पालन किया जाय, तो संघ का बहुत-अधिक लाभ होने की सम्भावना है।

बुद्धिमान मनुष्य, केवल अपने स्वार्थ के लिये दुनिया का अहित नहीं चाहते। यह उदारता जहाँ के मनुष्यों में होती है, वहाँ के संघ का अहित कभी नहीं होने पाता। उदाहरणार्थ मान लाजिए, कि एक गांव के निवासी एकत्रित होकर नरेश से यह प्रार्थना करें, कि गायों के चरने के लिए कोई स्थान नहीं है, अतः एक मैदान गोचर-भूमि के लिए छोड़ दिया जावे और उस मैदान की चराई या कर न लिया जावे। इस प्रार्थना के स्वीकार हो जाने से, गांव के अधिक से अधिक मनुष्यों को लाभ पहुँच ने की आशा है। किन्तु यदि एक मनुष्य यह सोचकर, कि 'गांव के हानि-लाभ से अपने को क्या मतलब है, तथा राजा का पक्ष लेने पर राज्य में अपनी इज्जत हो जायगी और शायद कोई उपाधि भी मिलजाय; गांववालों की इस बात का विरोध करे अर्थात् उनके उपायों को असफल करने का प्रयत्न करे, तो समझना चाहिए कि वह संघ-धर्म का नाश करनेवाला है। प्रजा के हित का ध्यान न रखकर राजा की तरफ होजाय और केवल

अपने स्वार्थ के लिये हजारों के गले कटवावे, यह एक साधारणा-गृहस्थ के लिये भी अनुचित है, तो बारह-न्रतधारी आवक, यह कार्य कर ही कैसे सकता है ?

कुछ सज्जन, संघ-धर्म के संगठन और संघ-धर्म की रक्षा के लिये किये जानेवाले कार्यों को एकान्त-पाप कहते हैं; किन्तु जिस संघ-धर्म के पालन से मानव-समाज नीचकर्म छोड़ देता है, और ऐसा होने से संसार के उथान के साथ-साथ मूल-चारित्र-धर्म के पालन के लिये ज़ेत्र तैयार होता है, क्या उस संघ-धर्म को एकान्त पाप कहना उचित है ?

‘नहीं’

संघ-धर्म के पालन में, आरम्भ-समारम्भ अवश्य होते हैं, और उन्हें आरम्भ समारम्भ मानना भी चाहिए; किन्तु आरम्भ-समारम्भ भी दो तरह के होते हैं। जैसे एक मनुष्य अपनी पुत्री के लभ करे और दूसरा मनुष्य अपनी भाँ के लभ करे। लभ के ठाट-बाट दोनों में होंगे, किन्तु क्या दोनों लभ वरावर कहे जा सकते हैं ?

‘कदापि नहीं’

खर्च दोनों विवाहों में होता है, किन्तु क्या दोनों खर्च एक-समान हैं ?

‘नहीं’

किस्तु यदि फोड़े गयुए दोनों को एक समान कहे तो ?

‘बद नूठ कहना हैं’

इसी प्रकार आरंभ समारंभ की वात को समझना चाहिए ।

एक काम के करने से उन्नति होती है, और दूसरे के करने से आरंभ का भी पाप और उसके साथ-साथ अवनति तथा महा-पापों को उत्तेजना मिलती है । जिस कार्य के करने से उन्नति हो या लौकिक-धर्म का पालन हो और महान-पापों का प्रतिकार हो, उसके न करने से भी अवनति होती है, और महान पाप कर्मों को उत्तेजना मिलती है । यह जानने हुए भी, जो करने योग्य काम है, उन्हें पाप कहकर भी नहीं करते हैं, वे अपनी अवनति के साथ-साथ पापों की युद्ध करते हैं । करने योग्य कार्यों को एकान्न-पाप कहकर, लोग अपनी अवनति और पापों की वृद्धि न करें, इसीलिये संघ-धर्म की स्थापना होती है ।

यह, संघ-धर्म के लौकिक-धर्म के विषय में कुछ बतलाया गया है, अब लोकोचर संघ-धर्म के विषय में कुछ कहते हैं ।

जिस धर्म के पालन से, सामृ-सात्री श्रावक-श्राविका ऐसे पतुरिय-संवर्ध की उन्नति हो, वह लोकोचर संघ-धर्म है । लोको-चर संघ-धर्म में भी, अग्निगत-ज्ञान न देखकर, जिससे सारे संघ को लाभ हो, वह वात देखनी और करनी चाहिए ।

यदि कोई यह कहे, कि संघ-धर्म तो सूत्र और चारित्र-धर्म में वटगया, फिर यहाँ उसका अलग वर्णन क्यों किया ? तो उस का यह कथन गलत है। सूत्र और चारित्र-धर्म पृथक् हैं और संघ-धर्म पृथक् है। संघ-धर्म में, गृहस्थी और साधु इन के अलग-अलग कर्तव्य वतलाये गये हैं। इन दोनों के कर्तव्य यदि विभक्त न कर दिये जायें, तो संघ का चल सकना कठिन हो जाय। इस बात को, निम्नोक्त उदाहरण से स्पष्ट करते हैं।

एक मनुष्य, कपड़े की दूकान करता है और दूसरा जवाहिरात की। यद्यपि लौकिक-संघ का विचार करते समय, दोनों समान समझे जावेंगे, तथापि वे एक दूसरे का कार्य करने में असमर्थ हैं। यानी, यदि जौहरी को कपड़े की और बजाज को जवाहिरात की दूकान पर बैठा दें, तो दोनों ही दूकानें नष्ट हो जावेंगी।

इसी प्रकार गृहस्थ और साधु मिलकर ही संघ बनता है, और सारे संघ का प्रश्न उपस्थित होने पर सब एक समान गिने जाते हैं, किन्तु जिस प्रकार जौहरी, बजाज की और बजाज, जौहरी की जवाबदारी नहीं सम्भाल सकते, उसी प्रकार साधु, श्रावक की और श्रावक, साधु की जवाबदारी भी पूरी नहीं कर सकते। यदि साधु की जवाबदारी को श्रावक पर डाल दें, तो वह निश्चय ही नष्ट हो जाय। जैसे एक बालक को जो दूध

पीकर ही जीवित रह सकता है, यदि कोई साध्वी आँचल पिलावे तो ?

“दोष लगे”

किन्तु यदि कोई गृहस्थ-बाई यह कहकर, कि “साध्वी को बड़ा पिलाने में पाप लगता है, इसलिये मैं भी अपने बचे को दूध न पिलाऊँगो”, बालक को दूध न पिलावे, तो आप लोग उसे क्या कहेंगे ।

“निर्दयी”

शास्त्र ने, श्रावकों के लिए पहले-अणुन्तर के पाँच अतिचार कहे हैं। उनमें, भातपानी का विद्योह करना भी एक अतिचार है और साधु यदि किसी जानवर आदि को भात-पानी दे, तो अतिचार कहा है। अब यदि साधु का भार श्रावक पर डाल दिया जावे, तो श्रावक के धर्म का पालन कैसे हो सकता है ?

कुछ लोग कहते हैं, कि वस यह सीख लेने से कि “जो काम साधु करें, वह धर्म और जो काम साधु न करें, वह पाप है” श्रावक समकित पाजाता है क्योंकि उन्होंने अपनी समझ से इसी में सब शास्त्रों का सार भर दिया है। किन्तु प्रत्येक को अपनी-अपनी जवाबदारी समझाये विना, संघ-धर्म की कितनी ज्ञाति होगी,

४८ तेरहपन्थ सम्प्रदाय के साधुओं की यह प्रस्तुपणा है ।

—सम्पादक ।

इस बात को सोचने का उन्होंने कष्ट भी नहीं किया और न यहीं विचार किया, कि श्रावक वे काम करके अपना श्रावक-धर्म कैसे छला सकता है, जो केवल संसार-त्यागी साधुओं के लिये ही निश्चित किये गये हैं।

एक साधारण घर में भी जब प्रत्येक-मनुष्य का पृथक्-पृथक् कार्यक्रम रहता है, तो इतने बड़े संघ का काम, विना विभाजित कार्य-प्रणाली के कैसे चल सकता है ? मानलीजिये, कि एक साहूकार के चार पुत्र-वधु हैं। एक की गोदी में शिशु है, दूसरी गर्भवती है, तीसरी बाँझ है और चौथी नवोदा है। अब, यदि सासू इन चारों के खान-पान, उठना-चैठना, काम-काज आदि की पृथक्-पृथक् व्यवस्था न करके, सब को एक ही ढङ्ग से रखें, तो क्या हो ?

“नुकसान होजाय”

साधुओं में भी कोई जिन-कल्पी है, कोई स्थविर-कल्पी है, कोई रोगी है और कोई तपस्ती है। इन सब का यदि वारीक-विचार से धर्म न वाँधा जाय, तो कदापि निर्वाह नहीं हो सकता। जब साधुओं में ही भीतरी-भेदों का विना अलग-अलग धर्म वाँधे निर्वाह नहीं है, तो साधु और श्रावक का निर्वाह, एक-धर्म पालने से कैसे हो सकता है ? साधुओं की आवश्यकताएँ, बहुत थोड़ी हैं और श्रावकों की बहुत-ज्यादा। यदि ऐसा न होता,

तो लोग, आवक से साधु बनें ही क्यों ? इसीलिये बनते हैं न, कि हमें आरम्भ-समारम्भ में न पड़ना पड़े और हमारी आवश्यकताएँ कम से कम हों । चाहि साधु और आवक का एक ही धर्म है, तो ऐसा कहने वालों ने दीक्षा क्यों ली ? आवक रहकर ही उस धर्म का पालन करते । साधु-आवक तो और वात है, केवल आवक-आवक को ही लीजिये । एक आवक ऐसा है, जिक अपने घर में अकेला ही है और ५-७ रूपये मासिक-व्यय से अपना निर्वाह कर सकता है । दूसरा आवक, राजा है और उसका बड़ा भारी परिवार भी है । अब, यदि अकेला रहनेवाला आवक कहे, कि जो मैं करता हूँ, वही धर्म है—अर्थात् ५-७ रूपये मासिक व्यय में ही घर-वर्च चलाना, यही धर्म है; इससे ज्यादा व्यय करनेवाला और जितना आरम्भ में करता हूँ, उससे ज्यादा आरम्भ समारम्भ करनेवाला, आवक-धर्म नहीं पाल सकता; तो क्या उसके हिसाब से वह राजा १२ ब्रतधारी-आवक हो सकता है ?

‘नहीं’

शास्त्र ने, प्रत्येक कोटि के व्यक्ति के लिए पृथक्-पृथक् धर्म चांध दिया है । एक मनुष्य, सोलह-देशों का राजा होने पर भी चारह-ब्रत धारण करनेवाला श्रेष्ठ-आवक हो सकता है । यदि शास्त्र-सम्मत और नीति-युक्त प्रत्येक काम को एकान्त-पाप बतलाया

जाता है, तो यह संघ-धर्म की हानि करनी है। कोई भी उदार-वृत्तिवाला मनुष्य, ऐसी संकुचितता के कारण संघ में नहीं आसकता।

उपरोक्त वाचों से सिद्ध है, कि साधु का आचार भिन्न और श्रावक का आचार-धर्म भिन्न है। जो लोग यह कहते हैं कि साधु-श्रावक दोनों का एक ही आचार-धर्म है, वे भूल करते हैं।

आजकल, संघधर्म भी चक्कर में पड़ा है। संघ की समुचित व्यवस्था न होने के कारण, साधु अपनी जवावदारी श्रावक पर और श्रावक अपनी जवावदारी साधु पर ढालते हैं। जैसे पाठशाला चलाना, गुरुकुल खोलना, कार्यालय की व्यवस्था करना, गोरक्षा अथवा अनाथ-रक्षा का प्रबन्ध करना, आदि। यद्यपि ये सब वार्ते ऊँची-नीची दया और परोपकार की अवश्य हैं, किन्तु यदि साधु इस प्रपञ्च में पड़े, और कहें कि हमारा काम गुरुकुल खुलवाने का है, तो यह ठीक नहीं है। यदि यह कहाजाय, कि साधु उपकार न करें, तो फिर कौन करे? तो मैं पूछता हूँ, कि जिनमें अनेक आरम्भादि क्रियाएँ करनी पड़तीं हैं ऐसे उपकार यदि साधु ही करने लग जायंगे, तो श्रावक लोग क्या करेंगे? जब श्रावकों की जिम्मेदारी का काम साधु ने ले लिया, तो क्या साधु के पञ्च-महाब्रतों का पालन श्रावक करे? यदि श्रावक का काम साधु लेलें, तो श्रावक तो पञ्च-महाब्रतों को पूर्ण-रूप से

पालन करने में असमर्थ हैं ही, अतः पञ्च-महात्रत की तो इस तरह हानि हो जाएगी न ?

साधु होकर किसी को सलाह दे, कि अमुक संस्था को एक-हजार रुपये दे दो, या ऐसा स्पष्ट न कहकर यों कहे, कि रुपयों का मोह उतार दो या पुद्रगलों का त्याग करदो । उस रुपये देने वाले को यह मालूम नहीं है, कि इन रुपयों का क्या होगा; किन्तु उसने साधु के कहने से रुपया दे दिया । साधुजी ने रुपया दिलाया है, अतः उसके हिसाब किताब और देख-रेख की जबाबदारी साधु की है । यदि संस्था में पोल चलो और उन रुपयों का अनुचित व्यय हुआ, तो इस विश्वासघात का पाप साधु पर है । क्योंकि उनकी ही साक्ष पर, देनेवाले ने रुपया दिया है । और यदि साधुजी उन रुपयों का हिसाब किताब उस संस्था में खुद ही रखें, तो वे महा-त्रतधारी नहीं हो सकते । ऐसी दशा में साधु, किसी संस्था में रुपये देने को कैसे कह सकता है ?

वर्तमानकाल की कई संस्थाओं में पोल चल रही है । स्वार्थ-न्यागी या लायक-मनुष्यों की पहचान नहीं रही और जो उठा, वही संस्था स्थापित करने के लिये तयार हो जाता है । ऐसे नये नये संस्था पैदा करनेवालों की परीक्षा किये बिना ही, साधु लोग, उनसे नियम-विमद्ध सहयोग करते और साधुपने

का हास करते हैं। जैसे किसी साधु ने किसी से कहा; कि तुम अमुक काम में दस हजार रुपये देदो। या यों स्पष्ट न कहकर, किसी और तरीके से कहा और उसने दे दिये। साधु ने ये रुपये दिलाये हैं, अतः इन रुपयों के हिसाब किताब की जिम्मेदारी साधु की हुई न ? अब साधु उन रुपयों के खर्च की देखरेख करे और हिसाब-किताब ठीक रखे या साधुपने का काम करे ?

जो काम श्रावक के करने योग्य हैं, वे श्रावक को और जो साधु के करने योग्य हैं, वे साधु को करने चाहिए। साधु, यदि श्रावक के काम करने लगे, अर्थात् दिन भर रुपयों की चिन्ता करता रहे, तो वह आत्म-चिन्तन क्या करेगा ? ऐसी दंशा में उसका साधुपना कैसे स्थिर रह सकता है ?

जिसमें थोड़ा आरम्भ और अधिक उपकार हो; ऐसे कार्य श्रावक लोग सदा से करते आये हैं। जैसे केशीमहाराज ने, चित प्रधान से कहा था कि 'परदेशी राजा जब मेरे पास आता ही नहीं, है, तो मैं उपदेश किसे दूँ ?' इससे मालूम होता है, कि राजा-परदेशी को केशीमहाराज के पास लाना, श्रावकों का कर्तव्य था, साधुओं का नहीं। यदि यह साधुओं का कर्तव्य होता, तो केशी-महाराज ही किसी साधु को भेजकर उसे बुलाते। किन्तु परदेशी राजा को चित-प्रधान लाया था। मतलब यह कि साधु, साधुओं के योग्य और श्रावक, श्रावकों के योग्य कार्य करते आये हैं।

मेरे इस कथन का सात्पर्य यह नहीं है, कि संघ में ऐसे कार्य अर्थात् पाठशाला या गुरुकुल न हों, किन्तु मेरा कहना साधुओं से है, कि उन्हें इस पञ्चायत में न पड़ना चाहिए। आवक को उपदेश देना साधु का काम है। जैसे केशीश्रमण ने राजा परदेशी को आवक बनाने के बाद कहा था कि 'राजा ! रमणीक से अरमणीक भत्त हो जाना।' इस पर से परदेशी ने स्वयं राज्य के चार भाग करके, एक भाग को दान में लगाना प्रारम्भ कर दिया। यह था केशीमहाराज के उपदेश का ही परिणाम, परन्तु केशीमहाराज ने स्पष्ट यह नहीं कहा, कि तुम ऐसा करो। उपदेश देने पर, आवक स्वयं अपने कर्तव्य को समझ लेगा; साधुओं को स्पष्टीकरण या आग्रह करने की और आवकों के पांछे हाथ धोकर पड़ाने की, आवश्यकता नहीं है। जिसकी शक्ति होगी और जिसकी श्रद्धा होगी, वह अपने आप सभ बातें समझेगा और उपकार करेगा। साधु, किसी को शर्म में डाले, यह बहुत अनुचित है।

यदि कोई साधु यह कहे, कि श्रावक लोग व्यवस्था करने तथा संस्था चलाने में असमर्थ हैं, अतः यदि हम संस्था का सञ्चालन न करें, तो कार्य कैसे चले ? इसका उत्तर यह है कि यदि वे इसी में संघ का कल्याण देखते हैं और अपने आप को बड़ा व्यवस्थापक मानते हैं, तो साधुपना दूषित न करके, श्रावक-

पक्षे में ये कार्य करें। फिर उनके विषय में कुछ कहने की ही आवश्यकता न रहेगी।

यह नियम जो विगड़ रहा है, इसके जिम्मेदार श्रावक लोग हैं। क्योंकि श्रावक लोग स्वयं, ऐसे नियम-विरुद्ध कार्य करने वाले साधुओं की सहायता करते हैं।

साधु को पढ़ना तो पड़ता ही है। यदि साधु लोग उच्चविद्या न पढ़ें, तो ज्ञान, दर्शन और चरित्र का महत्व मूर्खता में जायगा। यदि अशिक्षित रहने के कारण साधु लोग शास्त्रों की शुद्ध व्याख्या या शास्त्रपाठ का शुद्ध आचरण न कर सकें, तो भी धर्म की हानि होने की सम्भावना रहती है। क्योंकि आज परिस्थिति बदल गई है और हमें अपना संघ टिकाना है। इसलिये साधुओं को सब शास्त्रों में निपुण होकर, जैन-धर्म में प्रखर ज्योति फैलाना आवश्यक है। किन्तु, साधु पढ़-लिखकर तैयार हुए और वे विचारें, कि 'सम्प्रदाय-बन्धन में वैठे रहने पर हमको कौन मानेगा, इससे अलग हो जाना ही अच्छा है।' ऐसा सोचकर एक साधु, सम्प्रदाय से अलग होगया और स्वच्छन्दता के काम करने लगा। साधु को, अविनीत होने पर, आचार्य ने तो छोड़ दिया, किन्तु आचार्य के छोड़ देने पर, श्रावक लोग उस साधु के सहायक बन गये और सम्प्रदाय-बन्धन न मानने या साधुपने के विरुद्ध आचरण करने पर भी उसे पूजते रहे, तो क्या

वह साधु, आचार्य को पर्वा करेगा ? जो साधु, आज्ञा बाहर कर दिया जाय, उसे श्रावक पूजते रहे, तो यह आचार्य पद की जड़ काटनी है या नहीं ? यदि श्रावक लोगों को ऐसे कार्य करने ही हैं, तो गह उनकी सुशीली की बात है । किन्तु यह सदैव ध्यान रहे, कि ऐसे आज्ञा बाहर साधु के सहायक बन जाना, संघ-धर्म पर कुठाराधात करना है । जो शिष्य आज्ञा बाहर कर दिये गये हैं, उनके यदि श्रावक लोग सहायक बनते रहेंगे, तो फिर कोई भी शिष्य आज्ञा में नहीं रह सकता । प्रायः सभी स्वतन्त्र होकर कहेंगे, कि इन साम्प्रदायिक बन्धनों की जखरत नहीं है ।

जो साधु, यह कहते हैं, कि हमें साम्प्रदायिक बन्धनों की जखरत नहीं है, उनसे पूछना चाहिये, कि आपको जब साम्प्रदायिक-बन्धनों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो फिर मुंह-पत्ती और वेश क्यों रखते हैं ? इसका उत्तर इसी अर्थ में होगा, कि विना मुंहपत्ती और वेश के हमारी पूजा कौन करे ? इसका यह मतलब हुआ, कि यह सुहपत्ती और वेश, केवल पुजाने या रूपया इकट्ठा करवाने के लिए है, साधुपना पालने के लिए नहीं । इसके सिवा जिस साम्प्रदायिक-बन्धन के पालन करने से ही संघ-धर्म का टिकाव होता है, उसी की आवश्यकता मालूम न दे; तो फिर संघ में रहने की ही क्या आवश्यकता है । साम्प्रदायिक-बन्धनों की अनावश्यकता बतलाना, यह संघ-

धर्म के नाश का चिन्ह है। यदि इसपर आवक विचार न करेंगे, तो सब साधु स्वच्छन्द हो जावेंगे और अव्यक्तिगत तथा विष्ट्रिक्तलता फैलजाने पर, न तो धर्म का ही महत्व रहेगा; न आचार्य पद का ही। जब कोई एक नियम न होगा और सभी स्वतन्त्रतावादी हो जावेंगे, तो काम कैसे चलेगा? यह बात आप ही लोग सोचें।

नेशनल-कॉम्प्रेस का किया हुआ ठहराव, सारे भारतवर्ष का ठहराव है। यदि एक-एक मनुष्य उसमें दोप निकालने लगे, तो यह कॉम्प्रेस का अपमान है। प्रत्येक-व्यक्ति का यह कर्तव्य है, कि वह कॉम्प्रेस के ठहराव का ठीक तौर से पालन करे। यदि इस बन्धन की जखरत न समझकर, हर आदमी अपनी-अपनी इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्रता हूँडे, तो राष्ट्र-धर्म या संघ-धर्म का निर्वाह होना कठिन हो जाय। ठीक इसी प्रकार, लोकोत्तर-संघ को भी समझना चाहिए। उसमें भी संघ के नियमों के विरुद्ध जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत-स्वतन्त्रता हूँडता है, वह संघ-धर्म का नाशक है। अस्तु ।

सूत्र-चारित्र-धर्म, प्रत्येक-व्यक्ति का अपना-अपना धर्म है; किन्तु संघ-धर्म तो सब का है। इसलिए पहले संघ-धर्म का ध्यान रखना पड़ता है। यदि संघ-धर्म न हाँगा, तो सूत्र-चारित्र-धर्म भी नष्ट हो जायगा। ऐसे, एक मनुष्य, अपनी-संरपत्ति की रक्षा तो करता ही है, किन्तु निवास-ग्राम न लुटजाय,

इस वात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि यदि ग्राम-ही लुटाया, तो उसकी सम्पत्ति भी सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इसी प्रकार, सूत्र-चारित्र-धर्म और संघ-धर्म का सम्बन्ध है। सूत्र-चारित्र धर्म, एक मनुष्य की सम्पत्ति और संघ-धर्म गांव-भर की सम्पत्ति के समान है। यदि गांव की सम्पत्ति लुटी, तो एक मनुष्य अपनी सम्पत्ति कैसे सुरक्षित रख सकता है? इसी तरह जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत धर्म को सुरक्षित रखना चाहता है, उसे संघ-धर्म की रक्षा का ध्यान पहले रखना चाहिए।

संघ-धर्म का इतना अधिक महत्व है, कि यदि साधु, विशिष्ट अभिग्रहादिक चारित्र-धर्म के सहायक किसी उत्कृष्ट निर्जरा-धर्म की साधना कर रहा हो और उस समय संघ को उसकी जरूरत हो, तो उसे वह साधना छोड़कर संघ का कार्य करना चाहिए। इसके उदाहरण में, भद्रवाहु स्वामी की कथा देखिए। भद्रवाहु स्वामी, किसी समय एकान्त में योग साधन करते थे। इधर संघ में ऐसा विग्रह मचा, कि जब तक कोई तेजस्वी तथा प्रभावशाली-पुरुष उसे शान्त न करे, तबतक उसका शान्त हाना असम्भव प्रतीत होने लगा। संघ ने मिलकर निश्चय किया, कि भद्रवाहु स्वामी के विना, विग्रह का समाधान न होगा। संघ ने उनको बुलाने के लिए, सन्तों को उनके पास भेजा, कि वे आकर संघ का विग्रह शान्त करें। सन्तों ने, भद्रवाहु के पास जाकर

संघ का सन्देश कहा। सन्तों के मुंह से सारों कथा मुनकर, भद्रवाहुस्वामी ने उत्तर दिया, कि इस समय में योग में लगा हूँ, योग पूरा होने पर आज़ँगा।

सन्तों ने लौटकर संघ को भद्रवाहुजी का उत्तर कद मुनाया। उत्तर सुनकर, संघ के लोग वडे आश्र्यमें पड़े और सोचनेजगे कि आज आचार्य के मन में वह क्या आई, कि उन्होंने केवल अपने कल्याण के लिए संघ को इस तरह उपेक्षा करदी। वडे सोच-विचार के बाद, उन्होंने सन्तों को भद्रवाहुजी के पास फिर भेजा और सन्तों ने वहाँ जाकर पृष्ठा, कि संघ ने वह निर्णय चाहा है, कि संघ का कार्य और योग, इन दोनों में वडा कौन है और छोटा कौन है? अर्थात् आपका केवल अपने कल्याण के लिए योग करना वडा काम है, या वहाँ चलकर समस्त-संघ में फैले हुए विप्रह को शान्त करना?

यह सुनकर भद्रवाहुस्वामी, अपना अभिप्रह अधूरा छोड़कर संघ के पास आये और वहाँ आकर श्री-संघ से ज्ञाना नांगा और कहा कि योग की अपेक्षा संघ का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। यह कहकर, संघ में शान्ति स्थापित की।

जो लोग यह विचार करते हैं, कि 'मुझे क्या अटकी जो दूसरों की चिन्ता कर्हूँ? मेरे घर में कुशल रहे और मेरी कुशल रहे, वाकी कुछ भी हो!' वे ऐसा विचारने वाले वही भूल करते

हैं। जिस प्राम या देश में इस किस्म के मनुष्य रहते हैं, वह प्राम या देश विना गिरे नहीं रहता। भारत के मनुष्यों में, जबसे ऐसे विचार घुसे हैं, तभी से भारत, छिन्न-भिन्न हुआ है। अब यह भावना पलटती दिखाई देती है, सारा राष्ट्र एक हो रहा है, इससे सम्भव है कि भारत की दशा सुधरे।

आज, जैन-संघ में भी यह भावना घुसी हुई है, कि अपना क्या अटका ? सन्त की सन्त और आवक की आवक जानें। मतलब यह, कि संघ का कार्य करने के समय टालटूल करते हैं। इधर-उधर चाहे समय दें, किन्तु संघ की उन्नति के कामों में ध्यान नहीं देते। इसीसे संघ का काम अपूर्ण है। संघ-कार्य के महत्व को यदि लोग समझने लगें, तो वड़ा कल्याण हो। भगवान् ने, सहधर्मी का क्षेत्र मिटाकर शान्ति करदेने को महा-निर्जरा कहा है।

भद्रवाहु-स्वामी यह विचार कर आये थे, कि जो संघ न होता, तो मैं भद्रवाहु कैसे होता ? धर्म की रक्षा करनी अपनी ही रक्षा करनी है। किसी कवि ने कहा है:—

धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मो रक्षति राक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो, मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥

अर्थात्—जो मनुष्य धर्म को नष्ट करता है, धर्म भी उसे नष्ट कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है।

यह समझकर, कि नष्ट किया हुआ धर्म हमें न नष्ट करदे, कभी धर्म का नाश न करना चाहिए ।

आज, संघ दुकड़े-दुकड़े हो गया है । उसका संगठन करना सबका कर्त्तव्य है; किन्तु इस और पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता । एक छोटा सा मण्डल, जिसके स्थापित हो जाने से हम सन्तों को यह सुभीता हुआ, कि संघ का कार्य वह कर लेता है, उसकी कीमत वहुत लोग आज भी नहीं समझते और तटस्थ रहने में ही आनन्द मानते हैं । यह नहीं सोचते, कि संघबल को एकत्रित करना कितना लाभप्रद है ।

सूर्य, इतना तपता है, फिर भी उससे आग क्यों नहीं लगती ? इसका कारण यह है, कि उसकी किरणें विवरी हुई रहती हैं । किन्तु उन किरणों को, एक विशेष-प्रकार के कांच से एकत्रित करके, उसके नीचे रुई रखो, तो आग लग उठेगी । इसी प्रकार संघ-बल भी विवरा हुआ है । जबतक यह एकत्रित न किया जाय, तबतक संघ को किसी कार्य में सफलता मिलनी वहुत ही कठिन है ।

यों तो किसी दुरे कार्य को करने के लिये भी कुछ मनुष्य सम्प करके अपना एक संघ बनालेते हैं, किन्तु वह संघ-धर्म नहीं है, वह तो संघ-अधर्म है । संघ-धर्म, अच्छे कामों के लिये बनाये जाने वाले संघ की संप्रहशक्ति को कह सकते हैं ।

पांच मनुष्यों की भी शक्ति एकत्रित हो जाय, तो उन पांच से पांच हजार हो सकते हैं और घड़ते-घटते संसार में एक आदर्श शक्ति हो सकती है।

दक्षिण-अफ्रिका में, भारतीयों को यूरोपियन लोग फुटपाथ पर तक न चलने देते थे और रेलवे के फर्स्ट या सेकन्ड क्लास में बैठे हुए भारतीयों को, उसी दर्जे का टिकिट होने पर भी जबर-दस्ती उतार कर थड़ क्लास में बैठा देते थे। घोड़ा-नाड़ी का टिकिट लेकर कोई भारतीय, गाड़ी में नहीं बैठ सकता था। गाड़ीवान के पास बाहर बैठने के लिये मजबूर किया जाता था। एकबार ऐसे ही मामले में गांधीजी ने चुरी तरह मार भी खाई है। परन्तु अकेले गांधीजी ने विखरे हुए भारतीयों का संगठन किया, तो उन यूरोपियनों को मालूम हो गया, कि हाँ, भारतीयों में भी कोई शक्ति है। इस संगठित शक्ति ने, भारतीयों पर होनेवाले अत्याचारों का सत्याग्रह द्वारा प्रतिकार किया और भारतीयों पर लगाये गये तीन पौराण के कर को भी घन्द करा दिया।

आप लोग, संघ का संगठन करें, तो संघबल से कोई काम अशङ्क्य न रहे। यदि आप लोग संघबल को विचारें, और उसके महत्व को भलीभाँति समझें तो कल्याण होने में संशय न रहे।

सूत्र-चारित्र-धर्म

योगी क्ष-प्राप्ति के धर्म लूपी रथ के, सूत्र और चारित्र-धर्म नामक दो पहिये हैं। ये दोनों ही, जीव को दुर्गति से बचाने के हेतु हैं।

यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, कि जब सूत्र और चारित्र-धर्म का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, तो इन दोनों का पृथक्-पृथक् चर्णन क्यों किया गया? यह बात ठीक है, कि इन दोनों का वहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु इतनी घनिष्ठता होते हुए भी ये दोनों धर्म पृथक् हैं। क्योंकि इन दोनों धर्मों के आचार अलग-अलग हैं। सूत्र-धर्म में प्रवृत्ति प्रधान है और चारित्र-धर्म में निवृत्ति प्रधान है।

सूत्र-धर्म, आवार और चारित्र-धर्म आवेद्य है। सूत्र-धर्म तो अकेला टिक सकता है, किन्तु चारित्र-धर्म, विना सूत्र-धर्म के एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। चारित्र-धर्म आने के पहले भनुष्य में समक्ष आदि सूत्र-धर्म आ सकते हैं, किन्तु सूत्र-धर्म के विना, चारित्र-धर्म नहीं आ सकता।

कुछ लोग चारित्र-धर्म को तो धर्म मानते हैं, किन्तु सूत्र-धर्म उनकी गिनती में ही नहीं है। सूत्र के तो केवल अच्छर पढ़ लेना ही पर्याप्त समझते हैं। किन्तु सूत्र-धर्म का शास्त्र में इतना महत्व बतलाया है, कि इसकी यथाविधि आराधना करते से मनुष्य 'परित संसार' कर सकता है, अर्यात् संसार का उच्छ्रेद कर सकता है। यही नहीं, मोक्ष में भी सूत्र-धर्म यानी समकित-धर्म के ये आठ आठ आचार बतलाये हैं:—

निस्तंकिय, निकंसिय, निवितिगिच्छं, अमूढादेहीय ।
उवृहू, थिरीकरणं चच्छस्त्र, पभावणेऽडु ते ॥

'टीका—शङ्कनं साङ्कितं-देश सर्वं शङ्कात्मकं तस्या भावो निः शङ्कितं, एवं कांक्षणं कांक्षितं-युक्ति युक्तत्वाद हिंसाद्य-भिधा यित्वाच शाक्योलूकादि दर्शनान्यपि सुन्दराण्ये वेत्यन्यान्यं दर्शन व्रहात्मकं तदभावो निष्कांक्षितं, प्रारथदुभयत्र विन्दुलोपः, विचिकित्सा-फलं ग्रतिसन्देहो यथाकिमियतः क्लेशस्य फलं स्यादुत नति ? तन्त्रन्यायेन 'विदः' विज्ञाः तेच तत्वतः साधव एव तज्जुगुप्सा वा यथान्किममी यतयो मलादिर्घदेहाः ?, प्रासुकजलस्नाने हि क इव दोपः स्यादित्यादिका निन्दा तदभावो निर्विचिकित्सं निर्विजुगुप्सं वा, आर्पत्वाच्च सूत्र एवं पाटः 'अमूढ़' ऋद्धिमत्कुतीर्थिक दर्शनेऽप्यनवगतिमेवास्मद्दृशनमिति

मोह विराहिता सां चासौ द्वष्टिश्च वुद्धिरूपा अमूढ द्वष्टिः, स
चायं चतुर्विंशोऽप्यान्तर आचारः, वाहं त्वाह—

‘उवबूह’ त्ति, उपचंहणमुपवृह-दर्शनादि गुणान्वितानां
सुलघ्य जन्मानो यूयं युक्तं च भवाद्शामिदामित्यादि वचोभिस्त-
तदगुण परिवर्द्धनं सा च स्थिरीकरणं च अभ्युपगम (त) धर्मा-
नुष्ठानं प्रति विषदितां स्थैर्यपादनमुपवृहास्थिरीकरणे, वत्सल-
भावो वात्सल्यं साधमिर्जनस्यभक्तपानादिनोचित प्रतिपात्तिकरणं
तच्च प्रभावना च-तथा स्वतथिंच्चति हेतुचेष्टासु प्रवत्तना-
त्यिक वात्सल्य प्रभावने, उपसंहार माह-अष्टैते दर्शन चारा-
भवन्तीतिशेषः, एभिरचाष्टभिराचार्यमाणस्यास्योक्तुं फलं सम्पाद-
कतेति भावः, एतच्च ज्ञानाचाराद्यपलक्षकं, यद्वा दर्शनस्यैव यदा-
चारामधानं तदस्यैवोक्तन्यायन मुक्तिमार्गं मूलत्वं समर्थनार्थं
मिति सूत्रार्थः ॥

अर्थ—शङ्का करने को शङ्कित कहते हैं। देश से या सर्व से
शङ्का के अभाव को निःशङ्कित कहते हैं। इच्छा करने का
नाम कांक्षित है। युक्तियुक्त होने से और अहिंसादि के प्रति
पादक होने से बौद्ध-दर्शन तथा उल्लङ्घकादि दर्शन भी अच्छे ही
हैं, इस प्रकार अन्य दर्शनों में जो उपादेय वुद्धि है, उसके
अभाव को निष्कांकित कहते हैं। विचिकित्सा यानी ‘फल होगा
या न होगा?’ इस प्रकार संशय करना, अथवा ये साधु-लोग

मलयुक्त देह होकर क्यों रहते हैं, यदि अचित-जल से ये स्नान करलें, तो क्या दोष होगा?' इस प्रकार साधुओं की निन्दा, विचिकित्सा है। उसके अभाव को, निर्विचिकित्सा कहते हैं। धनधान अन्य तीर्थों को देखकर भी, मेरा दर्शन उत्तम ही है ऐसी मोह-रहित जिसकी वृद्धि है; वह अमूढ़-दृष्टि कहलाता है। ये चारों व्यवहार अन्तर-व्यवहार हैं। अब वाह्य-व्यवहार कहे जाते हैं। उत्साह-वृद्धि का नाम उपवृंहा है। जैसे कि दर्शनादि-गुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह कहकर बढ़ाना, कि 'आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सदृश पुरुषों के लिये यह कार्य उचित हो रहा है।' इस प्रकार उसके उत्साह को बढ़ाना उपवृन्हा कहलाती है। (स्थिरीकरण) अर्थात्-स्वीकार किये हुए धर्म के अनुष्ठान करने में विपाद करते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, स्थिरी-करण कहलाता है। (वात्सल्य) अपने सहधर्मीजन को भात-पानी आदि उचित सहायता करना, वात्सल्य है। (प्रभावना) अपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना, प्रभावना कहलाती है। ये आठ, दर्शन के आचार होते हैं। इन आठों का आचरण करनेवाला पुरुष, वतलाये हुए फल का सम्पादक होता है। यह (आचार) ज्ञानाचार आदि का भी उपलक्षण है। अथवा दर्शनाचार ही मुक्ति-मार्ग के मूल हैं, यह समर्थन करने के लिये इन्हीं (दर्शनाचार) का कथन किया गया है।

उपरोक्त आठ आचार, सूत्र-धर्म के हैं। इनमें सब से प्रथम आचार यह है, कि निःशङ्क बनो। इसका यह अर्थ है, कि जो मनुष्य श्रद्धा में वा किसी और धार्मिक कार्य में सन्देह रखता है, वह निश्चय को नहीं पहुँच सकता।

साहित्य में, संशय के लिये दो प्रकार की वातें कही गई हैं। एक स्थान पर कहा है:—

‘न संशय मनारुह नरोऽभ्राणि पश्यति ।’

अर्थात्—जबतक मनुष्य शङ्का पर आरोहण नहीं करता, तप तक उसे अपना कल्याण-मार्ग दिखाई नहीं देता।

दूसरे स्थान पर कहा है:—

‘संशयात्मा विनश्यति’

अर्थात्—संशय करनेवाले का ज्ञानादि भास्मा, नष्ट होजाता है।

ये दो विरोधी वातें क्यों कही गईं? यदि संशय खराक है, तो शास्त्रों में कई स्थान पर यह क्यों आया है, कि गौतमजी भगवान से कहते हैं कि ‘जाय-संशय’ अर्थात्-उन्हें सन्देह उत्पन्न हुआ। और यदि संशय अच्छा है, तो शास्त्र में संशय को समक्षित का दोष क्यों कहा गया है?

इसका समाधान यह है, कि जैसे-जिस मकान के नीचे बैठे हैं, इसकी ऊँचाई, नीचाई या यह गिरनेवाला तो नहीं है, यह देख लेना तो हरएक का कर्तव्य है, किन्तु केवल ‘कहीं यह

मकान गिर पड़ा तो ?' इस भय से व्याख्यान में सम्मिलित ही न होना, उचित नहीं है। इसी दृष्टान्त से, छद्मस्थावस्था तक केवली की अपेक्षा से कुछ विना जाना रहता ही है, उसको जानने के लिए संशय करना, वह संशय तो लाभदाता है, उसमें दोष नहीं; परन्तु जो पुरुष, भीतर ही भीतर संशय रख कर उसमें छवा रहता है, निर्णय नहीं करता, वह 'संशयात्मा-विनश्यति' का उदाहरण बन जाता है।

'आप लोग जानते हैं, कि कभी-कभी रेल उलट जाती है, जहाज छव जाते हैं और उनमें बैठनेवालों की ज्ञाति हो जाती है। किन्तु ऐसा सदैव नहीं होता, कभी हो जाता है। अब यदि कोई गृहस्थ यह सोचकर, कि रेल और जहाज में बैठनेवाले मर जाया करते हैं, कभी इनका उपयोग न करे, तो क्या उसकी यह शङ्खा उचित है ?'

'नहीं'

केवल आपत्ति के भय से ही किसी काम से दूर रहना, बुद्धिमत्ता नहीं है। कार्य करते समय, हानि-लाभ का विचार अवश्य रखना चाहिये, किन्तु प्रारम्भ से ही किसी काम को, शङ्खा की दृष्टि से न देखना चाहिए।

मनुष्य, निर्णयात्मक-दृष्टि से जितना अधिक तर्क करता है, उसे उतना ही गद्दरा-रहस्य मिलता है; किन्तु कोई मनुष्य

यही शङ्का करके रह जाय, कि 'कौन जाने परमात्मा है यो नहीं ? या ये साधु हैं या नहीं, और इनके वताये उपायों से परमात्मपद मिलेगा या नहीं ?' इत्यादि शङ्काएं करके जो मनुष्य धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं लाता; और प्रतिक्षण अंपने हृदय में शङ्का को स्थान दिये रहता है, उसका आत्मा, ज्ञान-दृष्टि से निश्चित ही नष्ट हो जाता है।

कोई यह कहे, कि 'हम जैन-शास्त्रों को सत्य मानें और उन पर शङ्का न करें, इसके लिए क्या प्रमाण है ?' यह प्रश्न बिलकुल ठीक है, किन्तु पाँच और पाँच कितने होते हैं ?

'दस'

और यदि कोई एम० ए पास आदमी कहदे, कि ५ और ५ रथारह होते हैं, तो क्या आप मानेंगे ?

'कभी नहीं'

किन्तु वह कहे, कि मैं एम० ए० हूँ; अतः मेरी बात प्रमाण है, तो आप उसे क्या उत्तर देंगे ? यही न कि हमारा अनुभव है, इसलिये हमें अच्छी तरह विश्वास है, कि ५ और ५ दस ही होते हैं। जो तुम हमें रथारह बतलाकर सन्देह में डाल रहे हो, यह बात हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। तुम खुद गलती पर हो।

जिसप्रकार ५ और ५ दस होते हैं, यह बात प्रत्येक-मनुष्य

जानता हैं, उसी प्रकार जैन-धर्म के सिद्धान्त भी सरलता-पूर्वक समझ में आ सकते हैं और उनकी सत्यता भी बहुत जलदी मालूम हो जाती है। अर्थात् लगभग सब वातें अपने अनुभव की हैं। प्रत्येक मनुष्य यह वात समझता है, कि जो धर्म हिंसा का प्रति-पादन करता है, वह धर्म, धर्म ही नहीं है। अब आप यह बताइये, कि जैन-धर्म हिंसा का प्रतिपादन करता है या अहिंसा का ?

‘अहिंसा का’

आप से यदि कोई मनुष्य धोखा देकर कुछ छीन ले, तो आप उसे धर्मी कहेंगे या अधर्मी ?

‘अधर्मी’

विना सीखे, केवल अनुभव से ही प्रत्येक-मनुष्य कह सकता है कि ऐसा करना अधर्म है। जैन-धर्म के सिद्धान्त भी, ऐसे ही अनुभव-सिद्ध हैं। उनकी सत्यता के लिये प्रमाण-देने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मा का अनुभव ही इसका प्रमाण है।

यदि कोई यह कहे, कि ‘जिन्होंने अहिंसा को धर्म बताया है, उनका बताया हुआ भूगोल-खगोल, आधुनिक भूगोल-खगोल से नहीं मिलता, फिर तुम उन्हें सर्वज्ञ क्यों मानते हो !’ तो इसका यह उत्तर है, कि हमने उन्हें भूगोल-खगोल रचने

के कारण, परमात्मा नहीं माना है, वल्कि 'अहिंसा' के कारण परमात्मा माना है। अब भूगोल-खगोल क्यों नहीं मिलता, इसके लिये हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, जिससे हम यह बतला सकें, कि उन्होंने भूगोल-खगोल की रचना किस विशिष्ट-विचार से की है। परन्तु अहिंसा का सिद्धान्त, जो अनुभव में सत्य और पूर्ण कल्याणकारी है, उस पर से कह सकते हैं, कि अहिंसा सिद्धान्त को मानने वाले, कभी भूठ नहीं बोल सकते।

अहिंसावादी, थोड़ा भी असत्य कहना, आत्मा का घात करना समझता है। पूर्ण अहिंसावादी, आत्मा का घात, जो हिंसा है, कैसे करेगा ? अतः यह प्रश्न होता है, कि फिर उन्होंने जो भूगोल-खगोल रचा है, वह प्रचलित भूगोल-शास्त्र के सन्मुख, सत्य क्यों नहीं प्रतीत होता ? इसके लिये एक उदाहरण देते हैं :—

हवा को थैली में भरकर, यदि सोना-चांदा तौलने के साधनों से तौले, तो हवा का कोई वजन मालूम नहीं होता। किन्तु वैज्ञानिकों का कथन है, कि वायु में भी वजन है और वह वजन तौल में आता है। हमें, हवा विना वजन की मालूम होती है, इसका कारण यह है, कि हमारे पास उसे तौलने के साधन नहीं। इसी प्रकार हमारा भूगोल, जिस सिद्धान्त पर

वताया गया है, उसे सिद्ध करने के लिये हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं हैं। यदि साधन होते, तो प्रमाणित किया जा सकता था, कि अमुक-सिद्धान्त पर इस भूगोल की रचना की गई है।

हमारे यहां भूगोल में, चौदह राजलोक की स्थिति, पुरुषाकार वताई है। यदि, कोई-मनुष्य, इस लोक-स्थिति का प्रतिदिन एक-एक धण्डा ध्यान करे, तो छः महीने के बाद, वह स्वयं कहेगा, कि इसमें अपूर्व आनन्द भरा है। मुझे थोड़ा सा अनुभव है, किर भी मैं कह सकता हूँ, कि इसमें वड़ा आनन्द है, तो जो विशिष्ट-ज्ञानों हैं, उन्हें इस लोक-स्थिति के ध्यान से कैसा आनन्द होता होगा ?

इससे सिद्ध है, कि जिन्होंने जैन-सिद्धान्त और जैन-शास्त्रों को रचना की है, वे सर्वज्ञ थे। उनके कहे हुए प्रत्येक शब्द में, वड़ा गूढ़-रहस्य है। यह बात दूसरी है, कि उनकी सब बातें समझने में हमारी दुष्कृति समर्थ है।

एक प्रश्न, जो दुनियाँ उठाती है, वह यह है, कि यदि अहिंसा कल्याण करनेवाली है, तो जैनों की अवनति क्यों हो रही है ? बात है तो सत्य। क्योंकि अवनति वास्तव में हो रही है। जिस भारत में अहिंसा के पालनेवाले बहुत हैं, चाहे और बातों में भेद हो, किन्तु शैव, वैष्णव आदि सब ने 'अहिंसा'

परमो धर्मः' माना है—उस भारत की आज अवनति क्यों है ? इसका उत्तर यह है, कि अहिंसाधर्म कर्त्तव्यमय है। इसका पूरा पालन करने वाले थोड़े वलिक नाम मात्र को हैं। अहिंसा-धर्म का पालन करना वीरों का काम है और आज, मनुष्यों में डर घुसा हुआ है। जो मनुष्य डरनेवाला है, वह अहिंसा-धर्म का पालन कदापि नहीं कर सकता। लोग, केवल नाम के अहिंसावादी बन जावें किन्तु उसका पालन न करें और कूड़-कपट में पड़ें, तो यह अहिंसा-धर्म का पालन नहीं कहा जा सकता और यह निश्चित है, कि जब तक मनुष्य भली-भाँति अहिंसा का पालन करना नहीं सोखते, तब तक उन्नति कदापि नहीं हो सकती।

यहां, कोई यह शङ्खा कर सकता है, कि जब बिना अहिंसा का सिद्धान्त पाले उन्नति नहीं हो सकती, तो यूरोप की उन्नति हिंसा करते हुए भी क्यों है ? किन्तु यूरोप की यह दिखाऊ भौतिक-उन्नति, वास्तविक उन्नति नहीं, वलिक भयङ्कर रोग है। भारतवर्ष में, अहिंसा का जितना संस्कार आज शेष है, उसके प्रभाव से जैसी अच्छी वातें अधिकतर भारतीयों में हैं, वैसी संसार में और कहीं नहीं हैं। भारतवर्ष के केवल पंति-पत्नी धर्म को ही लीजिये। इसके मुकाबले में अमेरीका का पति-पत्नी धर्म कितना गिरा हुआ है, यह देखना चाहिए। सुना गया है

कि अमेरीका में प्रायः ९५ प्रतिशत विवाह-सम्बन्ध दूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष आज भी गरीब मनुष्यों को जैसा सुख दे सकता है, उतने प्रमाण में वहां के गरीबों को सुख नहीं मिलता। मैं घाटकोपर (घम्बई) में था, तब सुना था कि भारत के एक अमेरिका गये हुए सज्जन का पत्र आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 'अमेरिका के निम्न श्रेणी के मनुष्यों की आर्थिक-स्थिति, निम्न-श्रेणी के भारतीयों की अपेक्षा बहुत खुरी है। यहां के गरीब प्रायः अखवार तक ओढ़ने विद्याने के काम में लेते हैं।'

कुछ मनुष्य तो अरवपति हैं और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें ओढ़ने-विद्याने को भी नहीं मिलता, इसे सुधार या उन्नति कहना उचित नहीं है। प्रत्येक प्राणी को अपने आत्मा के समान समझकर कूड़-कपट न करे, यह वास्तविक-उन्नति है। यदि यह कहा जाय, कि वह वैष्णव ही वास्तविक उन्नति है, अर्थात् गरीबों के जीवन-मरण का विचार न करके, प्रत्येक सम्भव उपाय से धन खींचकर तिजोरी भर लेना ही उन्नति है, तो यह भी मानना पड़ेगा, कि जो मनुष्य दगा करके धन एकत्रित करता है, वह भी उन्नति कर रहा है। किन्तु इस तरह दगा-फटका करके धन छोनने को उन्नति मानना, उन्नति का अर्थ नहीं समझना है। एक अहिंसावादी, चाहे मरजाय, किन्तु अन्याय-पूर्वक किसी

का धन या प्राण हरण नहीं करता और एक दूसरा मनुष्य, किसी को मारकर अपना मतलब सिद्ध करे, इन दोनों में आप उन्नत किसे समझते हैं ?

‘अहिंसावादी को’

अहिंसा-धर्म का रहस्य ठीक-ठीक न समझने, अथवा अहिंसावादी कहलाकर भी बुरे कार्य करने से, अवनति न हो, तो क्या उन्नति हो ? आज, मन्दिरों, तीर्थों और धर्म-स्थानों में, धर्म के नाम पर कहीं-कहीं जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या इन सब कुकर्मों का फल मिले बिना रहेगा ? भारतवर्ष, आज अपने कर्मों से ही अवनति के गढ़े में गिरता जा रहा है। अवनक, मनुष्यों में जो सत्य, शील आदि गुणों का कुछ अंश शेष है, वह सब पूर्वजों के प्रताप से ही है। आज तो केवल पूर्वजों की एकत्रित की हुई धर्म-सम्पत्ति को व्यय कर रहे हैं कुछ नया करना कर उसमें नहीं जोड़ते। आज भी जितने मनुष्य अहिंसापालन का तप, जितने प्रमाण में करते हैं, उतने प्रमाण में वे संसार को कत्याण-मार्ग पर लगाते और विद्वानों को दूर छोड़ते हैं।

कोई यह कहे, कि जैन-धर्म में दो प्रकार की अहिंसा की व्याख्या क्यों मिलती है ? जैसे दूसरा पक्ष कहता है, कि ‘न मारना तो अहिंसा है, किन्तु किसी मरते जीव को बचाना

पाप है,' यह कौनसा न्याय है ? इसका उत्तर यह है, कि जिनको अहिंसा का अर्थ मालूम नहीं है, वे चाहे जो कहें, किन्तु यह वात दुनिया जानती है, कि अहिंसा शब्द हिंसा का विरोधी है। जिसमें हिंसा का विरोध हो, वह अहिंसा है और जिसमें अहिंसा का विरोध हो, वह हिंसा है। मान लीजिए, कि एक मनुष्य दूसरे निरपराधी—मनुष्य को तलवार से मार रहा है। अब एक तीसरे मनुष्य ने उपदेशादि से उसे रोका, तो यह हिंसा का विरोध हुआ न ?

‘हाँ’

यह वात पहले हो कही जा चुकी है, कि हिंसा का विरोध अहिंसा है। अतः जो मनुष्य हिंसा रोकता है, अर्थात् हिंसा का विरोध करता है वह निश्चित ही अहिंसक है। कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य यह वात नहीं कह सकता, कि रक्षा करनेवाला हिंसक या पापी है।

रावण, सीता का शील हरण करने को तयार था, और विभीषण ने उसे रोका, तो कुशीला कौन है ?

‘रावण’

और विभीषण ?

‘शीलवान् है’

यदि कोई मनुष्य यह कहने लगे, कि सीता का शील

बचाने के कारण विभीषण कुशीला हो गया, तो क्या उसका यह कहना न्याय है ?

‘नहीं’

जब ऐसा है, तो जो मनुष्य ‘मत मार’ कहता है, उसे हिंसक बताना क्या उचित है ?

‘नहीं’

जो मनुष्य अहिंसा का यह अर्थ करते हैं, कि केवल न मारना अहिंसा है, बचाना हिंसा है, वे गलती करते हैं। अहिंसाधर्म, संसार का सर्वोत्तम-धर्म है। यह बिलकुल स्वाभाविक और आत्मानुभव से उत्पन्न धर्म है। इसमें सन्देह करने को गुज्जायश ही नहीं है !

सारांश यह, कि प्रत्येक वात को देख लेना चाहिये कि वह कहां तक सत्य है। सन्देहादि, निर्णयात्मक दुष्टि से दूर कर लेने चाहिए; किन्तु ऐसे सन्देह न करने चाहिए, कि ‘न मालूम धर्म नाम की कोई चीज है या नहीं ! अथवा अच्छे कार्यों का फल मिलेगा या नहीं ! या ईश्वर है या नहीं ! किंवा साधु के पास जाने से लाभ होगा कि नहीं !’ आदि। जो मनुष्य इस प्रकार के सन्देह करता है, उसका आत्मा ज्ञान-दृष्टि से नष्ट हो जाता है और जो निर्णयात्मक-दुष्टि से अपनी शङ्खाओं का निवारण करता है, वह भद्र-कल्याण-मार्ग पाता है।

इच्छा करने का नाम कांक्षा है। अन्य धर्म का दर्शन, या धार्मिक क्रिया देख कर, उसे प्रहण करने की इच्छा का नाम कांक्षा है। 'अन्य धर्मावलम्बी भी अहिंसा को धर्म कहते हैं और कई एक बातें उनकी युक्तियुक्त भी हैं, अतएव मैं अपने धर्म को छोड़ कर उनका धर्म धारण करत्दृं तो क्या हानि है ?' इस प्रकार अन्य दर्शनों के प्रति जो उपादेय-बुद्धि होती है, उसको कांक्षा कहते हैं। ऐसी उपादेय-बुद्धि न रखने का नाम, निर्काञ्चित-बुद्धि है।

समदृष्टि को निर्काञ्ची होना आवश्यक है। क्योंकि यद्यपि ऊपर से बौद्धादि दर्शनों की बहुत सी बातें जैन-दर्शन के समान दिखाई देती हैं, किन्तु पूर्वापर विरुद्ध होने से उनकी वे बातें यथार्थ-सत्य नहीं हैं। समदृष्टि को सर्वज्ञ प्रणीत धर्म के सिवा, असर्वज्ञों के कथन किये हुए दर्शनों की कांक्षा करना कैसे उचित हो सकता है ? अतः निर्काञ्चा, समकित का आचार मानी गई है।

विविक्तिसा, यानी फल के प्रति सन्देह करना। कोई मनुष्य यह सोचे, कि "मैं धर्म पालने में इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इसका फल मिलेगा या न मिलेगा ! अथवा ये साधु लोग अपनी देह मैली क्यों रखते हैं ? यदि अचितजल से स्नान करलें, तो क्या दोष होगा ? इस प्रकार के विचार करके साधु-

लोगों की निन्दा करना, यह विचिकित्सा है। विचिकित्सा के अभाव को, निर्विचिकित्सा कहते हैं।

अन्य धर्मविलम्बियों को अद्वि-सम्पन्न देखकर भी जिसके मन में ऐसा व्यामोह पैदा न हो, कि “यह अद्वि-सम्पन्न है, इससे इसका धर्म श्रेष्ठ है और मैं अल्पचुद्धि हूँ, इसलिये मेरा धर्म कनिष्ठ है” यह अमूढ़-दृष्टि नामक समक्षित का आचार है। अमूढ़-दृष्टि का एक अर्थ यह और है।

किसी को वाहरी सिद्धि देखकर, जो मनुष्य हृदय में यह विचार लाता है, कि “ये गुरु तो चमत्कार नहीं दिखलाते और उस धर्म के गुरु चमत्कार दिखलाते हैं,” वह मूढ़-दृष्टि है। ऐसी मूढ़-दृष्टि न रखना अमूढ़-दृष्टि आचार है।

उपरोक्त चार आचार, आन्तरिक हैं। यानी हृदय से होने-वाले आचार हैं। अब वाहाचार अर्थात् वाहरी आचारों का वर्णन किया जाता है।

किसी के धार्मिक-उत्साह को बढ़ाने का नाम उपबृंहा है। जैसे—कि दर्शनादि उत्तम गुणों से युक्त पुरुषों के गुणों को यह कह कर बढ़ाना, कि “आपका जन्म सफल है, आप लोगों के सदृश पुरुषों के लिये ऐसे कार्य ही उचित हैं।” इस प्रकार उनके उत्साह की वृद्धि के लिये उन्हें संराहना, उपबृंहा करना है।

स्वीकार किये हुए सत्य-धर्म के पालन करने में विपाद करते हुए, यानी डांवाडोल होते हुए पुरुष को स्थिर बनाना, इसका नाम स्थिरोकरण है। स्थिर करना, दो प्रकार से होता है। एक तो, धर्म से डिगनेवाले को उपदेश देकर स्थिर करना और दूसरा, असहाय को सहायता देकर स्थिर करना।

कोई यह कह सकता है, कि अंसहाय को सहायता देने में तो कई आरम्भ होना सम्भव है, परन्तु आरम्भ को समदृष्टि आरम्भ मानता है, तथापि सहायता के द्वारा जो पुरुष धर्म में स्थिर हुआ, वह तो महा-समकित का आचार ही है। उसमें कोई पाप नहीं, वल्कि धर्म है। किसी को स्थिर करना समकित का आचार है और ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होती है।

वात्सल्य में, बड़ा गम्भीर विचार है। जैसे—एक श्रवक के लड़की हुई और उसने यह सोचा, कि ‘इसका विवाह तो करना है, किन्तु इसका यदि किसी सहधर्मी से विवाह हो जाय तो अच्छा हो। क्योंकि, जो धर्म मिलना कठिन है और जिसपर श्रद्धा होने से मुझे आलौकिक-आनन्द मिलता है, वैसा ही आनन्द इसे मिले और धर्म की ओर इसकी रुचि बढ़ती रहे।’ यह वात्सल्य गुण है। कोई चीज वाजार से खरीदनी है, किन्तु वह सहधर्मी की ही दुकान से ली। ‘अथवा एक नौकर रखना है, तो सहधर्मी को ही रखा और यह विचारा कि, “यह

सहधर्मी है, अतः नौकर का नौकर हो जावेगा और धर्म सहयता भी भिलेगी।' यह वात्सल्यता है। इसीलिये विवाहादि सम्बन्ध में भी, सहधर्मी-वात्सल्य का विचार हो सकता है। जहाँ भिन्न विचारनेवाले, भिन्न धर्मावलम्बी पति-पत्री या स्वामी-सेवक होते हैं, वहाँ वहुधा विचारों की असमता होती है और उसका परिणाम किसी-किसी समय बड़ा भयङ्कर होता है। अतएव समान धर्मवाले से सम्बन्ध रखने में, समकितादि गुणों की वृद्धि होना सम्भव है। सारांश यह, कि अपने सहधर्मी मनुष्य को देखकर प्रेम हो और उसकी भात-पानी आदि से उचित सहायता की जावे, इसका नाम वात्सल्य है। यह भी समकित का आचार है।

वात्सल्यगुण बहुत बड़ा है। इसका जितना विचार किया जाय, उतना ही थोड़ा है।

अपने धर्म की उन्नति की चेष्टा में प्रवृत्ति होना, प्रभावना कहलाती है। अथवा यों कहना चाहिए, कि जिस कार्य के करने से जैन-धर्म देवीप्यमान हो, उसे प्रभावना कहते हैं।

सुना जाता है, कि पहले करोड़ों जैनी थे। ये लोग तलावर के बलपर या डरा धमकाकर जैनी नहीं बनाए गये थे, किन्तु उस समय के जैनियों के वात्सल्य और प्रभावना गुण से

प्रभावित होकर, अन्य धर्मावलम्बी लोग भी जैन-धर्मानुयायी होकर, जैन धर्म का पालन करने लगे थे। आज भी यदि जैन कहे जाने वाले भाई, अपने चरित्र को ऊँचा रखें और चात्सल्य तथा प्रभावना गुण को बढ़ावें, तो संसार पर जैन धर्म का प्रभाव अवश्यमेव पड़े। यदि जैनी भाई, अपने आचार-विचार को शुद्ध रखें और अन्य लोगों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें, तो लोग निश्चित ही जैन-धर्म की ओर आकर्षित होंगे, जिससे तीर्थकरों का मार्ग दीपेगा। इसी वास्ते सूत्र टाणाङ्ग के चौथे ठाणे में कहा है, कि प्रवचन-प्रभावना के वास्ते, पात्र-अपात्र दोनों को दान देनेवाला दाता तीसरे भङ्ग का दातार है। इससे स्पष्ट है, कि अपात्र को दान देने से भी तीर्थकर के मार्ग की प्रभावना होती है। अर्थात् दान-पुराय के प्रभाव से, अपात्र यानी सूत्र-चारित्र-धर्म से विहीन, जो सामान्य प्रकृति का मनुष्य है, उसे भी दान-यानी सहायता देकर जैन-धर्म का अनुयायी बनाना, तीर्थकर के मार्ग को दिपाना है और तीर्थकर एं मार्ग को दिपाने का, शब्दों में उक्तष्ट से उक्तष्ट फल यह बताया है, कि तीर्थकर पद की प्राप्ति होती है। यह भी देखा जाता है, कि किसी अन्ये, लूले, लंगड़े, असहाय को पात्र का विचार न करके दान देने से, मंसार पर जैन-धर्म का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव पड़ना भी, जैन-धर्म की प्रभावना है।

जो मनुष्य, दान देने को पाप कहते हैं; समझना चाहिए कि उन्होंने प्रवचन-प्रभावना का अर्थ ही नहीं समझा है।

ये आठ आचारं सूत्र-धर्म के हैं। इन आठों का आचरण करनेवाला पुरुष, बतलाये हुए फलं का सम्पादक होता है। यही आठ आचारं चारित्र-धर्म के भी उपलक्षक हैं। इन्हीं के पालन करने से, चारित्र-धर्म की उत्पत्ति होती है। अथवा यों कहना चाहिए, कि यही आठ आचार मुक्ति-मार्ग के मूल हैं।

चारित्र-धर्म के दो भेद हैं। देशं चारित्र-धर्म और सर्व-चारित्र-धर्म। श्रावक के लिए एकदेशीय चारित्र-धर्म तथा साधु के लिये सम्पूर्ण चारित्र-धर्म के पालन करने की व्यवस्था शास्त्रों में दो गई है।

चारित्र-धर्म की व्याख्या के विषय में, जैन साहित्य विस्तीर्ण रूप से उपलब्ध है, ऐसे ही चारित्र-धर्म की प्रवृत्ति भी प्रचालित है, इस कारण अन्य बढ़ जाने के भय से इस की विशेष व्याख्या नहीं दी गई है।

— सम्पादक

अस्तिकाय-धर्म

शाख में, अस्तिकायधर्म की टीका यों की है:—

अस्तयः प्रदेशास्तेषां कायो-राशि-रस्तिकायः

स एव धर्मोगति पर्याये जाव पुद्गलयोद्धरणादित्यास्ति-
कायधर्मः ।

अर्थ—भस्ति अर्थात् प्रदेश की काय अर्थात् राशि को अस्तिकाय कहते हैं। तदरूप जो धर्म है, वह गति और पर्यायों में, पुद्गलों का धारणकर्ता होने के कारण, अस्तिकाय—धर्म कहलाता है।

यहाँ टीकाकार ने, पञ्चास्तिकाय में से केवल धर्मास्तिकाय को ही अस्तिकाय-धर्म में गिनाया है। इसका तात्पर्य यह है, कि सूत्र-भगवतीजी में धर्मास्तिकाय के अभिवचन, अर्थात् अनेक नामों में धर्म और धर्मास्तिकाय को सहधर्मी रूप से एक माना है। वहां यों पाठ है:—

धर्मात्थिकायस्त्स रां भंते ! केवङ्या आभिवयणा परणत्ता ?
गोयमा ! अणेगा अभिवयणा परणत्ता । तं ज्ञहा—धर्मोत्तिवा

धर्मात्थिकाएङ्वा, पाणाइवाय वेरमणेति वा, मुसावाय वेरमणे-
तिवा, एवं जाव पारग्निह वेरमणे कोह विवेगेति वा, जाव
मिच्छादन्सणसल्लविवेगेति वा, इरियासमिए ति वा, भाषा समिए
ति वा एसणा समिए ति वा, आदाण भंडमत्त निक्खेवणासमिए
ति वा, उच्चारपासवण खेलजल्लासिधाण पारिडावणियासमिई
ति वा, मणगुत्ती, ति वा, वायगुत्ती ति वा, जे यावणे तहप्पगारा,
संब्बे ते धर्मात्थिकायस्स अभिव्यणा ॥

इस ऊपर के पाठ से यह सिद्ध होता है, कि धर्म और
धर्मास्तिकाय को, नाम के साधर्म्य से एक ही माना गया है।
इसी से टीकाकार ने, अस्तिकाय-धर्म में 'धर्म' शब्द के साथ
धर्मास्तिकाय को ही उदाहरण स्वरूप बतलाया है। धर्मास्तिकाय
को धर्म का सहधर्मी बतलाने का एक यह भी कारण समझा
जाता है, कि धर्मास्तिकाय, गति-सहायक द्रव्य है। अतएव,
कर्म के नाश करने में धर्मास्तिकाय की भी सहायता पहुँचती है।
शायद इसी अभिप्राय से, शास्त्रकार ने धर्म और धर्मास्तिकाय
को एक नाम से बतलाये हों। तत्व केवली गम्य।

दस-स्थविर-धर्म ।

धर्म की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती, वहिं किसी मनुष्य के कार्यों का ऐसा प्रभाव पढ़ता है, कि धर्म का प्रचार हो जाता है । जैसे—एक मकान बनने से पढ़ले, चूना, पत्थर आदि-आदि सामग्री दूसरी-दूसरी जगह पड़ी थी, किन्तु किसी के उद्योग से, यह सब सामग्री एकत्रित हुई और मकान बना । यद्यपि यों तो, प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ धर्म अवश्य है, किन्तु उन धर्मों को एकत्रित करके, एक रूप देने का काम जब तक न हो, तब तक उन सबके पृथक्-पृथक्-धर्म, विशेष लाभप्रद नहीं होते । जैसे—पत्थर में जुड़ने का और चूने में जोड़ने का धर्म मौजूद है, किन्तु जब तक कोई कारोगर इन दोनों के धर्मों का एकीकरण नहीं कर देता, तब तक मकान तैयार नहीं होता ।

ठीक यही बात धर्म के लिए भी समझनी चाहिए । विखरा हुआ धर्म किसी उपयोग में नहीं आता और उसे एकत्रित कर-

देने से, प्राणिमात्र का कल्याण करने वाला महाधर्म तैयार हो जाता है। इस विखरे हुए धर्म को, महापुरुष जन्म लेकर एकत्रित कर देते हैं।

चूना और पत्थर को जोड़ने वाला मनुष्य, जैसे कारीगर—कहलाता है, वैसे ही धर्मों को जोड़ने वाले मनुष्य को, शास्त्रकार 'स्थविर' कहते हैं।

मानव-समाज को हुर्व्यवस्थित दशा से निकाल कर, सुव्यवस्थित करे, वह स्थविर कहा जाता है। यह नहीं, कि कोई मनुष्य किसी बुरे काम को सिद्ध करने के लिए संगठन करे और और उसे स्थविर कहा जाय। स्थविर वही है, जो सब की व्यवस्था का समुचित-रूपेण ध्यान रखे।

सुतार, लकड़ी को व्यवस्थित करने के लिए किसी जगह से छोलता है और किसी जगह से काटता है। इसी प्रकार स्थविर को भी सुव्यवस्था करने के लिये कई बातें काटनी-छाटनी पड़ती हैं। यदि वह ऐसा न करे, तो व्यवस्था न हो और जब व्यवस्था न करे, तो वह स्थविर नहीं कहा जा सकता। न्याय-पूर्वक की हुई काट-छाट के लिये, कभी-कभी स्थविर पर कुछ स्वार्थी—मनुष्य असन्तुष्ट भी हो जाते हैं, किन्तु सच्चा स्थविर उन सब के असन्तोष की परवान करते हुए, अपना कर्तव्य बराबर पालता रहता है।

स्थविर को, आजकल की भाषा में प्रमुख नेता या लीडर कहते हैं। प्राचीन भाषा में पञ्च या मुखिया कहते हैं और जैन—शास्त्रों में इन्हें स्थविर कहा है।

स्थविर उसे कहते हैं, जिसके वचनों का प्रभाव सब पर पढ़े तथा जन—साधारण स्थविर के वाक्य का उल्लंघन, ईश्वर-वाणी का उल्लंघन समझे। यह गुण, उसी व्यक्ति में पैदा हों सकता है, जो निःस्वार्थ—भाव से व्यवस्था करता हो। चाहे राजा की वात को जनता न माने, किन्तु निःस्वार्थभाव से सेवा करनेवाले की वात अवश्य मानती है।

जब जनता के अच्छे भाग्य होते हैं, तब 'उसे' अच्छा स्थविर मिलता है। आजकल तो कई लोग, केवल अपनी कीर्ति के लिए लीडर बन जाते हैं और सुना है, कि कुछ आदमी तो स्वार्थ भी साधने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मानव-समाज की उन्नति हो तो कैसे ?

जैन शास्त्रों में दस प्रकार के स्थविर कहे गये हैं। उनके नाम ये हैं—

ग्राम्य—स्थविर, नगर—स्थविर, राष्ट्र—स्थविर, प्रशास्ता—स्थविर, कुल—स्थविर, गण—स्थविर, संघ—स्थविर, जाति—स्थविर, सूत्र—स्थविर, पर्याय—स्थविर।

इन दसों प्रकारके स्थविरोंका वर्णन, आगे क्रमवार किया जाता है।

ग्राम-स्थविर ।

ग्राम-स्थविर, ग्राम के उस मुखिया को कहते हैं, जो ग्राम की दुर्ब्यवस्था मिटाकर, सुव्यवस्था स्थापित करे ।

दुर्ब्यवस्था और सुव्यवस्था किसे कहते हैं, यह बात प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता । इस बात को वही मनुष्य समझ सकता है, जिसका अपना अनुभव इस विषय में अच्छा हो और जिसे दस-धर्म की शृङ्खला की प्रत्येक कड़ी का ध्यान हो । एकाङ्गी दृष्टि से विचार करनेवाला मनुष्य, दुर्ब्यवस्था और सुव्यवस्था का अर्थ क्या समझे ।

ग्राम में दुर्ब्यवस्था होने पर, ग्राम सदैव पतित-अवस्था की ही ओर जाता है । ग्राम में चोरी होती हो, व्यभिचार होता हो, लोग भूखों मरते हों और कोई उनकी सुव्यवस्था न करे, तो उस ग्राम का पतन हो जायगा, यह ध्रुवसत्य है । क्योंकि, एक तो अव्यवस्थित ग्राम में यों ही आनाचार फैला रहता है,

तिस पर जब लोग, भूखों मरेंगे, तो और अधिक अनाचार करेंगे। इसलिये प्रत्येक-ग्राम में, एक-एक स्थविर, यानी सुव्यवस्था करने वाले की आवश्यकता रहती है।

आज, ग्रामों में स्थविरों की बड़ी कमी है। ग्राम-स्थविर का ग्राम की व्यवस्था में कौन सा स्थान है, यह बात बहुत विस्तृत है। किन्तु एक उदाहरण दे देने से ही इसका सार समझ में आजायगा।

किसी ग्राम में भूधा नामक एक ग्राम-स्थविर था। इस अकेले मनुष्य ने, सारे ग्राम को व्यवस्था इस ढङ्ग से की, कि उस ग्राम में एक भी शराबी, चोर, दुराचारी या कर्ज खानेवाला मनुष्य न रहा। यहां तक, कि घरों में ताले लगाने तक की भी आवश्यकता न रह गई। समझाव रखकर व्यवस्था करने से, भूधा को अपने प्रयत्न में सफलता मिली और ग्रामवासी इससे अप्रसन्न भी न हुए। भूधा, मुहल्ले भाड़ने तक का काम अपने हाथ से करता था। उसको भाड़ते देखकर, खियाँ और कचरा ढाल देतीं, कि वह आकर भाड़ेगा ही, परन्तु वह बिना किसी प्रकार की अप्रसन्नता प्रकट किये, उस कचरे को भाड़कर फेंक देता था।

गांव में जितने दुराचारी और भूधा पीनेवाले थे, उन सब लोगों से, भूधा बिनय करता और उन्हें इन दुर्घटनाओं से रोकता था।

किन्तु मध्या, दो की आंखों में स्वटकने लगा। एक तो कलाल, दूसरे राज्याधिकारी। मध्या की सुव्यवस्था के कारण वहाँ न तो कोई शराबी था और न कोई मुकदमेवाज। इसी कारण, कलाल और अधिकारी दोनों को हाथ पर हाथ रखे देंठे रहना पड़ता था। अन्त में अधिकारियों ने, मध्या पर भूड़ा अपराध लगाकर मगध-नरेश से उसकी शिकायत की। राजा ने, मध्या और उसके शिष्यों को बुलाया और उसके ३३ शिष्यों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मार डालने की आज्ञा दी। किन्तु ये स्थविर ऐसे न थे, जो ऐसी-वैसी बातों से डर जाते। इनकी निर्भयता के कारण, हाथियों को भी भागजाना पड़ा।

आज, आमों में ऐसा कोई स्थविर नहाँ है, प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी तरफ स्वतन्त्र है। यही कारण है, कि आज आमों की व्यवस्था अत्यन्त खराब हो रही है। मुकदमेवाजों की इतनी अत्यधिक दृढ़ि का एकमात्र कारण, गोंदों में स्थविर का अभाव है।

जिस आम का स्थविर दृढ़िमान होता है, वहाँ की प्रजा को दुष्काल पड़ने पर भी, किसी आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि, स्थविर अपनी दीर्घ-दृष्टि के कारण भविष्य का विचार करके, ऐसा संग्रह कर रखता है, कि अकाल के समय आम-वासियों को कष्ट नहीं होने पाता।

स्थविर के अभाव में आज आमीणों का जीवनधन

‘गोवंश’ उनके अद्वान तथा ग्राम की दुर्बलतास्था के कारण, जप्त होता जा रहा है। जरासी पानी को न्यूनता होते ही, घास के अभाव से तड़प आकर, पामीणलोग अपनी गोओं को यों ही अद्वारा छोड़ देते हैं। ये गोएँ, किसी प्रकार कसाइयों के हाथ पढ़ जाती हैं और इनका वध हो जाता है। जब ग्रामों में स्थविर होते हैं, तो वे भविष्य का ध्यान रखकर, गायों के लिये खाश-पदार्थ एकत्रित कर रखते हैं, और इस तरह गायों की रक्षा करके, उन्हें कसाइयों के द्वारा छुरी के घाट नहीं उतरने देते।

आज, यदि ग्रामों में ऐसे स्थविर हों, और ग्रामीण उनका साथ दें, तो भारतवर्ष का पनन शीत्र ही रुक जायगा। संसार में, मनुष्यों के लिये, माधारणतः अन्न और कपड़े की विशेष आवश्यकता रहती है। अन्य वस्तुओं के बिना तो काम चल सकता है, किन्तु इनके बिना नहीं चल सकता। भारतवर्ष के ग्राम ऐसे हैं, कि अपनी ही निपज से उनकी दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव है। ग्रामों में पैदा किया हुआ अन्न ग्रामों की सब आवश्यकताएँ पूरी कर सकता है। शेष रही बछों की बात।

पहले समय में, प्रत्येक ग्राम में कपड़ा तयार करनेवाले मनुष्य रहते थे। प्रायः कोई ग्राम ऐसा खाली न था, जहां

कपड़ा तयार न होता रहा हो । जब प्रत्येक-ग्राम-वाले अपने लिये वस्त्र तैयार कर लेते थे और अन्न भी पैदा कर लेते थे, तो उनको दूसरों का मुँह देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी । ऐसी स्थिति में, उन्हें किसी और से दीनता-पूर्वक किसी पदार्थ की भिक्षा क्यों मांगनी पड़े ? किन्तु इन वातों को विनाश-ग्राम-स्थविर के कौन समझते ?

चोरी आदि कुरुत्य, मनुष्य प्रायः तभी करता है, जब उसे अन्न-वस्त्र की कमी पड़ती है । अन्न-वस्त्र की कमी न रहने की दशा में, प्रायः बुरे कर्म कम होते हैं ।

भारतवर्ष में जब ऐसी सुव्यवस्था थी, तब चोरी बहुत कम होती थी । दूर की बात छोड़िये, अभी थोड़े ही दिन की अर्थात् कोई दो हजार वर्ष पूर्व की-बात है, सम्राट् चन्द्रगुप्त के दरवार में ग्रीस-राजदूत मेगास्थनीज रहता था । उसने, भारतवर्ष के अपने कई वर्षों के अनुभव लिखे हैं । उसने लिखा है, कि भारतवर्ष में ऐसी सुव्यवस्था है, कि लोग अपने मकानों में ताला भी नहीं लगाते । कोई भूठ नहीं बोलता और कोई वैदमानी नहीं करता ।

भारतवर्ष की जिस ग्राम-व्यवस्था का वर्णन ऊपर किया गया है, यह व्यवस्था भारतवर्ष ने भोगी है और जिस दिन-

फिर यह व्यवस्था जारी हो जायगी, उसी दिन भारत में पुनः आनन्द मङ्गल वरतने लगेगा, ऐसा भारत के शुभचिन्तकों का मानना है।

नगर—स्थविर ।

नगरस्थविर उसे कहते हैं, जो नगर की सुच्यवस्था करे ।

ग्रामस्थविर और नगर-स्थविर, में यह अन्तर है, कि ग्रामस्थविर, ग्राम अर्थात् छोटे जन-समूह का व्यवस्थापक और नगर-स्थविर नगर अर्थात् बड़े जन-समूह का व्यवस्थापक होता है ।

छोटा आदमी, छोटी-वस्तु को सम्भाल सकता है, किन्तु बड़ी वस्तु को नहीं सम्भाल सकता । बड़े आदमियों की व्यवस्था में ही नागरिक रह सकते हैं, छोटे आदमी की शक्ति नहीं, कि वह नागरिकों को अपने नियंत्रण में रख सके । एक कवि ने कहा है:—

फैसे छोटे नरन तें, सरत बड़न के काम ।

मढ़यो दमामा जात क्यों लैं चूहे को चाम ॥

अर्थात्—छोटे मनुष्यों से बड़ा काम होना कठिन है । जिनकी बुद्धि, वैभव, प्रभाव कम हैं, उनसे बड़ा काम नहीं हो सकता । जैसे चूहे की खाल से नगारा नहीं मढ़ा जा सकता ।

इसी प्रकार प्राम का स्थविर नगर का काम नहीं कर सकता। आम और नगर का ठीक वही सम्बन्ध है, जो समुद्र में नाव और जहाज का होता है। जहाज, गहरे-पानी में रहता है, योड़े पानी में नहीं आ सकता। अतः नावें, किनारे पर का माल ढोकर जहाज में और जहाज का माल ढोकर किनारे पहुँचाती हैं। इसी प्रकार नगर, जहाज और प्राम, नाव के समान है। जिस प्रकार माल, नाव से जहाज में जाता है, उसी प्रकार प्राम से दस्तुएँ नगर में आती हैं। इसीलिये प्राम और नगर का सम्बन्ध है और दोनों के स्थविरों का भी सम्बन्ध है।

नगर के स्थविर में, नगर की समुचित व्यवस्था करने का गुण होता है। आजकल, यह काम भाड़े के आदमी करते हैं। परन्तु पहले के नगर-स्थविर ऑनरेरी होते थे, उन्हें कोई तनाव न मिलती थी। फिर भी वे लोग ऐसी व्यवस्था करते थे, कि नगर में किसी प्रकार का कुप्रवन्ध नहीं रहने पाता था। वे ऑनरेरी होते थे, अतः लोभ-नृष्णा आदि में भी न पड़ते थे।

नगरस्थविर, राजा और प्रजा के घोच का प्रधान-पुरुष होता है। राजा से प्रजा को, या प्रजा से राज्य को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे, इस प्रकार की व्यवस्था करनेवाला मनुष्य नगर-स्थविर कहलाता है। नगर-स्थविर का जनता पर कैसा प्रभाव होता है, यह बतलाने के लिये एक उदाहरण देते हैं।

सुना जाता है, कि उदयपुर में नगर सेठ प्रेमचन्द्रजी को संवत् १९०८ में महाराणा खरुपसिंहजी ५०००) रु० वार्षिक आय की जागीर देने लगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, कि जागीर लेने पर राज्य से जो आङ्गा होगी, उसकी तामील मुझे अवश्य करनी पड़ेगी, प्रजा के दुःख-दर्द और योग्यायोग्य का विचार नहीं रहेगा। इसलिये मैं जागीर नहीं लेना चाहता। इस पर महाराणा, उन्हें सच्चे प्रजाभक्त समझने लगे।

इसके बाद सं० १९२० में, महाराणा शंभूसिंहजी गद्दी पर विराजे और राज्य का काम एजंटी से होता था। उस समय प्रजा को जो दुःख-दर्द था, उसके लिये प्रजा ने सेठ चम्पालालजी से कहा तो उन्होंने महाराणा से प्रार्थना की, कि राज-कर्मचारियों द्वारा प्रजा को अमुक-अमुक बातों का दुःख हो रहा है। उत्तर में महाराणा ने फरमाया। कि एजन्ट साहब से कहो।

इस पर सेठजी, पंचों को लेकर एजंट साहब की कोठी पर गये। वहाँ के कर्मचारियों ने एजन्ट साहब से कहा, कि संगठन करके रैयत आप पर चढ़ आई है। तब एजंट साहब ने वहाँ तोपखाने का प्रबन्ध किया। इस पर शहर में हङ्ताल हो गई और सब लोग सेठजी के साथ सहेलियों की बाड़ी में चले गये। उन दिनों पायगों में, एक वैल मर गया और उसको उठाने के लिये, चमारों की ज़रूरत पड़ी। तब सेठजी के कहने पर ही

बोलों (चमारों) ने उस वैल को उठाया । फिर सेठजी मोटेगांव (गोगून्दा) चले गये । सेठजी को लाने के लिये एजेंट ने सरदारों को भेजा । सेठजी तब वापिस आये और एजेंट ने प्रजा के दुःख दर्द को सुन, उसे मिटाने का प्रबन्ध किया । यही कारण था, कि सेठ चम्पालालजी और प्रेमचन्द्रजी का प्रजा ने साथ दिया । क्योंकि, वे प्रजा के दुःख दर्द को सुन, उसे मिटाने का सच्चे दिल से प्रयत्न करते थे ।

नगर-स्थविर वही मनुष्य हो सकता है, जो प्रजा का दुःख जानकर, उसे दूर करने का प्रयत्न करता है । जिस नगर में व्यवस्था करनेवाला स्थविर होता है, उस नगर में होने वाली चोरी, नारी और अन्याय अपने आप रुक जाते हैं । राजा, इनको शक्ति से रोकने का प्रयत्न करता है, किन्तु स्थविर इन सब वातों को अपने प्रेम के प्रभाव से ही रोक देता है । स्थविर, इस तरह का वर्ताव करता है, कि सब का दास भी रहता है और सब को मालिक भी ।

केवल सत्ता के बल पर यदि राज्य चल सकता हो, तो आम-स्थविर और नगर-स्थविर के होने की क्या आवश्यकता पड़ती ? परन्तु राजा के होते हुए भी, प्रजा का सुख-दुःख सुनने वाला स्थविर ही होता है । सच्चा स्थविर ही, नगर में शान्ति रखने में समर्थ हो सकता है ।

आज, कई लोगों द्वारा यह कहा जाता है, कि पराये काम में नहीं पड़ना चाहिए। जो करेगा, सो भुगतेगा। यह कह कहकर, लोगों में ऐसे भाव भर दिये हैं, कि वे अपने ही स्वार्थ में मग्न रहते हैं। उनकी दृष्टि में, दूसरे के दुःख-सुख पर विचार करते ही पाप हो जाता है। किन्तु क्या व्यवस्था करने वाला पापी है? क्या पापियों से भी कभी रक्षा हो सकती है?

‘कदापि नहीं’

कई जैन-नामधारियों ने, इसके विरुद्ध प्ररूपण करना प्रारम्भ कर दिया है और किसी जीव को कष्ट से बचाने में, एकान्त पाप बतलाकर दुनिया को भ्रमजाल में डालते हैं। उनका यह कथन शास्त्र-विरुद्ध तो है ही, साथ ही अस्वाभाविक भी है। मानव-हृदय ही इस प्रकार का है, कि किसी को कष्ट में देखकर वह द्रवित हो उठता है। यह एक प्राकृतिक गुण है। आज, ‘किसी को बचाना एकान्त पाप है’ यह ऐसी शिक्षा देकर, प्रकृति के इस गुण को नष्ट किया जा रहा है।

जैसे एक अन्धा गड्ढे में गिर रहा है। और दूसरा नेत्रवान् पुरुष पास ही खड़ा देखता है। किन्तु वह नेत्रवान् ‘अन्धा गिरता है, इसमें अपना क्या?’ यह कहकर उसे नहीं बचाता, तो अन्धा कौन है?

‘देखता रहने वाला’

तुम भी मनुष्य हो, तुम में इतनी निर्दयता कहाँ से छुसः गई, कि तुम्हारे देखते हुए अन्धा गिरे और तुम न बचाओ ? उसकी तो आँखें फूट ही गई हैं, किन्तु जो देखते हुए भी उसे नहीं बचाता, उसकी आँखें, होते भी न होने के बराबर हैं। “अपना क्या अटका” ऐसा कहने वाले लोगों ने, अपने हृदय की सब दया नष्ट करली है ।

जो मनुष्य, जिस गांव में रहता है, उस गांव के सुख दुःख की चिन्ता न करे, तो वह उस गाँव में रहने का अधिकारी नहीं गिना जाता । बुद्धिमान मनुष्य की यह समझ रहती है, कि जो आपत्ति इस समय दूसरे ग्रामवासियों पर है, भविष्य में यही आपत्ति, यदि अभी से उसके प्रतिकार का उपाय न करेंगा, तो मुक्षपर भी आवेगी । और वह अपने पर आनेवाली आपत्ति के प्रतिकार का, यही उपाय सोचता है, कि अपने ग्रामवासियों के सिरपर आई हुई आपत्ति को, न्यायपूर्वक दूर करने का प्रयत्न किया जाय ।

“मेरा कर्तव्य है कि नगर में पाप कर्म न बढ़ने पावें, इसका प्रबन्ध करें” ऐसा समझ कर जो मनुष्य प्रबन्ध करता है, वही नगरस्थविर कहा जाता है ।

आज कुछ लोग नागरिक कहलाने का दावा तो करते हैं; किन्तु नागरिक के नियमों का अच्छी तरह पालन नहीं करते ।

नगर-निवासियों की रक्षा में, “अपना क्या अटका” यह बात कह कर अपने स्वार्थीपन या कृतज्ञता का परिचय देते हैं।

जो मनुष्य, स्वार्थत्यागी हो और आवश्यकता पड़ने पर अपना तन-धन बलिदान दे सकता हो, वही स्थविर बनकर काम कर सकता है। जिसके हृदय में लोभ होगा, वह मनुष्य स्थविर-पन नहीं कर सकता। स्थविर कैसा होना चाहिए, इस के लिये एक शाखीय उदाहरण दिया जाता है। उपासक दशाङ्क सूत्र के प्रथम अध्ययन में कहा है;—

से णं आणन्दे गाहार्व वहूणं राईसर जाव सत्यवाहाणं
वहूसु कज्जेसु य कारणसु य मन्त्तेसु य कुडुम्बेसु य गुजम्भेसु य
रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य आपुच्छरिज्जे पडिपुच्छ-
रिज्जे सयस्सवि य णं कुडुम्बस्स मेढी पमाणं आहारे आल-
म्बणं चक्ख, मेढीभूए जाव सब्बकज्जवद्वावए यावि होत्था।

भावार्थ—वह भाजन्द गृहपति, वहुत से राजेश्वर, यावन् सार्थवाहियों को, वहुत से कायों में, वहुत कारण में, वहुत सलाह करने में, बनके कुडुम्ब में और वहुत से गुह्य (गुस) कायों में, वहुत से रहस्यपूर्ण-कायों में, तिश्रित कायों में और व्यवहार कायों में, एक बार तथा बारबार पूछने लायक था। वह अपने कुडुम्ब में भी, मेढी के समान और प्रमाण, आहार आलम्बन, चक्ख और मेढी भूत होकर सब काम में बतानेवाला था।

यदि इस सब का विस्तृत-विवरण बतलाया जावे, तो बहुत समय को आवश्यकता है। अतः संक्षिप्त में ही, खास-खास बातों पर कुछ कहा जाता है।

कहा है कि “आनन्द” मेड़ी के समान था। मेड़ी उसे कहते हैं, जिस लकड़ी के सहारे बैल दावन में फिरते हैं। इसका यह मतलब है, कि आनन्द प्रधान-मनुष्य था, अन्य मनुष्य उसी के बताये हुए नियमों का पालन करते थे।

आनन्द “प्रमाण” अर्थात् कभी अप्रमाणिक-बात न कहने चाला था।

आनन्द “आहार” अर्थात् दूसरे मनुष्यों की रोटी था। रोटी, जैसे मनुष्य के प्राण की रक्षा करती है, वैसे ही आनन्द, रासा और प्रजा की रक्षा करता था।

आनन्द, आलम्बन था। आलम्बन उसे कहते हैं, जिसका सहारा लिया जावे। जैसे, अन्धे के लिये लकड़ी सहारा है, उसी प्रकार आनन्द, राजा, प्रजा और कुदुम्ब इन सब का सहारा था। आनन्द को आलम्बन कहा है, तो वे राजा और प्रजा को आधार देते होंगे, तभी तो आलम्बन कहे गये हैं न?

आगे कहा गया है, कि आनन्द चक्षु था। इसका यह मतलब है, कि वे राजा और प्रजा दोनों को सन्मार्ग दिखाते थे।

क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो उन्हें चल्लु अर्थात् नेत्र क्यों कहा जाता ?

भगवान् कहते हैं, कि आनन्द ने चौदह वर्ष तक श्रावक-ब्रत पाला और इन्हीं व्यवहारों में रहा । जब इनको छोड़कर कँची अवस्था में जाना था, तब अपने पुत्र को बुलाकर सब लोगों से कहा, कि जो बात अवशक मुझसे पूछते थे, वह अब इस पुत्र से पूछना ।

ऐसे अच्छे नगर-स्थविर होने की ही दशा में, उन्नता धर्म पालन के लिये तैयार होती है ।

नगर में केवल एक स्थविर होने से, नगर का काम नहीं चल सकता । इसलिये, प्रत्येक विभाग के पृथक्-पृथक् ऐसे अनेक स्थविर होते हैं । ये स्थविर लोग, परस्पर सहयोग रखने कर वडे से वडे कामों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं ।

आज भी, नगरों में स्थविर-अर्थात् न्युनिसिपल-कमिशनर रहते हैं, किन्तु सुनाजाता है, कि उनसे नगरवासियों को जैसा चाहिए, वैसा लाभ नहीं पहुँचता । वस्त्रई, कलकत्ता आदि शहरों में देखो तो चोरी, व्यभिचार, दिवाला निकाल देना आदि अनेक नीच काम होते हैं किन्तु ये लोग, इन कामों की रोक के लिये उचित प्रयत्न नहीं करते । सफाई की तरफ भी, इन लोगों की ऐसी उपेक्षा-दृष्टि रहती है, कि इसी कारण, हैजा प्लेग आदि

भयङ्कर-रोग पैदा हो जाते हैं। ये लोग, केवल बड़ाई पाने के लिये स्थविर बनजाते हैं, किसी के सुख-दुःख या हानि-लाभ पर विचार करने का कष्ट कभ उठाते हैं। यही कारण है, कि आज नगर-धर्म का प्रायः लोप हो गया है।

राष्ट्र-स्थविर ।

श्री स-स्थविर और नगर-स्थविर जब वुद्धिमान, प्रभाव-शाली और शक्तिशाली होते हैं, तथा समुचित व्यवस्था रखते हैं, तो राष्ट्र-स्थविर का कार्य-केन्द्र, बहुत सुगम और प्रशस्त हो जाता है । ऐसे समय में, यदि अच्छा राष्ट्र-स्थविर हो, तो राष्ट्र-धर्म का समुचित-रूपेण पालन हो सकता है ।

बहुत से ग्रामों के सम्बन्ध से नगर, और बहुत से नगरों के समूह से प्रान्त बनता है । इन प्रान्तों में, चाहे वेप-भूषा या चौली का कुछ र अन्तर हो, किन्तु इन सब के एकत्रित हो जाने पर राष्ट्र बन जाता है ।

जिस मनुष्य के प्रत्येक-कार्य से राष्ट्र उंचा रहे, अधः पतन की ओर न जाय, प्रजा सुखी रहे, और जो राष्ट्र-धर्म की मर्यादा का पालन करता हुआ अपने हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम रखे, उसी का नाम राष्ट्र-स्थविर है ।

केवल वातों से, यह कार्य पूर्ण नहीं होता । प्रजा के जरा-जरा से सुख-दुःख को समझनेवाला, आवश्यकता पड़ने पर

जोहा भेलने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात् जेल जाने की भी ज्ञानता रखनेवाला और अपने प्राण को राष्ट्र के सामने तृण के समान समझनेवाला मनुष्य ही, इस काम को कर सकता है। जिस मनुष्य को अपने तन-धन से मिथ्या-मोह है, वह इसे पूरा नहीं कर सकता।

राष्ट्र-स्थविर कैसा होता है, इसके लिये कोई प्राचीन उदाहरण न ढेकर इस समय के राष्ट्र-स्थविर का ही चिक्क करते हैं।

आज गान्धीजी को देखकर संसार जान गया है, कि राष्ट्र-स्थविर कैसा होता है। उनकी जीवनी को देखो, तो मालूम हो, कि राष्ट्र-स्थविर को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। जिन लोगों को अपना ही आत्मा प्यारा नहीं है, उनमें ऐसी सहिष्णुता का आविभाव हो तो कैसे?

राष्ट्र-स्थविर को, राष्ट्र के रहन-सहन, खाने पीने आदि का पूरा ध्यान रहता है। वह, पराये देश के खान-पान अथवा रहन-सहन पर नहीं लुभाता। आज, भारत के कुछ लोगों ने अपने राष्ट्र-धर्म को छोड़कर यह दशा प्रहण की है, कि रहते तो हैं हिन्दुस्तान में और बनते हैं अंग्रेज। उन्हें, न तो हिन्दुस्तानी बोली पसन्द है, और न हिन्दुस्तानी खाना-पीना। वे, टेवल-कुर्सी पर बैठकर, छुरी-चमचे से ही अंग्रेजों के समान खाना खाने में, सौभाग्य मानते हैं। यह राष्ट्र का दुर्भाग्य है।

इस कुत्सित-चाल के चल निकलने का कारण, लोगों के हृदय की दुर्वलता है। वडे कहानेवाले मनुष्य विलायत जाते हैं और अपने राष्ट्र-धर्म को भूलकर विलायती ढङ्ग को अखिलयार कर लेते हैं। विलायत में मनुष्य के चरित्र को गिराने के लिये कैसी-कैसी परिस्थितियाँ उपन्न होती हैं, यह बात गान्धीजी की जीवनी देखने पर मालूम होती है।

गांधीजी जब विलायत जाने लगे, तो इनकी माता, इनके विगड़ जाने के भय से, इन्हें वेचरस्वामी नामक एक काठियावाड़ी साधुमार्गी-जैन मुनि के पास ले गई और कहा, कि यदि ये मांस, मदिरा और पर-खी के सौगन्ध आपके सामने ले लें, तो मैं इन्हे विलायत जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। गांधीजी ने, इन तीनों-बातों की सौगन्ध खाई और विलायत गये। विलायत में इन्हें इस प्रतिज्ञा पर से हटाने के लिये वडे-वडे प्रसङ्ग आये। यदि उपरोक्त जैनमुनि के समुख की हुई प्रतिज्ञा से ये न बँधे होते, तो यह नहीं कहा जा सकता, कि गान्धीजी आज जैसे हैं, वैसे बन पाते। अस्तु।

अपना सर्वस्व देकर, जो व्यक्ति अपने प्राण भी राष्ट्र के लिये कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, वही राष्ट्रस्थविर पद का कार्य कर सकता है।

एक भाई प्रश्न करते हैं, कि 'गान्धीजी ने हम लोगों का

बढ़ा नुक्सान किया है। हम लोगों से, लाखों रुपये स्वराज्य के नाम पर वसूल करके कुछ न किया, इसालये वे राष्ट्रस्थविर की अपेक्षा राष्ट्रधाती क्यों न कहे जायें ?'

परन्तु मैं पूछता हूँ, कि गांधीजी वह रुपया ले कहाँ गये ? क्या उन्होंने उन रुपयों से अपना घर बनाया है ?

'लड़के को दुकान करा दी' ♪

यह विना प्रमाण, कलङ्क चढ़ाने की बात है। गांधीजी की

॥ महात्मा गान्धीजी के बदे पुत्र श्रो० ईरालालजी गान्धी ने, कलकत्ते में एक कम्पनी स्लोल रखी है। महात्माजी ने, इन्हें अपने से पृथक् कर दिया है। क्योंकि इनके कुछ व्यवहार उन्हें पसन्द न थे। उदरोक्त कम्पनी, थोड़ीसी उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति और शेयरों के बल पर चलती है। इस कम्पनी के शेयर हांडरों की बड़ी शिकायत है और कम्पनी में ही भी भारी दुर्घटनाएँ। किन्तु यहुत दिन पहले ही, महात्माजी ने, नवजीवन में टिप्पणी लियकर लोगों को सूचित कर दिया था, कि उक्त कंपनी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, केवल "गांधी" नाम देखकर जो सज्जन इसमें रुपया लगायेंगे, उनके रुपयों के लिये मैं किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं हूँ। ऐसी दशा में कोई सज्जन महात्माजी को इसके लिये दोषी ठहरावें, तो यह उनकी भारी भूल है। देश के पांछे जिस व्यक्ति ने अपनी आदमकथा के चिदेशाधिकार की कीमत का एक लाख रुपया भी चर्खा-संघ को दान कर दिया और चिपुल धनराशि सदैव हाथ में रहते हुए भी, जो ०.८ रुपये मासिक धय में गुजर करता है, उस स्वार्थ-स्थानी महात्मा के सिर ऐसे लाल्छन लगाना घोर कृतमता है।

—सम्पादक

आत्म-कथा को देखते हुए, मैं इस बात को कदापि सत्य नहीं मान सकता, कि उन्होंने देश के रूपये से अपने लड़के को दुकान करादी हो ।

“किन्तु देश का व्यापार भी तो गांधीजी के ही चलते नष्ट होता जा रहा है !”

यह कहना, भारी भूल है । गांधीजी ने, देश का व्यापार नष्ट करने के लिये आज तक कोई कार्य किया है, ऐसा सुनने में नहीं आया । बल्कि सुना तो यह है, कि वे देश के व्यापार को चमकाने के लिये ही सब कार्य कर रहे हैं ! उनका कथन है, कि सदैव अपने देश का ही माल उपयोग में लाना चाहिये ।

अपने देश का कच्चा माल विदेश भेजकर, वहाँ के उसीके द्वारा तैयार किया हुआ पक्का माल मंगाना, इसका अर्थ अपनी एक रूपये की चीज़ का दूसरे को कई रूपया देना है । जैसे-एक रूपये की दो सेर के भाव की रुई यहाँ से भेजो और उसी रुई से, वहाँ वालों ने चर्बी लगाकर वस्त्र तयार किये और फिर भारतवर्ष में भेजकर दस रूपये में बेच लिये । इस प्रकार से भारतीयों को आर्थिक हानि तो जो हुई सो हुई, साथ ही धर्म पर भी आघात पहुँचा । यदि यह विदेशी माल बन्द हो जाय, तो राष्ट्र के गरीबों की जो हानि हो रही है, वह फिर असम्भव होजाय, ऐसा देश के स्थविरों अर्थात् नेताओं का कथन है ।

यद्यपि यह बात सम्भव है, कि इससे वराहल के वराहल विदेशी माल मँगाने वाले कुछ व्यापारियों की क्षति भी हो; किन्तु विचारशील नेता कहते हैं, कि एक साथ सभी को लाभ हो और किसी को हानि हो ही नहीं, यह बात राष्ट्र-धर्म में अशक्य है। राष्ट्र-धर्म में तो वही बात शक्य है, जिससे अधिक से अधिक मनुष्यों को लाभ हो। विचार करने से, यह बात ठोक भी मालूम होती है। क्योंकि, पहले ही यह बात बतलाई जा चुकी है, कि राष्ट्र-धर्म वही कहा जाता है, जिससे राष्ट्र के अधिक से अधिक मनुष्यों का कल्याण हो। तब यह कैसे हो सकता है, कि योड़ेसे विदेशीमाल के एजन्टों की क्षति का ध्यान रख कर, राष्ट्र का कल्याण गँवा दिया जाय। राष्ट्र-धर्म का ध्यान न रखकर, केवल अपने स्वार्थ के लिए, राष्ट्र के ऐसे सेवक पर अनुचित आक्षेप करना, वहुत बुरी बात है। किसी का, गांधीजी से अन्य बातों में मतभेद हो सकता है, किन्तु राष्ट्र-धर्म के नाते उनकी सेवाओं को आदर्श नहीं मानना, बुद्धिमानी नहीं है।

सुनते हैं, कि पहले एक-रूपये के छः मन चावल विकते थे और एक रुपये का तीस सेर के भाव धी विकता था। उस समय कपड़े का भाव कैसा रहा होगा ?

हों हाँ, ऊपर से चाहे पैसे न दीखते रहे हाँ; किन्तु देश सब सुखी था या अब ?

‘तथा’

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज, अपने व्याख्यान में फरमाया करते थे, कि जब अन्न-कपड़ा सस्ता और सोना-चांदी मँहगा हो, तो वह जमाना पुण्य का और सोना-चाँदी सस्ता तथा अन्न कपड़ा मँहगा हो, तो वह जमाना दुर्भाग्य का समझना चाहिये। क्योंकि सोना-चांदी को कोई खा नहीं सकता, अन्न-कपड़ा तो खाने-पहनने के काम में आता है।

यदि एक रूपये के आठ मन चावल विकते हाँ और कोई गरीब किसी के घर पर आजाय, तो वह उसको भारी न मालूम हो। ऐसे सस्ते जमाने में ही उनपर दया होती थी, उनसे प्रेम होता था। आजकल, अच्छे-चावल १) रूपये सेर तक के भाव में मिलते हैं। अत्यन्त स्नेही सम्बन्धी के आने पर भी विचार होता होगा, कि ये वापस कब चले जावें।

अपना स्वार्थ छोड़कर यदि कोई विचार करे, तो मालूम हो कि राष्ट्र सुखी कैसे हो सकता है। इसके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है:—

एक आदमी पर देवता प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ‘मैं दो बातों में से एक बात दे सकता हूँ। पहली बात तो यह है,

कि मैं बड़े-बड़े आम, नारंगी आदि फल वाले म्हाड़ दूँ
और दूसरी यह, ज्वार, गेहूँ आदि के छोटे-छोटे पौधे दूँ।' तब
उस बुद्धिमान ने कहा, कि मुझे बड़े-बड़े म्हाड़ न चाहिएँ, किन्तु
गेहूँ वाजरी आदि के छोटे-छोटे पौधे चाहिएँ।

देवता ने पूछा, कि बड़े-बड़े म्हाड़ छोड़कर छोटे-छोटे पौधे
क्यों मांगते हो ? उस बुद्धिमान ने उत्तर दिया, कि बड़े-बड़े
म्हाड़ों के फल से अमीर उमरावों की मौज़-शौक का काम चल
सकता है, परन्तु सारी दुनिया का नहीं; और गेहूँ वाजरी आदि
के पौधे से, गरीब से लेकर अमीर तक सभी का संरक्षण होता
है। अतएव मैं थोड़े तवज्ज्ञरों की मौज़-शौक को मान न देकर,
सारी दुनिया का जिसमें फायदा हो, वही चीज़ पसन्द करता
हूँ। देवता ने आशोर्वाद दिया, कि तेरी बुद्धिमत्ता को
धन्यवाद है।

इसी प्रकार, जबतक मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर सब की
सुविधा नहीं सोचता, तब तक राष्ट्र के कल्याण की भावनाएँ
चसके हृदय में उत्पन्न नहीं होतीं। राष्ट्र का कल्याण वही कहा
जाता है, जिसमें जन-साधारण का कल्याण हो; यह नहीं, कि
जिसमें कुछ तवज्ज्ञरों को फायदा मिले और जन-साधारण का
अकल्याण हो। जब तक, मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर हृदय में

राष्ट्रीय-भावना का उदय नहीं करता, तब तक, राष्ट्र के दुःख-सुख की ओर उसका ध्यान भी नहीं जाता।

कई लोग कहते हैं कि ये सांसारिक बातें हैं, परन्तु यह नहीं सोचते कि जितनी धर्म की बातें हैं, वे सब संसार के ही विचार से की जाती हैं। जिसमें संसार का कल्याण हो, उसे धर्म की बात कहते हैं और जिससे संसार का पतन हो, उसे पाप की बात कहते हैं। इसी जिये राष्ट्र-धर्म और राष्ट्र-स्थविर की बात शास्त्रकारों ने बतलाई है, फिर हमें उसकी व्याख्या करने में क्या दोष ? पुण्य-पाप की बातें संसार की ही हैं, किन्तु पुण्य को पुण्य और पाप को पाप बतलाने में कोई दोष नहीं। अस्तु

दिन प्रतिदिन, भारतवर्ष से राष्ट्र-धर्म का लोप हुआ दिखाई देता है। इसी से राष्ट्र की अधोगति है। लोग, राष्ट्र-धर्म से दूर रहने में ही अपना कल्याण मान बैठे हैं। एक दिन, जिस देश में मकान में ताले नहीं लगाये जाते थे, वहीं आज पारंस्परिक अविश्वास की यह दशा है, कि धाप-बेटा और पति-पत्नी का विश्वास न रहने से, बेटा धाप से और धाप, बेटे से तथा पत्नी, पति से, एवं पति, पत्नी से अलग ताला लगाते हैं। चोरी और डाकों की संख्या, दिन-दिन बढ़ती ही जाती है। किंतु न ही लोग तो, भूखों मरते हुए विवश, होकर बुरे काम करते हैं।

जिस राष्ट्र में, राष्ट्र-धर्म की समुचित व्यवस्था होती है, वह राष्ट्र अपने आदर्श के सन्निकट पहुँच जाता है।

जिस बाग में, हजार माड़ आस के हैं और १०-२० माड़ नींव जामुन आदि के हैं, वह बाग किन माड़ों का कहा जायगा ?

‘आम का’

भारतवर्ष में गरीब बहुत हैं और अमीर थोड़े, ऐसी दशा में यह देश गरीबों का है या पूंजीपतियों का ?

‘गरीबों का’

बड़े—बड़े सेठ लोग भी, गरीबों के पीछे हैं। अब उन गरीबों की रक्षा न हो और अमीरों के पास थोड़ा—थोड़ा धन बढ़ता जाय, तो इसका यह अर्थ नहीं है, कि देश सुखी हो रहा है। क्योंकि देश गरीबों का है, इसलिये जब तक गरीब सुखी न हों, तब तक देश सुखी नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्र-धर्म वह है, जिससे राष्ट्र में अन्न-वस्त्र के लिये मनुष्य मरते न हों, परस्पर विद्रोह करके एक दूसरे का वैरी न बनता हो। किन्तु आज, ज्यादातर लोगों ने अपने—अपने मानसिक नेत्रों पर स्वार्थ का चश्मा चढ़ा रखता है, अतः उन्हें गरीबों के जीले—मरने का ध्यान नहीं है। उन्हें तो अपनी तिजोरी भर लेने से ही काम है।

भारतवर्ष की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है, यह वात बहुतों को तो मालूम भी नहीं। कुछ लोग तो स्वार्थ में लगे हैं और कुछ अज्ञान में ही गोते खा रहे हैं।

एक घर में, एक आदमी तो खूब खाता हो, भूख न होने पर भी तरह-तरह के माल उड़ाता हो और दस-आदमी भूखों मरते हों, तो उस एक को क्या संसार में कोई मनुष्य अच्छा कह सकता है ?

‘ नहीं ’

इस वात को बहुत थोड़े आदमी समझते हैं। आज कल तो दया को नष्ट करने के लिये ही आनंदोलन हो रहा है, तो फिर राष्ट्र-धर्म की भावना कैसे हो सकती है ? क्योंकि राष्ट्र-धर्म माननेवाले के हृदय में, सब से पहले, गरीबों के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है ।

मुना जाता है, कि एक तरफ तो भारतवर्ष में करोब छः करोड़ मनुष्य एक समय खाने को पाते हैं, अर्थात्, पूरा पेट भर भोजन नहीं पाते और दूसरी तरफ कुछ लोग, मौज-शोक से माल उड़ाते हुए, वेभान हो कर द्रव्य का नाश करते हैं। उन गरीबों के हित की चिन्ता भी नहीं करते। यह कितनी कृतज्ञता है ! जिन गरीबों की सहायता से तिजोरियाँ भरी हैं,

और अमीर बने हैं, उन्हीं की दशा पर विचार न करना, घोर स्वार्थीपन और अमानुषिकता है।

यदि कोई यह कहे, कि गरीबों ने कर्मों की अन्तराय हऐसी वांध रखी है, किर धनबानों को उनकी तरफ लक्ष्य देने से क्या मतलब ? तो ऐसा कहने वाला मनुष्य स्वार्थी ही हो सकता है। परमार्थिक मनुष्य, ऐसा कभी नहीं कह सकता। वह समझता है, कि जिसको अन्तराय-कर्म से दुख होता है, उसी पर दयालु-पुण्य दया करता है। क्योंकि, दया दुःखियों की ही होती है। यदि दुःखी न हों, तो सुखी मनुष्यों को दया करने का उपदेश देने की ही क्या जरूरत है ? बुद्धिमान ऐसा समझते हैं, कि जैसे, मैं गरीबों से धन कमाता हूँ, उसी तरह मुझे गरीबों पर दया भाव रख कर धर्म और पुण्य की प्राप्ति करना ही श्रेयस्कर है।

उपकार के समय यह कह देना, कि 'यह तो उनके कर्मों का फल है' संसार से उपकार को विदा करना है। यह दया नहीं धर्मिक निर्देशता है। यदि ऐसा मानो, कि अन्तराय वांधी उसका फल भोगते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उद्योग करने की क्या आवश्यकता है ? चुपचाप पड़े रह कर यह क्यों नहीं सोच लेते कि कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अतः यदि अच्छे कर्म किये होंगे, तो खाने को अपने आप मिल जायगा ? अस्तु ।

सेठाई और गरीबी, दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का रूल है। किसी के छाप नहीं लगी होती है कि यह सेठ है और यह गरीब है।

राष्ट्र-स्थविर वह है जो, राष्ट्र के कल्याण की चिंता करे। शास्त्र कहता है, कि चाहे एक ही व्यक्ति हो, परन्तु यदि राष्ट्र की चिन्ता करे, तो वही स्थविर है। जो मनुष्य यह ध्यान रखे कि, मेरे खाने, मेरे पहनने-ओढ़ने और रहन-सहन से राष्ट्र की कोई क्षति न होने पावे, वह भी राष्ट्र-स्थविर है।

आज अधिकांश भारतीयों में से, राष्ट्र-धर्म का निशान भी मिट गया है। इसके विरुद्ध, यूरोपियन-जातियों में अपने राष्ट्र के प्रति कैसी भावना है, यह बात उदाहरण देकर बतलाते हैं।

सागर के एक श्रावक की दूकान पर, देशों और विलायतों दोनों प्रकार के माल विकते थे। एक दिन, उनकी जान-पहचान के एक अंपेज ने, अपने नौकर को चावल खरोदने भेजा। उपरोक्त श्रावक के पास, उस समय देशी और विलायती दोनों प्रकार के चावल थे, किन्तु विलायती चावल न देकर देशी चावल ही दे दिये। जब नौकर, चावल लेकर साहब के पास पहुँचा, तो साहब नौकर पर बहुत बिगड़ा और खरों खोटी सुनाने के बाद हुक्म दिया, कि ये चावल वापस लौटाकर विला-

यतो चावल खरीद लाओ। यंचारा नौकर, भागा हुआ सेठजी की दूकान पर आपस गया और सारी छथा कह सुनाई। सेठजी ने, वे चावल आपस लेसिये और उनकी कीमत से बौगुनी कीमत लेकर, यिलायनी चावलों का एक छिप्पा दे दिया। कुछ दिनों के बाद, सेठजी की इसी चूरोपियन से सुलाकात हुई। तब उन्होंने इसका कारण पूछा। चूरोपियन ने उत्तर दिया, कि यिलायती चावल मर्गीदने से, उनकी कीमत, हमारे देशवासियों को भिजेगी। हम, ऐसे मूर्ख नहीं हैं, कि यहाँ आकर अपने देशवासियों का ध्यान न रखें और अपने देश का माल खरीदकर वहाँ पैसा न पहुँचावें, यहाँ के लोगों को पैसा दें।

इसी नरहरम्बद्ध के एक आवक, एक दिन जिकर करते हैं, कि बन्धुद में एक चूरोपियन ने अपने नौकर से एक जोड़ फुलचूट लाने को कहा। नौकर, एक देशी दूकान से बहुत-अन्दरा फूल कृट १०० रुपये देखर ले गया। साहब ने जब देखा, कि यह देशी फुलचूट ले आया है, तो वे नौकर पर तुरी नरहर शिगड़े और उसमें काढ़ने लगे कि 'मूर्ख ! देशी फुलचूट क्यों मर्गीद लाया ?' नौकर ने उत्तर दिया, कि 'ये बहुत अच्छे हैं, आप एक यार इन्हें पढ़न कर देखिए तो सही !' यह सुनकर साहब ने, नौकर को बहुत सी गालियाँ दीं और कहा, कि इस चूट की कीमत तुम अपने पास से दो तथा हमारे लिये

विलायती बूट जोड़ खरीद कर लाओ। नौकर, उन जूतों को लिए हुए दुकान पर वापस गया और दुकानदार से सारी कथा कह कर ग्राहना की, कि वह अपना हजारीना काटकर बाकी की रकम, बूट के बदले वापस लौटा दे। दुकानदार था भला आदमी। उसे इस गरीब पर दया आई। उसने, इस प्रकार गरीब की हानि करना उचित न समझ, बूट लेकर, उनकी पूरी कीमत वापिस लौटा दी। कीमत वापस लेकर, नौकर एक यूरोपियन की दूकान पर गया और चौगुनी के करीब कीमत देकर, एक विलायती जोड़ा खरीद लाया। साहब को वह जोड़ा बहुत पसन्द आया। नौकर ने साहब से पूछा, कि यह जोड़ा चौगुनी कीमत का होने पर भी वैसा अच्छा नहीं है, फिर आप को कैसे पसन्द आया? तब साहब ने उत्तर दिया, कि यह हमारे देश का बना हुआ है, अतः इसका पैसा, हमारे देश को जावेगा। हम लोग, भारतीयों की तरह मूर्ख थोड़े ही हैं। हमें सदैव अपने देश का ध्यान रहता है।

उपरोक्त उदाहरणों से, आपको विदित हुआ होगा, कि यूरोपियन-जाति में, अपने राष्ट्र के प्रति कैसी भक्ति है। वे हजारों मील दूर भारत में रहकर भी, अपने देश की बनी हुई चीज़ मँहगी होने पर भी उसी का उपयोग करते हैं। और भारत के लोग भारतवर्ष में रहते हुए, देश के पतन की अवस्था

में भी विदेश का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। यह भारत को अधिक पतन की ओर ले जाना नहीं, तो और क्या है?

धार्मिक दृष्टि से भी, विदेशी-वन्न कितने खराब हैं, यह बात आप लोगों को विदित ही है। लाखों पशुओं का वध करके निकाली हुई चर्चा जिन वस्त्रों में लगती है, उन वस्त्रों को काम में लाना, क्या धर्म-ध्रष्टुता नहीं है?

जिन देश के मनुष्य, अपने देश तथा अपने देश की बर्ती हुई वस्तुओं की क़दर नहीं करते, उस देश के मनुष्यों की कदर दूसरे देशों में नहीं रहती दिखाई देती है। किसी साधारण ग्राम में, यदि कोई गोरा (किस चाहे वह वार्चा ही हो) आजाय तो सब लोग 'साहब आया', 'साहब आया' कह कर सलाम करेंगे। इसके विरुद्ध, भारतीयों की विदेशों में क्या क़दर है, यह घतलाने की आवश्यकता नहीं। कौन नहीं जानता, कि गान्धीजी को दक्षिण अफ्रीका में 'फुली वैरिस्टर' कहते थे? सुना है, कि अभी थोड़े ही दिन पहले, किसी अन्य देश में रवी-न्द्रनाथ ठाकुर का बड़ा अपमान हुआ था। कई घड़े बड़े भारतीयों को, विदेशों में बुरी तरह अपमानित होना पड़ा है। इसका कारण यह प्रतीत होता है, कि एक की भूल, दूसरे को शूल होती है। जब भारत के मोटे भाग का जन-समाज, अपने राष्ट्र-धर्म को भूल कर, विदेशी चीजों को अपनाता है, तब उसका फल, भारतीय-

होने के कारण, गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ जैसे नेता पुरुष को भी भोगना पड़ता है।

जबतक, राष्ट्र-धर्म का हृदय में वासन हो, तब तक कोई मनुष्य राष्ट्र का स्थिर नहीं हो सकता। इसके लिए बड़े स्त्याग और कष्ट-सहिष्णुता की अपेक्षा रहती है। भारतीयों के पतन का मुख्य कारण यह है, कि राष्ट्र का समुचित धर्म और उस धर्म के पालने वाले स्थिरों का अधिकांश में अभाव है।

इतिहास को देखने से पता लगता है, कि भूतकाल में इस देश के स्थिरों ने, अपने राष्ट्र और राष्ट्र-धर्म की रक्षा के लिए कैसे-कैसे कष्ट उठाये हैं। इसके लिए महाराष्ट्र प्रताप का ही उदाहरण काफी है। उन्होंने अपने देश की लज्जा बचाने के लिये, कैसे-कैसे घोर-सङ्कट सहे हैं! अठारह वर्ष तक, अर्बली पहाड़ की घाटियों में नाना प्रकार के कष्ट-सहते और अन्न न मिलने के समय धास-फूस के बीज खा-खा-कर धूमते रहे। वह रानी, जो राजमहलों में सुख से रहती थी, उस समय अपने हाथ से पीसती और रोटी बनाती थी। राणा के बच्चे, रोटी के एक-एक टुकड़े के लिये रोते थे, किन्तु देश की बात नीची न हो जाय, इस लिए राणा यह सब कष्ट धर्य-पूर्वक सहते और सुनते रहे। यदि वे अकबर को सिर झुका देते, तो उनके लिए सब आराम प्रस्तुत थे। किन्तु राणा ने

सब आरामों को लात मार कर, राष्ट्र-धर्म की रक्षा के लिए विपत्ति को सिर पर उठाया। जबतक इतना त्याग, और साहस करने वाले मनुष्य राष्ट्र में नहीं होते, तबतक न तो राष्ट्र-धर्म का ही पालन होता है, और न राष्ट्र की उन्नति या प्रतिष्ठां हो होती है।

जिस देश में महाराणा प्रताप हुए, आज उसी देश में ज्यादातर यह दशा है, कि लोग अपने घर से प्रेम करते हैं, किन्तु राष्ट्र के प्रति उनके हृदय में तनिक भी प्रेम नहीं होता। उनसे पूछा जाय, कि क्या घर में कोई ऐसी चीज़ भी है, जो राष्ट्र से सम्बन्ध न रखती हो? और चीजों को जाने दो रोटियों को ही देखो कि ये किसके प्रताप से मिल रही हैं? इतना होते हुये भी अज्ञान छा जाने से राष्ट्रीय-भावनाओं का लोप होगया है। इसी अज्ञान के कारण, आज भारत के पैरों में परतन्त्रता की बंडियां पड़ी हैं। अस्तु।

मैं पूछता हूँ कि तीर्थंकर भगवान् कहाँ जन्मे थे?

‘इसी भारत में’

इसी बात पर से भारतवर्ष का महत्व आप लोगों को समझना चाहिए; कि इस पवित्र-भूमि में क्या क्या करामातें हैं। तीर्थंकर आदि महान्-महान् अवतारों का, इसी देश में जन्म

हुआ, दूसरे देशों में नहीं। इससे स्पष्ट है, कि इस देश की भूमि में कुछ विशेषता है।

भारत की प्रकृति का, जिन विदेशियों ने अध्ययन किया है, वे कहते हैं, कि भारतवर्ष पारस्पर्यम् है। मानवी-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यहाँ सब चीजें पैदा होती हैं। आवश्यकता-पूर्ति की दृष्टि से, यह देश स्वतन्त्र है, किसी भी वस्तु के लिए, अन्य देशों का मुहताज नहीं है। सुनते हैं, कि इंग्लैण्ड में आख्य आदि पदार्थ तो खूब पैदा होते हैं, किन्तु नाज इतना कम पैदा होता है, कि यदि भारत या अन्य उपजाऊ देशों से अनाज वहाँ न भेजा जावे, तो इंग्लैण्डवालों को पूरा अन्न मिलना मुश्किल हो जाय। किन्तु यदि भारत में कोई चीज विदेशों से न आवे, तो भारत किसी वस्तु के बिना नहीं रुक सकता।

इस भारत में, गङ्गा-यमुना के समान सुखदायिनी नदियों और हिमालय के समान अद्वितीय-ऊँचा पहाड़ है। एक कवि कहता है कि—‘जिस देश के नदीं और पहाड़ जैसे बड़े होते हैं, उस देश के महापुरुष भी वैसे ही बड़े होते हैं।’

महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण के समान महापुरुष, इस भारत में पैदा हुए हैं। अब, यदि इस देश का अपमान हो, यहाँ के लोग दूसरों के बन्धन में हों, तो यह कितने दुःख की

चात है ! इस दुःख का कारण यही है, कि अधिकांश लोगों के हृदय से राष्ट्र के प्रति अद्वा और स्थविर की आज्ञापालन के भाव नष्ट हो गये । अब समय के परिवर्तन से, इन भावों की जागृति भारत में फिर होती दिखाई देती है ।

वुद्धिमानों का कहना है, कि यह चात खूब ध्यान में रखनी चाहिए, कि जो मनुष्य अपने राष्ट्र के मानापमान का ध्यान नहीं रखता है, उसका मान त्रिकाल में भी नहीं हो सकता । लोग यदि अपने मन में यह निश्चय करलें, कि हम भारत के बने हुए कपड़े के सिवा अन्य कपड़ा न पहनेंगे, तो उनके इस निश्चय से उनकी कोई हानि नहीं है, वस्तिक धार्मिक दृष्टि से भी लाभ है । किन्तु यह सरल-कार्य भी, लोगों को बड़ा कठिन लगता है, और राष्ट्र-धर्म के इस महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा करते हैं । यह उनके अज्ञान का कारण है । अज्ञान, अविद्या का ही दूसरा नाम है । जब तक भारत में राष्ट्र-धर्म की शिक्षा का प्रवन्ध नहीं है, तब तक लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होना कठिन है ।

प्रशास्ता-स्थविर ।

उत्तम-स्थविर, नगर-स्थविर, राष्ट्र-स्थविर इन तीनों का वर्णन हो चुका अब चाँथे स्थविर प्रशास्ता-स्थविर के विषय में कुछ कहते हैं। ठाणाङ्ग-सूत्र में इसको टांका करते हुए टीकाकार कहते हैं:—

“प्रशासति शिक्षयन्ति ये ते प्रशास्तारः धर्मोपदेशकास्ते च ते स्थिरंकरणात् स्थविराश्वेति प्रशास्त्रस्थविराः । ”

अर्थात्—शिक्षा देने वाले का नाम प्रशास्ता है और जो धर्मोपदेशक था शिक्षक, अपनी शिक्षा के प्रभाव से शिष्यों को धर्म में दृढ़ कर देते हैं, वे प्रशास्त्रस्थविर कहे जाते हैं।

साधारण शिक्षकों या अन्य शिक्षा देने वालों को, प्रशास्ता कह सकते हैं; किन्तु जो मनुष्य अपने प्रवन्ध से, या शिक्षा-शैली से, अपने अनुयायियों को धर्म में दृढ़ करता—अर्थात् सन्मार्ग पर लाता है, वह प्रशास्ता-स्थविर है। राष्ट्र की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस बात को गहरी-दृष्टि से विचारने, तथा शिक्षा-विभाग-

की समुचित-व्यवस्था करनेवाला मनुष्य, प्रशास्तास्थविर कहा जाता है।

आज, भारतवर्ष की शिक्षाशैली तथा व्यवस्था कैसी है, यह बात देखनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र की उन्नति किंवा अव-नति शिक्षा पर ही निर्भर है। जिस शिक्षा से राष्ट्र की उन्नति न हो, वह शिक्षा भी कोई शिक्षा है?

आज यहां की शिक्षा-प्रणाली कुछ ऐसी दूषित है, कि भारतियों में भारतीय-भाव ही नहीं रह जाते। जो विदेशी जिस देश को अपने पैरों तले दबाये रखना चाहते होंगे, वे भला उस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा क्यों देने लगे? उन्हें तो केवल अपने मतलब की गर्ज होती है, अतः जैसी शिक्षा देने से उनका मतलब होता होगा, वैसी ही शिक्षा देंगे।

पहले, जब शिक्षा में राष्ट्रीय-भाव भरे रहते थे, तब राष्ट्र का सिर ऊँचा रहता था और जनता सुखसमृद्धि से पूर्ण रहती थी।

‘किन्तु पहले के व्यापारियों के पास तो इतना धन न था, जितना आज है। थली प्रान्त में हजारों लखपती रहते हैं और मजूर भी सोने के जेवर पहनते हैं। पहले लोग अपने ही गांव में रहते और हल हाँक कर या नमक-मिर्च बेंच कर गुजर करते थे, किन्तु अब कलकत्ता और वंश्वर्दि जाकर घड़े-घड़े

च्यापार करते हैं, तो क्या यह अंग्रेजों शिक्षा का प्रताप नहीं है ?

‘मैं पूछता हूँ, कि थलीवालों ने जो धन कमाया है, वह भारत का ही है, या कहीं बाहर का ?

‘भारत का ही’

तो इसका क्या अर्थ हुआ ? यही न कि जो खून सारे शरीर में दौड़ता था, वह एकत्रित होकर एक स्थान पर जम गया, या एक पैर तो खम्भे के समान भोटा होगया और दूसरा बेंत की तरह पतला । यदि किसी मनुष्य के शरीर की यह दशा हो, तो क्या वह सुन्दर कहा जा सकता है ?

यदि शरीर में कहीं नया खून आवे, तो दूसरी बात है, किन्तु जब शरीर के एक अङ्ग का खून खाली होकर दूसरे अङ्ग में चला जाय, तो यह शरीर की उन्नति नहीं, बल्कि अवन्नति है । इसका परिणाम यह हो सकता है, कि जो शरीर पहले सशक्तथा, वह अब निर्वल हो जायगा । इसी प्रकार, यदि, गरीबों की रोजी मारकर धन बढ़ा, तो उस धन से क्या लाभ हो सकता है ? यदि धन मिलने के साथ-साथ कल्याण बुद्धि और मिलती, तथा दूसरों के कल्याण में लग जाते, तब तो कह सकते थे कि हाँ, धन बढ़ा है । जहाँ रुपया-पैसा बढ़ जाता है और उसके साथ बुद्धि तथा शक्ति उन्नत के बदले अवन्नत हो जाती है, तो दुनिया में

उस धन का होना और न होना, दोनों बराबर कहे जाते हैं। आज कल धनवान लोगों की शारीरिक-शक्ति की ज्यादातर यह दशा युनी जाती है, कि यदि एक जाट विगड़ खड़ा हो, तो धनवान दस आदमी भी उसका कुछ नहीं कर सकते। इस दशा से यदि पता चलता है, कि लोगों ने वैसी रीति से धन नहीं पैदा किया है, जैसी रीति से वास्तव में पैदा किया जाता है। नीतिवान् ऋहते हैं, कि धन की वास्तविक पैदायश जमीन से है। जमीन से जो धन पैदा होता है, अर्थशास्त्री उसे ही वास्तविक धन कहते हैं। इस ब्रात की पुष्टि आनन्द-प्रावक के घरिन्न से भी होती है।

आनन्द श्रावक के पास, १२ करोड़ सोनैये तथा ४० हजार गौण और ५०० हल्ल थे। इन हल्लों से वह जो कुछ पैदा करता था, उसे ५०० गाड़ियों में भर-भर कर घर पर लाता था तथा ५०० गाड़ियों से देशावर को लंजाता था। इस प्रकार वह धनी भी था और हजारों मनुष्यों को जीविका भी देता था। आज, कई एक धनदेवाले, हजारों मनुष्यों की आय हरण करके आप अकेले ही धनी बनते हैं। इससे उन लोगों में, छल कपट अविक बढ़ जाता है, परन्तु वास्तविक धनोपार्जन नहीं कहा जा सकता। यदि कोई मनुष्य, हजारों के घर के दीपक बुझाकर, अपने घर में मशियाल जलाते, तो यह उचित नहीं समझा जाता।

इसी प्रकार लाखों मनुष्यों की आय नष्ट करके, केवल अपनी आमदनी बढ़ा लेने को कोई नीतियुक्ति कार्य नहीं कह सकता। यदि कोई नीति-पूर्वक गहरी दृष्टि से विचार करे, तो उसे आज ही मालूम हो जाय, कि न्याययुक्त-धन किसे कहते हैं और जिसे मैं धन समझ रहा हूँ, वह धन, धन नहीं, बल्कि गरीबों का स्वत्व-दर्शन है।

मतलब यह है, कि आज की धन-संप्राप्ति, प्रायः वैसी नहीं है, जैसी पूर्वकाल में आनन्दादि गृहस्थों की थी। क्योंकि वह नीति गरीबों की पोपक थी और आज की नीति शोषक है। त्रस्तु ।

राष्ट्र के लिये वही शिक्षाप्रणाली कल्याण करनेवाली कही जा सकती है, जिसे राष्ट्र के प्रशास्तास्थविर ने, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पसन्द किया हो।

प्रशास्तास्थविर इस बात पर विचार करता है, कि बालकों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, युवकों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए और वृद्धों को कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रशास्तास्थविर, सदैव राष्ट्र के कल्याण की दृष्टि से ही इस बात का विचार करता है, अतः उसकी प्रचलित की हुई शिक्षा-प्रणाली से राष्ट्र के अकल्याण की सम्भावना नहीं रहती। किन्तु आज, शिक्षा-विभाग, राष्ट्र के प्रशास्तास्थविर के हाथ में नहीं है, अतः

धालकों की शिक्षा, युद्धों को और युद्धों की शिक्षा, वालकों को दी जाती है। इस शिक्षा का परिणाम उल्टा होता है। यदि शिक्षा-विभाग राष्ट्र के प्रशास्तास्थविर के प्रबन्ध में होता, तो राष्ट्र के जीवनधन-युवक आज प्रायः ऐसे निर्वल, साहस-चून्य, गुलामी की भावना वाले और अकर्मण्य होकर, नौकरियों के लिये क्यों भारे भारे फिरते? और नौकरी न मिलने पर, या किसी परीक्षा में फेल हो जाने पर, तत्त्वज्ञ कायरों की भाँति आत्महत्या करने वाले भी क्यों निकलते? इसका एकमात्र कारण, शिक्षाप्रणाली का दृष्टित दौना है।

इस समयन्देरे में, हजारों युवक बी० ए०, एम० ए० पास करके दूसरे को घोक रूप हो पड़े हैं। वे, अपना कार्य स्वयं कर लेने में भी समर्थ नहीं सुने जाते। बल्कि सुना तो यह जाता है, कि अधिकांश-युवक अपने ठाठ वाट के घोके को निभाने के लिए, ऐसे अनुचित-कार्य भी कर डालते हैं, जिससे राष्ट्र को घोर हानि पहुँचती है। यदि पूर्व काल के ढङ्ग का राष्ट्रीय-शिक्षण आज होता, तो ७२ कलाओं से निषणात् युवक हजारों मनुष्यों को लाभ पहुँचाता, एवम् देश का संरक्षक होता। अस्तु।

प्रशास्तास्थविर के अभाव में, आज भारतीय-खियों की शिक्षा की भी घड़ी दुर्दशा सुनी जाती है। खी-शिक्षा

स्वच्छन्दता की होनी चाहिए, या विनीतता की, इस बात का विचार प्रशास्तास्थविर के विना कौन करे ? भारत में, पहले भी स्थियाँ शिक्षित थीं और वह भी ऐसी-वैसी शिक्षित नहीं, बल्कि बड़े-बड़े पण्डितों के शास्त्रार्थ की निर्णायिका बनाई जाती थीं। मण्डन-मिश्र और शङ्कराचार्य के शास्त्रार्थ में, सुनते हैं, मण्डन-मिश्र की स्थी भारती ही निर्णायिका बनाई गई थी और कई दिन का शास्त्रार्थ सुनकर उसने निर्णय किया था, कि शङ्कराचार्य जीते और मेरे पतिदेव हारे। इतना सब कुछ होते हुए भी, स्थियाँ 'विनीता' कही जाती थीं। और आज ? आज यह दशा सुनते हैं, कि योद्धा पढ़-लिखकर स्थियाँ प्रायः अपने पति को ही ढाटा करती हैं। स्वतन्त्रता और विलासिता के लिये उनकी विचारधारा इतनी प्रबल हो जाती है, कि वे एकदम यूरोपियन-स्थियों का मुकाबला कर लेना चाहती है। कुछ दिन पहले, सुनते हैं कि वर्षई में एक अधिक-शिक्षित वहिन ने, स्थियों की सभा में भाषण करते हुए कहा था, कि स्थियों को भी यह अधिकार मिलने चाहिएँ, कि वे एक से अधिक पति एक साथ करें। यह है, दूषित शिक्षा प्रणाली का दुष्परिणाम। स्थियाँ दिन-दिन बकील-वैरिस्टर बनती जाती हैं, किन्तु स्थियोचित घर का काम कैसे किया जाता है, या वज्रे किस तरह पालेपोसे जाते हैं, इसका उन्हें विशेष भान्न नहीं रहता। विनीतता के अभाव से, सदैव, पति-पत्री में मनो-

मालिन्य रहता है। शिक्षा देने का यह अर्थ नहीं माना जाता, कि दाम्पत्य-प्रेम नष्ट हो जाय और खियों सब तरह-स्वतन्त्र होकर विचरण करें।

इन सारी हानियों के लिए, आज की बेढ़ज्जी और गैर—जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रबन्ध से दी हुई शिक्षा-प्रणाली जिम्मेदार है। आज की शिक्षा ने, खियों को ऐसे झुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना शुरू कर दिया है, जो भारतीय-सभ्यता और प्राचीनसंस्कृति के लिये सर्वथा घातक है। थोड़े ही दिन की वात है, कि महाराष्ट्र के एक उच्च हिन्दू परिवार की एक बहुत शिक्षित लड़की ने अपना विवाह किसी मुसलमान सज्जन से कर लिया। यह वाई बी० ए० थी और खाँ साहब थे एम० ए०। यह आज की बेढ़ज्जी शिक्षा का परिणाम समझा जाता है। यही कारण है, कि वडे वडे हिन्दुओं ने उसका विरोध किया। खुद उस वाई के घर के आदमियों ने भी विरोध किया, किन्तु परिणाम कुछ न हुआ। वह वहन बी० ए० जो ठहरी। उसे अपने धर्म या पूर्वजों की संस्कृति का क्या ज्ञान? पात्रात्य-सभ्यता के प्रवाह में वहते हुए, उसने हिन्दूसंस्कृति को एक बार धृणा की दृष्टि से देखा और खाँ साहब से शादी कर डाली!

आज की प्रचलित शिक्षा प्रणाली बदलकर, जबतक राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली से शिक्षा देना प्रारम्भ न होगा, तबतक राष्ट्र के

कल्याण की आशा कैसे की जा सकती है ? और ऐसा तभी सम्भव है, जब शास्त्र में बतलाये हुए प्रशास्ता-स्थविर की स्थापना होकर, राष्ट्र का शिक्षा-विभाग उसके जिम्मे कर दिया जावे ।

कुल-स्थविर।

मृगहरतवर्प, एक बहुत बड़ा देश है। यहां सदैव, विभाजित शासन-प्रणाली ही सफल होती आई है। एक ही शासक, सारे लोगों को ठीक रीति से करवा सकने में, यहां कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। इसी बात को दृष्टि में रखकर शाखा में, कुल—धर्म और उस धर्म को व्यवस्थित रखने के लिए कुजस्थविर की व्यवस्था बतलाई गई है।

कुलस्थविर दो प्रकार के होते हैं। एक लौकिक-कुलस्थविर, दूसरा लोकोत्तर कुलस्थविर।

लौकिक-कुलस्थविर, लौकिक कुल-धर्म के समुचित पालन की व्यवस्था करता है। किस कार्य के करने से कुल की उन्नति होगी और किसके करने से कुल का पतन होगा, इस बात का विचार करनेवाला भनुष्य, कुजस्थविर कहा जाता है। जो कुल-स्थविर है, वह आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण दे देता है, विकल्प कुल को दाग नहीं लगाने देता।

पहले, ओसवालों में पञ्चलोग कुलस्थविर होते थे। ओसवालों को किस प्रकार रहना, किस प्रकार व्यवहार करना और कुल-धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस का निश्चय, वे ही लोग करते थे। इस प्रथा को जितना विगड़ा है, विगड़नेवालों को उतना ही दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। कुलस्थविर के होने पर किसी की क्या ताकत थी, कि कुल के सिद्धान्तों के विरुद्ध, मांस या शराब का उपयोग करे, अथवा कहीं वाल-विवाह या वृद्ध-विवाह हो जाय। जो पुरुष मर्यादा को भड़ करता था, उसे ये कुलस्थविर दण्ड देने में समर्थ होते थे। कुल की लज्जा रहे और कुल की श्रेष्ठ प्रथाएँ न मिट जाएँ, इसके लिए कुलस्थविर पूरा प्रयत्न करते थे। प्रत्येक मनुष्य, इस महत्वपूर्ण पद का भार सहन करने के योग्य नहीं होता, वल्कि विरला ही मनुष्य ऐसा पैदा होता है, जो कुल-धर्म की व्यवस्था करने में समर्थ है और जिसके प्रभाव से कुल का प्रत्येक-मनुष्य, अपने अपने कर्तव्य को समर्भता और आचरण करता है।

कुलस्थविर के अभाव एवम् कुल-धर्म का पालन न होने के कारण ही, आज विधवा-विवाह का प्रश्न उठाया जाता है। विधवा-विवाह के प्रश्न की उत्पत्ति के कारण, वाल और वृद्ध विवाह तो हैं हीं, किन्तु इनके साथ-साथ, आज विवाहों में होने-

वाले अन्धाधुन्ध-खर्च और धूम-धड़ाके को भी इसका बहुत अधिक श्रेय है। आजकल, विवाह ऐसे महँगे हो रहे हैं, कि गरीब का तो विवाह भी होना मुश्किल हो रहा है।

पहले, ओसवालों में विवाह कितने रुपयों में हो जाया करते थे।

‘सौ दो सौ रुपयों में’

आज कल दो हजार रुपयों में भी विवाह हो सकता है?

‘इतने रुपयों में तो जाटों के विवाह होते हैं।’

जब, जाटों के विवाहों में दो-दो हजार रुपये खर्च हो जाते हैं, तो ओसवाल तो उनसे अधिक धनी हैं, अतः उनके विवाहों में जब तक दो हजार पर एक शून्य और न बढ़ाई जाय, तबतक काम कैसे चले? जब विवाह इतने महँगे हैं, तो गरीबों के कुँआरे और शिक्षित लड़के क्या करें! वे भ्रष्ट हुए विना रहेंगे?

‘नहीं’

जब वे युवक देखते हैं, कि निर्धनता के कारण हम विवाह का खर्च नहीं सह सकते, अतः हमें कुआंरी लड़की भिलनी असंभव है, तब वे चिल्हाते हैं, कि ये विधवायें अकारण क्यों वैठी हैं, इनका विवाह कर डालो। यदि विवाह महँगे न होते, और वाल-बृद्ध-विवाह की कुप्रथा न होती, एवम् प्रत्येक विवाहेच्छुक-युवक का विवाह होना सम्भव होता, तो यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

धूम-धाम और धन के दुरुपयोग की वृद्धि यहाँ तक बढ़ी हुई है, कि विवाहों में जब तक रण्डी न नाचे, तब तक वह विवाह अच्छा ही नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं, कि रण्डी पिवाह में न नचावें, तो किर क्या मरने पर नचावेंगे? हजारों रूपये अपने पास से खर्च करके, जो लोग वेश्यानृत्य करतां और युधकों के हृदय में विलासिता का अद्भुत चैदा करते हैं, वे भी इस बढ़ते हुए पाप के लिए जिम्मेदार हैं।

यदि कुल-धर्म का महत्व लोगों को मालूम होता, और वे एक कुलस्थविर के प्रबन्ध में काम करते, तो यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती।

आज, जितने दुख हैं और जितनी विलासिता बढ़ रही है, इसका एकमात्र कारण अव्यवस्था है। दुख तो होते हैं अव्यवस्था से, और कहते यह हैं कि काल ही ऐसा है, या राजा ही खराब है। यहाँ तक नहीं, लोग यह भी कहने लग जाते हैं, कि जो कुछ करता है, वह भगवान ही करता है। मतलब यह है, कि अपनी ही अव्यवस्था से होनेवाले दुख को, लोग, भिन्न-भिन्न कारणों से उत्पन्न दुख मानते हैं। किन्तु यदि शास्त्र में बतलाये हुए ढंग से समुचित व्यवस्था प्रचलित होती, तो प्रत्येक मनुष्य सुख-मय जीवन भी व्यतीत कर सकता और पाप की वृद्धि से भी बच सकता।

व्यवस्था उसे नहीं कहते हैं, कि जिसे सर्व-साधारण, सुभीते से न पाल सकें। जैसे-कोई कहे कि अन्न न खाकर केवल तपस्या ही करनी चाहिए और अन्य एक मनुष्य कहे, कि जो कुछ मिले वह सब खा लेना चाहिए, भक्ष्याभक्ष्य अथवा भूख है या नहीं, इसके देखने की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों ही बातें अव्यवहारिक हैं। इन दोनों में से किसी एक को पकड़कर, यदि कोई मनुष्य सफलता प्राप्त करना चाहे, तो नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि केवल तपस्या करते रहने से कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और जो कुछ भी अगड़म-वगड़म मिले, उसे भूख है या नहीं, इसका ध्यान रखे विना ही ठँसजाने वाला मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता।

अब एक तीसरा मनुष्य कहे, कि अमुक-अमुक चीज़ें स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली हैं, अतः उन्हें छोड़ कर अमुक-अमुक लाभदायक पदार्थ खाओ और बीच बीच में आत्मा को ढँचा करने तथा स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से तप का आश्रय लो, तो यह व्यवस्था है। जो कार्य उचित है, उन्हें करना और अनुचित कार्यों का त्याग करना, इसी का नाम व्यवस्था है।

यही बात, विवाहों के विषय में भी कही जाती है। जिस विवाह से कुल-रूपी शरीर को लाभ पहुँचे, उसे छोड़ कर, वैसा विवाह कुल-धर्म में नहीं गिना जाता, जिससे कुल की ज्ञाति हो।

कुल-धर्म को दृष्टि में रखकर प्रत्येक स्थिर ऐसी व्यवस्था करता है, कि कुल में कोइ ऐसा कार्य न होने पावे, जिससे एक की व्यवस्था में वाधा पहुँचे। वह ऐसा इन्तजाम करता है, कि कुल का प्रत्येक विवाहेच्छुक-युवक, नीति-पूर्वक, विवाहित-जीवन व्यतीत करे। क्योंकि ऐसा न होने की दशा में, कुल-धर्म का पालन होना, एक प्रकार से असम्भव हो जाता है। कुलधर्म के अभाव तथा कुलस्थिर के न होने के कारण ही, आज युवकों के समूह के समूह अविवाहित रहकर दुराचरण करते फिरते हैं और विवाह-विवाह का प्रभ खड़ा करते हैं। यदि कुल-धर्म की व्यवस्था हो, तो ऐसा होने को जरूरत ही न पड़े।

आज, ६०-६० वर्ष के बूढ़े भी, कुलधर्म के अभाव एवम् किसी कुलस्थिर का भय न होने के कारण, धूम-धड़ाके से अपना विवाह सम्पन्न करवाते हैं। दूसरी तरफ, छोटे-छोटे अवोध वजे, विवाह के वंधन में आवद्ध कर दिये जाते हैं। ये दो घड़े-घड़े कारण, विवाहों की वृद्धि के हैं। इन विवाहों में भी कई एक बहुत-छोटी उम्र को-जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं और विवाह किसे कहते हैं-मुनी गई हैं। इस छोटी आयु में, उन्हें विवाह बनाने का कारण, कुलस्थिर की संरक्षा का अभाव है।

यदि कुलस्थविर होते, तो वे इन सब कुचालों को रोककर ऐसी पद्धति का निर्माण करते, कि जिससे कुल की उन्नति होती और उसके युवक सदाचारी निकलते।

आज, वरात जोड़ देने और खिचड़ीखाने के लिए तो स्थविर चनकर, लोग तैयार हो जाते हैं, किन्तु विवाह न्याययुक्त है या नहीं, यह देखनेवाले बहुत कम हैं। प्रीति भोज पहले भी होता था, किन्तु वह प्रीति-बृद्धि के लिये। जबरदस्ती अझांशा लगाकर उन दिनों लोग भोजन नहीं किया करते थे। आज जो जाति-भोज कहा जाता है, वह कई जगह, मानों उससे जाति का दण्ड-चम्पूल किया जाता है और खा—पीकर लोग अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं। पीछे से उसकी क्या दुर्दशा होगी इसका ध्यान भी नहीं रखते।

ये सारी व्यवस्थाएँ, कुलस्थविर के अभाव से नष्ट हुई देखी जाती हैं। यदि स्थविर होते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाती और वे ऐसी व्यवस्था करते, कि कुल नीचा गिरने की अपेक्षा उन्नति की ओर अग्रसर होता।

कुलस्थविर, कुल की व्यवस्था ही करे, यह बात नहीं है। बल्कि व्यवस्था को भङ्ग करनेवाले मनुष्य को, दण्ड देने का अधिकार भी कुलस्थविर को होता था। क्योंकि इसके बिना कुल का काम अच्छी तरह चलना कठिन था। इतिहास से प्रकट

है, कि कुल की व्यवस्था को भङ्ग करनेवाले मनुष्य को, प्राणदण्ड भी दिया गया है।

आज, ओसवालों में यदि कोई मनुष्य अनुचित काम करे, तो उसे दण्ड कौन देता है?

‘कोई नहीं’

अर्थात्—कोई कुछ भी करे, परन्तु कोई दण्ड नहीं देता। इसी का परिणाम यह हुआ है, कि आज समाज के दुकड़े-दुकड़े हो रहे हैं, और ऐसी दुर्व्यवस्था फैल रही है, कि ६०-६० वर्ष के बूढ़े भी विवाह कर लेते हैं। जब तक जाति में स्थविर नहीं होता, तब तक कुल-धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती, यह बात निर्विवाद है।

लौकिक कुलस्थविर के विषय में कह चुके, अब लोकोत्तर कुलस्थविर के विषय में कुछ कहते हैं।

साधु, लोकोत्तर कुल में हैं। साधुओं का भी कुल माना गया है। एक गुरु के जितने शिष्य हैं, वे सब उस गुरु के कुल के समझे जाते हैं। इन शिष्यों की व्यवस्था रखने, तथा उन्हें नियम-पालन में ढढ़ बनाने की जिम्मेदारी, इस कुल के स्थविर अर्थात् गुरु पर है। यदि स्थविर व्यवस्था करके इन्हें सन्मार्ग पर न चलावे, तो यह व्यवस्थित कैसे रह सकते हैं? प्रत्येक शिष्य को उसको उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य साधन

देना गुरु का कर्त्तव्य है। शिष्यों को पढ़ा-लिखाकर विद्वान् बनाना भी, गुरु का ही कर्त्तव्य माना गया है।

जो कुलस्थविर है, उसका निष्पक्षपांत होकर व्यवस्था करना, अत्यन्त आवश्यक है। यदि कोई गुरु, अपने १०—२० योग्य-शिष्यों के होते हुए भी, पक्षपात करके १—२ को ही पढ़ावे और शेष को मूर्ख रहने दे, तो वह गुरु कुल-स्थविर नहीं, वल्कि कुलधर्म का नाश करनेवाला है। वच्चे को, वच्चे की-सी और वृद्ध को वृद्ध की-सी शिक्षा दें और उनकी समुचित साल-सम्बाल रखें, उन्हें अपने चारित्र पर ढढ़ रखने का उद्योग करे, उस स्थविर का कुल पवित्र रहता है।

सारांश यह, जिस प्रकार लौकिक कुलस्थविर अपने कुल-धर्म के पालन की व्यवस्था करता है, उसी प्रकार जो गुरु अपने कुल के सब साधुओं को, कुल-धर्म के पालन में ढढ़ बनाता है, वह लोकोत्तर कुलस्थविर है।

लोकोत्तर कुलस्थविर के बनाये हुए नियमों को भंग करने वालों के लिए, दण्ड-विधान भी बतलाया गया है। उस प्राय-श्रित में, दसवां प्रायश्चित अनितम सज्जा है। यह दसवां प्रायश्चित उसे दिया जाता है, जो साधु कुल में रहकर कुल भेदे, संघ में रहकर संघ भेदे, या गण में रहकर गण का विच्छेद करे।

साधु, यदि महाब्रतों का मूल से भंग करे, तो उसकी अधिक

से अधिक सज्जा नहीं दीक्षा है; परन्तु गण के विगाड़ने पर, दसवाँ प्रायश्चित्त है। यह क्यों? यह इसलिए, कि यदि कोई साधु व्यक्ति-गत अपराध करेगा, तो वह अकेला ही विगड़ेगा, परन्तु कुल संघादि के विगाड़ने से न मालूम कितनी हानि हो सकती है।

जो मनुष्य कुल को छिन्न-भिन्न करता है, वह दुर्कर्म वाँधता है, यह वात याद रखनी चाहिए।

गण-स्थविर

बहुत से कुल एकत्रित होकर, एक गण की स्थापना करते हैं। इस 'गण' की व्यवस्था करने के लिए, एक स्थविर नियम किया जाता है, जिसे गण-स्थविर कहते हैं।

बहुत कुल की शक्ति, यदि एकत्रित न की जाय तो वह विवरी हुई रहेगी और किसी बड़े काम को करने में समर्थ न हो सकेगी। जब, सब शक्तियाँ एकत्रित करके एक 'गण' बना दिया जाता है, तब वेही विवरी हुई शक्तियाँ एकत्रित होकर बड़ा काम करने में समर्थ हो जाती हैं। इस एकत्रित की हुई शक्ति का सञ्चालन करने के लिए, एक अगुआ की आवश्यकता रहती है, और वह गण-स्थविर के होने पर पूर्ण हो जाती है।

गणस्थविर, गण-धर्म की रक्षा करता है। देश-काल और शास्त्र के अनुसार, गण के भियमों में परिवर्तन करनेवाला स्थविर ही सदा गणस्थविर कहा जाता है। जो स्थविर परिवर्तन से ढरता है, वह अपना कर्तव्य सुचितस्तपेण पालन नहीं कर

सकता। क्योंकि यदि वह देश-काल और शास्त्र के अनुसार परिवर्तन न करेगा, तो गण-धर्म नष्ट हो जायगा।


यह संसार भी परिवर्तनशील है। जब संसार में भी परिवर्तन होता रहता है, तो गण-धर्म के नियमों में भी यदि देश-काल और शास्त्र के अनुसार परिवर्तन न किया जाय, तो वह नष्ट हो जाता है। कौनसा काम किस काल में करने योग्य है, इस बात का विचार गण-स्थविर ही करता है।

लोग, गर्भ में महीन कपड़े पहनते हैं, परन्तु जाड़े में भोटे पहनने लगते हैं। गर्भ में दूसरा भोजन करते हैं और जाड़े में दूसरा। गर्भ में दूसरे कमरे में सोते हैं और जाड़े में दूसरे। मतलब यह, कि यदि वे ऐसा परिवर्तन न कर, तो ख़राबी पैदा हो जाती है और वीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार गण-स्थविर, गण-धर्म में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता समझता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि जिस चीज़ में परिवर्तन नहीं होता, वह उहरती नहीं, वृत्तिक नष्ट हो जाती है। माड़ों को देखिये। वे भी पुराने पत्ते फेंककर, नये-पत्ते धारण करते हैं। अर्थात् परिवर्तन करते हैं। वृक्षों की जिन ढालियों में पत्तों का परिवर्तन नहीं होता, वे डालें मुद्री समझी जाती हैं। जैन-शास्त्रों में भी उत्पाद, वय और ध्रुव बताया है। मतलब

यह कि शास्त्र और समयानुसार परिवर्तन होना ही कल्याणकारक माना जाता है।

परिवर्तन करनेवाले का, बुद्धिमान होना आवश्यक है। कहीं उल्टा परिवर्तन कर दिया, तो व्यवस्था होना तो दूर रहा उल्टो अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। इसलिये जो बुद्धिमान स्थविर हैं, वे वड़ीं बुद्धिमानी से देश-काल और शास्त्र को देख, निष्पक्ष-दृष्टि रखकर परिवर्तन करते हैं, जिससे वह परिवर्तन निश्चित हीं सुखदाता होता है।

गणधर्म के नियमों में, आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के अतिरिक्त गण-स्थविर का यह भी कर्तव्य होता है, कि वह गण के हानि-लाभ को सदैव अपनी दृष्टि में रखे। जो स्थविर, गण-धर्म का समुचित पालन करवावे, तथा उस संगठित शक्ति को आवश्यकतानुसार अंगुल-निर्देश-मात्र से कठिन से कठिन कार्य में लगा सके, वही सज्जा गणस्थविर कहा जाता है।



संघ-स्थविर

कुर्दृई कुल के संगठित होने पर, गण और कई गणों के संगठित होजाने पर, संघ घनता है।

संघ दो प्रकार के होते हैं; एक लौकिक-संघ दूसरा लोको-त्तर-संघ। इन दोनों की व्यवस्था करने के लिए, स्थविर भी दो ही प्रकार के होते हैं। एक लौकिक-संघस्थविर, दूसरा लोको-त्तर-संघस्थविर।

लौकिक-संघस्थविर, लौकिक संघ की व्यवस्था करता है। देश-काल के अनुसार संघ के नियमों में परिवर्तन या नये नियमों की रचना करके, संघ को कल्याण की ओर ले जाना, संघस्थविर का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। वड़ा प्रभावशाली और दूर-दृष्टा मनुष्य ही, संघस्थविर हो सकता है। क्योंकि, यदि स्थविर बुद्धिमान न हुआ, तो वह संघ को ऐसी दिशा में भी ले जा सकता है, जिससे संघ की वड़ी क्षति होने की सम्भावना रहती

है। अतः इतनी बड़ी संगठित शक्ति की रक्षा के लिए वडे बुद्धिमान-मनुष्य को आवश्यकता रहती है।

संघस्थविर का पद, उतने ही महत्व का है, जितना कि एक सेनापति का। यदि सेनापति बुद्धिमान न हुआ, तो सारी सेना को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार यदि संघ-स्थविर बुद्धिमान न हुआ, तो सारे संघ को क्षति पहुँचावेगा। अतः संघस्थविर का कार्य वही मनुष्य कर सकता है, जो बुद्धिमान, दूरदृष्टा निःस्वार्थी और प्रभावशाली हो।

अब, लोकोत्तर संघस्थविर के विषय में कुछ कहते हैं।

लोकोत्तर-संघस्थविर, लोकोत्तर-संघ की व्यवस्था करता है। लोकोत्तर-संघ में, साधु-साध्वी और श्रावक, श्राविका हैं। इनकी धार्मिक-व्यवस्था करने वाले आचार्यादि, अग्रणी मुनिराजों को लोकोत्तर संघस्थविर कहते हैं।

लोकोत्तर संघस्थविर, इस बात की व्यवस्था करता है, कि संघ में किसी प्रकार का विश्रह न फैले जाय। यदि दैवयोग से किसी प्रकार का मनोमालिन्य साधुओं में परस्पर दिखाई दे तो संघस्थविर उसे दूर करने की चेष्टा करता है।

जिस प्रकार, लौकिक संघस्थविर को संघ में विश्रह डालने या उत्पात करनेवाले को दण्ड देने का अधिकार है, उसी प्रकार

लोकोत्तर संघस्थविर भी संघ के किसी साधु के नियम भङ्ग करने पर, उसे दण्ड दे सकता है।

सारांश यह, कि जो लोकोत्तर संघ को समुचित-व्यवस्था करे, संघ के प्रत्येक-साधु के चारित्रादि सद्गुणों पर कड़ी दृष्टि रखे और उन्हें अपनी आज्ञा में चलावे, तथा आज्ञा भङ्ग करने पर समुचित दण्ड दे, वही लोकोत्तर संघस्थविर है।



जाति-स्थविर

जाति में जिस मनुष्य की अवस्था ६० वर्ष की हो गई हो, उसे अवस्था का स्थविर अथवा जाति-स्थविर कहते हैं।

जिन वृद्ध मनुष्यों का अनुभव वहाँ हुआ हो, और जिन की इन्हि परिपक्व हो गई हों, उनकी उचित-शिक्षा मानने में ही जाति का कल्याण है। क्योंकि, ऐसे वृद्धों के हृदय में उत्तेजना नहीं रहा करती, इससे वे प्रत्येक-व्यात को खूब सोच-समझ कर ही कहते हैं।

प्रत्येक-जाति में; ऐसे वृद्धस्थविरों की वड़ी आवश्यकता मानी जाती है। क्योंकि, युद्धक स्वभाव से ही प्रायः जोशीले होते हैं, अतः यदि उनपर किसी का अद्भुत न हो तो वड़े-वड़े अनर्थ हो जाने की आशका रहती है।

फहावत मशहूर है कि 'नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा।' इसका मतलब यह है, कि दाना-मनुष्य, चाहे दुश्मन

ही हो, किन्तु वह शीघ्र ही किसी का अकल्याण करने को तया नहीं होता और नादान चाहे दोस्त ही हो, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर, वही दोस्त नाराज होकर पूरे दुश्मन का काम कर बैठता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने, ६० वर्ष के बुद्धिमान और अनुभवी वृद्धों को जातिस्थविर कहा है। आज जाति-स्थविरों का समुचित सन्मान न होने से, जातियों में कैसा दुर्व्यवस्था फैल रही है, यह बात प्रत्येक मनुष्य जानता है। यदि शास्त्र में वर्णित ढंग से व्यवस्था हो, तो आज भी जाति का पतन रुक सकता है।

आज, जबान तो जबान ही है, किन्तु अधिकांश वृद्धों की यह दृश्या है, कि वे युवकों की अपेक्षा अधिक अविचारी और उच्छ्वस्त्र देखे जाते हैं। लुटियों के गुलाम, आज जितने ६० ६० वर्ष के स्थविर वनने योग्य वृद्धे मिलेंगे, उनने युवक नहीं मिलेंगे। मेरे इस कथन का यह मतलब नहीं है, कि सब वृद्धे लुटियों के गुलाम हैं, या सब युवक उन्नत-विचार रखनेवाले हैं। किन्तु वृद्धों की विशेष लुटियों की प्रियता, जाति के कल्याण की बाधक ।

आज युवक-समाज, आदर्शहीन होकर, इधर-उधर ठोकरें खाता फिरता है। क्योंकि, जाति में प्रभावशाली स्थविरों की बड़ी कमी है। जो वृद्धे हैं, वे आज की परिस्थिति को देखते हुए किसी

प्रैर्ण्य नहीं प्रतीत होते। यह भारी दुर्ज्यवस्था है। जब तक यह दुर्ज्यवस्था दूर न हो, और स्थविर लोग आदर्श बनकर युवकों को न दिखा दें, तबतक जाति के कल्याण की आशा दुराशामात्र है।

जिस तरह लौकिक जाति स्थविर, ६० वर्ष का बृद्ध ही माना जाता है, उसी प्रकार लोकोत्तरजाति में भी जो साधु ६० वर्ष की आयु का हो चुका है, वह लोकोत्तर जाति-स्थविर कहा जाता है। उसका उचित सम्मान करना, और उसकी परिपक्व बुद्धि का निश्चित किये हुए दङ्ग से व्यवहार करना, साधुओं का कर्तव्य है। परन्तु जो केवल वय का स्थविर हो और बुद्धि-वैभव से हीन हो, छृत्याकृत्य का जिसे विशेष भान न हो, एवम् देशकाल और शास्त्र से अनभिज्ञ हकर, केवल भद्री वातों की जिद् रखता हो, वह स्थविर कहलाने के लायक नहीं है।



सूत्र-स्थविर

सूत्र-धर्म के पालन की समुचित-व्यवस्था करने वाले
को, सूत्रस्थविर कहते हैं।

जिन मुनिराज को, ठाणाङ्गसूत्र और समायक आदि कां
वारीक से वारीक वातों का ज्ञान हो, तथा जो सूत्र धर्म के
पालन की समुचित व्यवस्था करते हों, उन्हें सूत्रस्थविर
कहते हैं।


सूत्रस्थविर, इस बात का ध्यान रखता है, कि कौन व्यक्ति
सूत्रधर्म का समुचित पालन करता है और कौन नहीं। जिस
मनुष्य को सूत्रस्थविर देखता है, कि वह सूत्र-धर्म के पालन में
कुछ शिथिलता करता है, उसे उपदेश देकर धर्म में छढ़
करता है।

सूत्रस्थविर का यह कर्त्तव्य है, कि यदि कोई जिज्ञासु श्रावक
सूत्र-धर्म में निर्णयात्मक दृष्टि से किसी प्रकार की शङ्खा करे,

तो वह उसकी शंका का समुचित समाधान करे, और शास्त्र-पाठ से उसे अपना कर्त्तव्य बतलावे ।

संघ-धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है, कि साधु-साध्वी और आवक-श्राविका ऐसा चतुर्विध-संघ है । ये दोनों परस्पर आधित भाव से हैं । आनी साधु, आवक के और आवक, साधु के आधित हैं । ऐसी दशा में इन दोनों का परस्पर सह-योग होना अत्यावश्यक है । आवक, धर्म-जिज्ञासा की तृप्ति के लिये साधुओं के आधित हैं, अतः उन्हें जो-जो शंकाएँ हों, उनका निवारण करना सूत्रस्थविर अर्थात् शास्त्र के मर्मज्ञ साधु का कर्त्तव्य है ।

आजकल कुछ गृहस्थों की धर्म के प्रति ऐसी उद्दा-सीनता देखी जाती है, कि वे अज्ञान में पड़े रहते हैं, किन्तु सूत्रस्थविर से ज्ञान प्राप्त नहीं करते । यह स्थिति श्लाघ्य नहीं कही जा सकती । ऐसी स्थिति वाले मनुष्य, सूत्र धर्म की क्षति तो करते ही हैं, किन्तु साथ ही अपनी भी कोई कम क्षति नहीं करते । जब तक, सूत्र-धर्म के पालन की समुचित व्यवस्था न हो और लोगों की इस ओर रुचि न हो, तब तक सूत्र-धर्म के विस्तार की आशा कैसे की जा सकती है ?



पर्याय-स्थविर

जिस मुनि ने, २० साल तक संयम पाला हो और शास्त्रों का खूब अध्ययन किया हो उसे पर्याय-स्थविर कहते हैं।

पर्यायस्थविर, में इतना ज्ञान पैदा हो जाता है, कि बिना शास्त्र देखे ही वह शास्त्र की बात कह सकता है, उसे, कण-क्षण पर शास्त्र देखनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती और वह कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, जो शास्त्रीय नियमों से विरुद्ध हो।

पर्यायस्थविर, एक प्रकार का स-शारीर शास्त्र ही होता है। अर्थात्-शास्त्र में कथित ज्ञान तो उसके मर्मक में रहता है और आचरण उसके आचरणों में। ऐसे पर्यायस्थविर के कहे हुए सिद्धान्त, अनुभव-युक्त होने से, प्रायः सत्य ही होते हैं।

पर्यायन्त्रयविर वनने का सोभान्य, वहुत एम सुनियों को प्राप्त होता है। जो साथु सच्चे दिल से शाश्राव्ययन करता है, और प्रत्येक नियमोवनियम का पूर्ण त्वरण पालन करता है, वहो आगे नहीं कर पर्यायन्त्रयविर हो सकता है।

॥ ॐ शान्ति ॥

मरणदल द्वारा प्राप्य पुस्तकें ।

अहिंसा ब्रत	२	पूज्य श्री श्रीलालजी गहाराज का जीवन चरित्र ॥
सकडाल पुत्र	३	शालिभद्र चरित्र ।
धर्मच्याख्या	४	मिल के वस्त्र और जैनधर्म ।
सत्यब्रत	५	जैनधर्म में मातृ-पितृ सेवा ।
हस्तियन्द तारा	६	मुनि श्री गजसुकुमार ।
अस्तेय ब्रत	७	स्मृतिश्लोकसंग्रह ।
सुवाहु कुमार	८	जैनधर्म शिक्षावली
ग्रहचर्य ब्रत	९	सातवां भाग ।
सनाथ अनाथ निर्णय	१०	तीर्थङ्करचरित्र प्रथम भाग ।
लक्ष्मणी विवाह	११	” दूसरा भाग ।
वैघच्य दीक्षा	१२	धार्मिक परीक्षा वोर्ड की
सद्धर्म मरणदल	१३	साधारण परीक्षा की
अनुकम्पा विचार	१४	पाठ्य पुस्तक ।
सचित्र अनुकम्पा-विचार ॥		

मिलने का पता—

श्री साधुमार्गी जैन हितेच्छु श्रावक-मरणदल,
रतलाम (मालवा)

आदर्श प्रेस के सरगंज अजमेर में छपी ।

